खण्ड–497, अंक–5
मंगलवार, 08 भाद्रपद, शक संवत् 1938
(30 अगस्त, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2016)

(खण्ड 497 में 7 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग	7-8
प्रश्नोत्तर	8-47
भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री रामवीर उपाध्याय को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जाने का समाचार सोशल, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाये जाने का प्रकरण	47-49
विषय से हट कर बाहरी व्यक्ति के बारे में सदन में चर्चा पर रोक लगाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	49
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	49-51
जनपद बहराइच पयागपुर के अन्तर्गत नवसृजित तहसील में कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में बाढ़ से बेघर हुए पीड़ितों को आवास एवं आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
सहारनपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52-53
जनपद अलीगढ़ के ग्राम कनौरा के निकट काली नदी पर वर्ष 2005-2006 में निर्मित पुल पर 10 वर्षों से अधूरे पड़े एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद मेरठ नगर निगम क्षेत्र में रौनकपुरा बाल्यिकी क्वार्टर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद मथुरा व वृन्दावन में के0ई0आई0 कम्पनी द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	54-55
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत तमकुहीराज में आग से पीड़ित परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	55
जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
जनपद बदायूं के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में हाईटेंशन लाइन टूटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद ललितपुर के महरौनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा बनाई गई कतिपय ध्वस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	57
जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौदहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की धनराशि को अविलम्ब अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद कुशीनगर के रामकोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकरा, कनौडिया शुगर मिल द्वारा बकाया किसानों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	57-58
जनपद बलिया के बेरिया में स्वर्गीय शारदा नन्द अंचल की पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा को लागू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	58-59
दिनांक 08 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र के माननीय सदस्यों को हैण्डपम्प व नल लोहिया ग्राम के चयन आदि की सुविधायें माननीय सदस्यों को अभी तक प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	59-65
माननीय विधायकों को बजटीय व्यवस्था के अनुसार विधान मण्डल क्षेत्रीय विधायक निधि की आधी धनराशि अभी तक अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66
महिला ओलम्पिक विजेता को बधाई प्रस्ताव लाने का प्रयास	66
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	67
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	67
एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था, के स्थान पर एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः विधान सभा में लम्बित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015 को वापस लिये जाने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	69
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	69-104
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	105-109
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	109-114
बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, 2016 (पारित)	114-132
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 (पारित)...	132-141
बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पारित) ...	141-160
संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पारित) ...	161-178
एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	179-180
मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिये अमित तिवारी, चीफ इन एडिटर, गाजियाबाद तथा सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता उत्तर प्रदेश इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय से पूर्व सदन में सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	180-181
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	181-182
प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	182
उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप सम्पूर्ण बजट को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग-अलग चार जोनल बजट बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन...	182-183
ग्लोबल वॉर्मिंग से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिये समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका क्रियान्वयन कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	183

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय, देवरिया को मेडिकल कालेज में यथाशीघ्र परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (व्यपगत)...	183
राज्य के प्रत्येक शहर के बाहरी क्षेत्रों में अविकसित गरीब आबादी वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	183
राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 सम्बन्धित 353/1 बेली उपरहार, इलाहाबाद के समान भारत का संविधान के अनुच्छेद-14 'कानूनों का समान संरक्षण' के अनुपालन में प्रदेश के ऐसे समस्त प्रकरणों में भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	184
आवास विकास द्वारा रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज से खरीदे गये मकानों/भू-खण्डों के लिये सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	184
फिरोजाबाद में कांच उत्पादों के निर्माण में लगे असंगठित श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, रक्षा एवं जीवन रक्षा के लिये विशेष कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)...	184-185
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	185-186
जनपद शामली के थानाभवन के अन्तर्गत श्री बृजमोहन व उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	186-188
वार्षिक स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	188-189
जनपद बलिया में आई प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	189-190
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष पासी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी मुख्य मंत्री का वक्तव्य	190-191
जनपद बांदा में यमुना नदी के किनारे आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	191-193

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शामली नगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	193-194
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में भूमि का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	194-195
जनपद रामपुर की बिलासपुर अहरौ शीशगढ़ में क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	195-197
दिनांक 15 जून, 2016 को थाना कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध सं0-0395 में प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम-51 के मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	197-198
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब अन्तर्गत ग्राम रायपुर में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	198
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के ब्लाक कप्तानगंज में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	198-199
जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग से स्लिप रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	199-200
उ0 प्र0 के परिषदीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	200
जनपद इलाहाबाद के रीवर गंगा बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	200-202
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ओलावृष्टि/सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	202-203
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	203-204

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मऊ में आयी प्रलयकारी बाढ़ से कतिपय घाटों में हुई कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	204-205
सदन के अन्दर एवं विधान भवन के बाहर फोटोग्राफी की व्यवस्था... ...	205-206

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-325

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय, श्री — वाराणसी
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान, हाजी — अम्बेडकरनगर
7. अताउररहमान, श्री — बरेली
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
13. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
23. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
35. *आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
39. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
40. आशीष यादव, श्री — बदायूं
41. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
43. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात

---

* उप चुनाव में निर्वाचित।

47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
50. उदयराज, श्री — उन्नाव
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
52. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
53. उमाशंकर, श्री — बलिया
54. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
55. उर्मिला देवी, श्रीमती — महोबा
56. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
57. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
58. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
59. *कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
60. कमाल अख्तर, श्री — अमरोहा
61. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
62. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
63. किसमतिया, श्रीमती — गाजीपुर
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
65. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
66. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री — महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
71. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
72. गयाचरण दिनकर, श्री — बांदा
73. गयादीन अनुरागी, श्री — हमीरपुर
74. गायत्री प्रसाद, श्री — अमेठी
75. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद

* उप चुनाव में निर्वाचित।

76. गुटियारी लाल दुवेश, श्री — आगरा
77. गुलाब चन्द, श्री — जौनपुर
78. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
79. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस
80. गोमती यादव, श्री — लखनऊ
81. गोरख पासवान, श्री — बलिया
82. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
83. चन्द्रा रावत, श्रीमती — लखनऊ
84. छोटेलाल वर्मा, श्री — आगरा
85. जगतम्बा सिंह, श्री — मिर्जापुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
87. जगराम पासवान, श्री — बलरामपुर
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
89. जमीर उल्ला खां, श्री — अलीगढ़
90. जय प्रकाश निषाद, श्री — गोरखपुर
91. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
93. जाकिर अली, श्री — गाजियाबाद
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
95. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
96. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
97. तसलीम, श्री — बिजनौर
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री — अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री — जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री — बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री — बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री — इलाहाबाद

107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री — झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
109. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री — महराजगंज
110. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री — हाथरस
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
114. धर्मराज, श्री — बाराबंकी
115. नजीवा खान जीनत, श्रीमती — कासगंज
116. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती — गोण्डा
117. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
119. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
120. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री — प्रतापगढ़
121. नारद राय, श्री — बलिया
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहांपुर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री — शामली
124. पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
125. पिंकी सिंह, श्रीमती — सम्भल
126. पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
127. पीतमराम, श्री — पीलीभीत
128. पूनम सोनकर, श्रीमती — चन्दौली
129. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
130. पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
131. प्रदीप चौधरी, श्री — सहारनपुर
132. प्रदीप कुमार यादव, श्री — औरैया
133. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
134. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री — औरैया
135. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री — इलाहाबाद
136. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
137. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
138. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती — देवरिया
139. फेरन लाल, श्री — ललितपुर
140. बंशीधर बौद्ध, श्री — बहराइच
141. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री — बुलन्दशहर
142. बदलू खां, श्री — उन्नाव
143. बब्बन सिंह चौहान, श्री — चन्दौली
144. बाबू खां, श्री — हरदोई
145. बाबूलाल, श्री — गोण्डा
146. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
147. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
148. बृज लाल सोनकर, श्री — आजमगढ़
149. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
150. बेचई सरोज, श्री — आजमगढ़
151. बैजनाथ, श्री — मऊ
152. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
153. भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
154. भगवती प्रसाद, श्री — अलीगढ़
155. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
156. भाई लाल कोल, श्री — मिर्जापुर
157. भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकरनगर
158. मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
159. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
160. मधुबाला, श्रीमती — सन्त रविदास नगर (भदोही)
161. मनबोध, श्री — देवरिया
162. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
163. मनीष रावत, श्री — सीतापुर
164. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
165. ममतेश शाक्य, श्री — कासगंज

166. महबूब अली, श्री अमरोहा
167. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
168. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
169. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
172. *माविया अली, श्री सहारनपुर
173. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
174. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
175. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
176. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
177. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
178. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
179. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
180. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
181. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
182. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
183. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
184. *मो0 फईम, श्री मुरादाबाद
185. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
186. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
187. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
188. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
189. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
190. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
191. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
192. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
193. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
194. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
195. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
196. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
197. रणजीत सुमन, श्री एटा
198. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
199. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
200. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
201. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
202. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
203. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
204. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
205. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
206. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
207. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
208. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
211. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
212. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
213. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
214. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
215. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
216. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
217. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
218. राधे श्याम, श्री अमेठी
219. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
220. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
221. राम करन आर्य, श्री बस्ती
222. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
223. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
224. राम गोविन्द, श्री बलिया
225. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
226. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
227. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
228. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
229. राम मगन, श्री बाराबंकी
230. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
231. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर

* उप चुनाव में निर्वाचित।

232. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
233. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
234. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
235. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
238. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
239. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
240. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
241. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
243. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
244. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
245. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
246. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
247. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
248. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
249. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
250. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
251. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
254. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
255. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
256. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
257. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
258. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
259. विजय सिंह, श्री रामपुर
260. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
261. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
262. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
263. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
264. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
265. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
266. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
267. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
268. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
269. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
270. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
271. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
272. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
273. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
274. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
275. शाकिर अली, श्री देवरिया
276. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
277. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
278. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
279. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
280. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
281. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
282. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
283. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
284. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
285. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
286. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
287. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
288. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
289. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

290. संजय कपूर, श्री रामपुर
291. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
292. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
293. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
296. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
297. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
298. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
299. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
300. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
301. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
302. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
303. सियाराम सागर, डा0 बरेली
304. सीमा, श्रीमती जौनपुर
305. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
306. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
307. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
308. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
309. सुधाकर, श्री मऊ
310. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
311. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
312. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
313. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
314. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश राणा, श्री शामली
317. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
318. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
319. सुल्तान बेग, श्री बरेली
320. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
321. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
322. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
323. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
324. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
325. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)-

माननीय अध्यक्ष जी, 24 तारीख को आपने आश्वासन दिया था, जो प्रदेश में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

वह है, हमने लिया है, अभी नियम-56 आयेगा, तब आप कहियेगा। अभी नहीं, प्रश्न प्रहर खत्म हो जाय। इसे हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है।

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, प्रदेश में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था है, आपने 24 तारीख को ही आश्वासन दिया था कि हम चर्चा करायेंगे, इसलिए उसकी ग्राह्यता पर बात आ जानी चाहिए और चूंकि 24 तारीख को मान्यवर प्रदेश में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था के साथ-साथ इस प्रदेश में हर वर्ग की महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित चर्चा प्रारम्भ नहीं हुयी थी....

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर में इस तरह से व्यवधान न डालें, नियम-56 आने दीजिए, तब आप पूरी बात कहियेगा, हम समझ गये, हम आपको आश्वस्त किये थे, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री गया चरण दिनकर-

धन्यवाद मान्यवर।

(अनेक सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, प्रश्न प्रहर में नहीं छेड़ा जाता, आप जीरो आवर में कहियेगा।

श्री गया चरण दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपत्ति इस बात की है कि आपने संज्ञान में लिया और आश्वासन दिया कि चर्चा कराई जायेगी और अगली 30 तारीख को चर्चा में ले लिया जायेगा, लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो आंकड़े पेश किये जा रहे हैं अपराधों के और विशेष करके महिलाओं के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

आप जब चर्चा करियेगा, तब कहियेगा, अभी क्यों कह रहे हैं।

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, कब चर्चा होगी ? मान्यवर पूरे प्रदेश में 362 प्रतिशत इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ रेप और गैंग रेप की घटनाओं में और संसदीय कार्य मंत्री यह बोल रहे हैं ये अखबारी आंकड़े हैं और आज तक सरकार के पास 2014 के बाद नेट पर कोई आंकड़े नहीं पेश किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह परिपाटी नहीं हैं, जब आपकी सूचना स्वीकार है, तो प्रश्न प्रहर में यह सब नहीं छेड़ा जाता और आप नेता विरोधी दल हैं आपकी भी जिम्मेदारी है इस सदन को सुचारु रूप से चलाने की।

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए और हमें अपनी तरफ से ही नहीं पूरे विपक्ष की तरफ से भी बात रखने का मौका देना चाहिए और यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की ही हत्या हो जायेगी, तो कैसे काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब उसमें कहियेगा, आप तो प्रश्न प्रहर में ही सब कहने लगे। प्रश्न प्रहर को नहीं डिस्टर्ब किया जाता, अगर नहीं चलने देना है तो आप कह दीजिए हम इसको बन्द कर देते हैं। अब आप बैठिये नेता विरोधी दल।

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग शान्त बैठें, अब आप लोग चलते-चलते एक ऐसी टीस न पैदा करें, जिससे दिक्कत हो, एक तरह से आखिरी टर्म है तो आप लोग थोड़ा संजीदगी से, प्रेम भाव से यहां से जाओ।

[11.05] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्वाइन फ्लू एवं डेंगू की रोकथाम हेतु सरकार से युद्ध स्तर पर कार्य योजना कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 का जवाब दीजिये।

**01-श्री मनीष असीजा तथा डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में 09-08-2016 तक स्वाइन फ्लू एवं डेंगू से कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार प्रदेश के नागरिकों को इन महामारियों के प्रकोप से बचाने के लिये समुचित इलाज, जांच, दवायें एवं विशेष डाक्टर्स के दल बनाकर युद्ध स्तर पर इसकी रोकथाम की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

प्रदेश में वर्ष 2015 में स्वाइन फ्लू रोग से 33 एवं वर्ष 2016 (दिनांक 09-08-2016 तक) में 16 तथा डेंगू रोग से वर्ष 2015 में 10 तथा वर्ष 2016 (दिनांक 09-08-2016 तक) में 02 रोगियों की मृत्यु हुई है।

जी हां, वर्ष 2016 में स्वाइन फ्लू एवं डेंगू के रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है, जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को भी समाहित किया गया है। इसके क्रियान्वयन से रोग के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव हो रहा है।

स्वाइन फ्लू :-

प्रदेश के सभी जनपदों में स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम हेतु कारगर औषधि (टेमी फ्लू की गोलियां), पी0पी0ई0 किट व मास्क को समुचित मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिये औषधियों का समुचित भण्डारण राज्य मुख्यालय पर भी कर लिया गया है।

प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारियों के अधीन कन्ट्रोल रूम एवं रैपिड रिस्पांस टीम (आर0आर0टी0) का गठन किया गया है जो कि किसी भी समय रोग की सूचना मिलने पर तत्काल उपचार करने, जिला व राज्य मुख्यालय से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की व्यवस्था करने एवं निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु सजग व सक्षम है। प्रदेश सरकार स्वाईन फ्लू रोग के विषय में पूर्ण सजग है तथा नियंत्रण की कार्यवाही व्यापक स्तर पर कर दी गयी है। एन0सी0डी0सी0, दिल्ली, एस0 जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0, लखनऊ राजकीय ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा एवं एन0 आई0वी0, पुणे के अनुसंधान केन्द्र, स्वाइन फ्लू रोग की जांच हेतु अधिकृत है।

डेंगू :-

डेंगू रोग की निरोधात्मक व उपचारात्मक की कार्य योजना-2015-16 वर्ष के प्रारम्भ में सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेज दी गयी थीं। यह कार्य योजना स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश वर्ष 2015 के अनुसार तैयार की गयी है तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पालनार्थ प्रेषित कर दिया गया है।

प्रदेश के सभी जनपदों में 10 शैय्यायुक्त वार्ड बनवाया गया है तथा डेंगू रोगियों के उपचार हेतु निःशुल्क जांच एवं औषधियों की व्यवस्था की गयी है। रोगियों हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस तात्कालिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो महामारी इस वक्त पूरे प्रदेश में विशेषकर लखनऊ क्षेत्र में तो हम सब देख ही रहे हैं कि किस स्थिति में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। इस पर मैं आपकी अनुमति से दो-तीन प्रश्न मंत्री जी से करूंगा। मान्यवर, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि उत्तर में सरकार लिख रही है कि अभी तक दो रोगियों की मृत्यु हुई है। मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। महिला कल्याण मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री श्री रविदास मेहरोत्रा जी, वह सार्वजनिक रूप से यह बयान दे रहे हैं कि मौतें अधिक हैं, यह आंकड़े गलत हैं। डॉक्टर और अफसर बहुत लापरवाह हैं। मैं यह सब कुछ जो उनके इंटरव्यू के शब्द हैं, वह बोल रहा हूं। जब सरकार के मंत्री सरकार के उत्तर के ऊपर कह रहे हैं कि

यह सारे आंकड़े गलत हैं, यह फर्जी हैं, डॉक्टर और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो इस जवाब का हम क्या उत्तर मानें। किसको ठीक मानें, सरकार के इस जवाब को या सरकार के इस मंत्री को।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, जो मंत्री जी विधान मण्डप में जाकर जवाब दे रहे हैं वही जवाब है। बाहर क्या है उससे आपका क्या मतलब ?

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, तो इसका मतलब माननीय रविदास मेहरोत्रा जी मंत्रि-मण्डल के सदस्य नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर यहां चर्चा न करिए अपने सवाल पर पूछिए। वह क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं उससे आपका क्या लेना-देना है। आप अपने सवाल के बारे में पूछिए।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के साथ-साथ प्रमुख सचिव जी को भी इसमें उद्धृत करना चाहता हूं। प्रमुख सचिव जी यह कहते हैं कि डेंगू के जितने भी टेस्ट हैं वह एलाइजा टेस्ट होगा उससे माने जाएंगे। रेपिड कार्ड के माध्यम से यह टेस्ट नहीं माने जाएंगे। मंत्री जी का एक कहना, प्रमुख सचिव जी का एक कहना, इसके आधार पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं। क्या सरकारी मेडिकल कालेज इलाहाबाद, सरकारी मेडिकल कालेज, झांसी और सरकारी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एलाइजा के द्वारा डेंगू के टेस्ट किये जा रहे हैं ? मान्यवर पहली बात हो जाये तो दूसरी बात पूछूं।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य जी ने पूछा है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर और झांसी में एलाइजा टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा को कम करने के लिए यह बताना चाहूंगा कि डेंगू के मामले में इन्कूबेसन पीरियड होता है, डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने के दो से पांच दिनों के अन्दर उसका रिस्पान्स दिखाई पड़ता है। इन्कूबेसन पीरियड के बाद पहले जब उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं तो पांच दिन के बाद उसका एलाइजा टेस्ट होता है। हमारे विद्वान सदस्य डा0 साहब बैठे हैं, एलाइजा टेस्ट तब होता है जब उसका इन्कूबेसन पीरियड खत्म हो जाता है और उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इन्होंने यह कहा कि एलाइजा टेस्ट के लिए हमारे प्रमुख सचिव ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं, जरूर कहीं आपको सुनने में गलतफहमी हुई है। एलाइजा टेस्ट डेंगू के लक्षण प्रदर्शित होने के बाद ही होता है। पहले तो हमारी आर0आर0टी0, रैपिड रिस्पान्स टीम उसके लक्षण के आधार पर काम करती है, उसका टेस्ट करके देखती है और उसके हिसाब से दवा करती है और जब वह साबित हो जाता है तो उसका एलाइजा टेस्ट होता है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी आप थोड़ा सा समर्थन कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी की बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि शुरू में अगर रेपिड टेस्ट में डेंगू पाजिटिव आता है तो वह चार-पांच दिन

के समय के बाद ही एलाइजा टेस्ट से डेंगू प्रदर्शित होता है। मेरा कहने का भाव यह था कि लखनऊ के आंकड़े गलत हैं यह मंत्रि-मण्डल के सदस्य बोल रहे हैं। मेरी चिन्ता का विषय यह है कि सारे जिला अस्पतालों को छोड़ दीजिये जितने सरकारी मेडिकल कालेजेस हैं जैसे गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कन्नौज, अम्बेडकर नगर जहां-जहां मेडिकल कालेजेस हैं, वहां यदि डेंगू का कोई मरीज पाजिटिव आ जाता है तो उसकी पुष्टि एलाइजा टेस्ट से ही तो होगी और एलाइजा टेस्ट की स्थिति यह है कि गोरखपुर जैसे मेडिकल कालेज में, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में, झांसी जैसे पुराने मेडिकल कालेज में या तो 70 साल पुरानी मशीनें बन्द पड़ी हुई हैं और या तो वहां टेस्ट की सुविधा नही है। कन्नौज में बदायूं में नही हैं, वह तो नये मेडिकल कालेज हैं। अगर ये डेंगू के मरीजों को सही तरीके से चिन्हित ही नहीं करेंगे तो उनका इलाज कैसे करेंगे, आप बात को घुमा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लें। यदि मेडिकल कालेज में टेस्ट नहीं हो रहा, एलाइजा की साढ़े तीन लाख की मशीन है, तुरन्त मंगवा कर वहां पर काम शुरू करवायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी यह माननीय सदस्य का चिन्ता करना हम भी मानते हैं, चिन्ता होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से स्वास्थ्य विभाग इसके लिए गम्भीर है। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं वह आथेन्टिक आंकड़े दे रहा हूं और माननीय असीजा जी आपको मैं वह स्थिति बता दूं आप उत्तर प्रदेश के लिए चिन्तित हैं, होना भी चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसका समुचित उत्तर आना चाहिए और जब समुचित उत्तर नहीं आता है तो तब ही इस किस्म की बातें होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

जैसे ये घुमा के पूछते हैं, वैसे वह जवाब देते हैं, आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह तो सीधा-सीधा पूछ रहे हैं।

(सदस्य, अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य लल्लू जी, आप भी बैठिये।

श्री शंखलाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अब तक, 9-8-2016 तक इससे दो मौतें हुई हैं। हमारे मा0 सदस्य चिन्तित हैं और हम भी चिन्तित हैं। यह ऑथेन्टिक आंकड़ा है। आप आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं। आप गुजरात का जान लीजिये, आप हरियाणा का जान लीजिये, आप मध्य प्रदेश का भी देखिये, जान लीजिये। आप राजस्थान का भी सुन लीजिये, जान लीजिये।

(सदस्य, अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आपका सवाल तो है नहीं।

श्री शंखलाल मांझी-

अध्यक्ष जी, हम यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। हम अपने सूबे के लिये जिम्मेदार हैं और मैं अपने सूबे के आंकड़े के आधार पर ही कह रहा हूं। हमारा जो आंकड़ा है, यह कोई अखबार का आंकड़ा नहीं है। जो नेशनल हेल्थ स्कीम है हम उसके आंकड़े बता रहे हैं। 2015 में गुजरात में यह आंकड़ा 9 था, हरियाणा में 13 था, मध्य प्रदेश में 8 था, राजस्थान में 7 था, दिल्ली में 60 था, वहीं यू0पी0 में पिछले साल यह 10 था। इस साल केवल 2 मौतें हुई हैं। मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में 37 स्थानों पर जिसमें लखनऊ में अकेले 4 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है और जो आगे व्यवस्था की बात है तो अगर कहीं पर कमी है तो हम उसको पूरा करायेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में डेंगू धीरे-धीरे महामारी का रूप ले रहा है और सरकार आंकड़ों में फंसी हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, यह सवाल स्वाइन फ्लू और डेंगू से सम्बन्धित है। आगरा देश में अपना एक अलग स्थान रखता है और अभी आगरा के मेडिकल कॉलेज में भी स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग नहीं होती है। वहां से सैम्पल लेकर एन0एस0टी0सी0 दिल्ली में भेजा जाता है, जब वहां से 5 दिन बाद रिपोर्ट आती है तब आगे की कार्यवाही होती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सीधे-सीधे दो प्रश्न मा0 मंत्री जी से करना चाहता हूं। पहला यह कि क्या सरकार आगरा के मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू रोग से सम्बन्धित जांच की पूर्ण संसाधित सेट लैब खोलने पर विचार करेगी ? दूसरा, आज जो डेंगू पूरे प्रदेश में फैल रहा है जिसमें अब एक नया स्टैण्ड भी आ गया है। पहले डेंगू स्ट्रेन वन और टू के रोगी ही प्रदेश में पाये जाते थे और अब इसमें नया हुआ है स्ट्रेन 3 और 4 के रोगी भी सामने आ रहे हैं। उस रोग के कारण जो प्लेटलेट्स काउण्ट्स हैं, वे बहुत तेजी से गिर रही हैं तो सरकार को इसकी रोकथाम के लिये प्रयास करने चाहिये। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रदेश में एण्टी लारवा छिड़काव के लिये और फॉगिंग के लिये एक प्लान बनाकर प्रयास करेगी ? क्या सरकार पूरे प्रदेश में जिन बस्तियों में, जिन गांवों में जहां-जहां पानी भर रहा है वहां पर एण्टी लारवा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था करेगी ?

श्री शंखलाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने पहले आगरा में जांच के बारे में पूछा कि आगरा के मरीज को दिल्ली जाना पड़ता है। एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के अलावा एन0सी0टी0सी0 दिल्ली में भी जहां वेस्टर्न यू0पी0 के लोगों का टेस्ट कराया जाता है। विशेष परिस्थितियों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वासरॉलॉजी, पुणे को भेजा जाता है। चूंकि यह जो टेस्ट है, यह सही है और हमारी तो सोच है कि इस तरह के टेस्ट पूरे प्रदेश में हर जगह उपलब्ध हों लेकिन सरकार के अपने संसाधन और इसके लिये विषय विशेषज्ञों की मौजूदगी, उपस्थिति के आधार पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है यह जो आपने आगरा के बारे में पूछा। दूसरा सवाल आपने डेंगू के बारे में किया, डेंगू के बारे में आपने कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, डेंगू के

बारे में मैंने बता दिया कि सरकार इसके लिए संवेदनशील है और हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के डेंगू मच्छर न बनने पावें। इसके लिए जहां तक छिड़काव की बात है वह पहले से आदेशित किया गया है अगर माननीय सदस्य कहीं के लिए पर्टीकुलर किसी जगह या किसी जनपद के लिए कहेंगे तो हम वहां पर इस व्यवस्था को और दुरुस्त करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया अब इस पर बहुत से प्रश्न आ गए हैं। इस पर 20 मिनट हो गया है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं एक अनुपूरक करना चाहता हूं। मान्यवर, यह सीधे उसी से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आप केवल एक सीधे प्रश्न के लिए हमारा संरक्षण करें, माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहलवा दें कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज और झांसी मेडिकल कालेज जैसे पुराने और महत्वपूर्ण इतने बड़े-बड़े क्षेत्रों के मेडिकल कालेज हैं वहां एलाइजा टेस्ट की मशीनें शुरू करवा दें, इतना कार्य करवा दें मान्यवर, भला हो जायेगा। करवा देंगे कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, कहलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब वह नहीं जवाब दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यहां पर सवाल इसलिए आता है कि उसका प्रॉपर उपचार हो जाए, उसकी प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह बात परिलक्षित नहीं होती कि वे उसके प्रति संवेदनशील हैं। शब्द संवेदनशील इस्तेमाल करने से ज्यादा जरूरी है कि संवेदनशीलता अपने व्यवहार और आचरण में दिखायें। मान्यवर, वह दिखायी नहीं पड़ती। मान्यवर, यहां पर सही जवाब आता नहीं है। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन जिले आज इससे प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सरकार संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

संवेदनशील वह है कि नहीं या आप जो कह रहे हैं, वह तो यह सदन समझ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उनका आचरण दिखायी नहीं पड़ता है।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेश खन्ना जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और जब वह कोई बात कहते हैं तो सदन उसका संज्ञान भी लेता है। सरकार संवेदनशील है और संवेदनशील केवल हमारी जुबान से नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जितना कार्य इस साढ़े चार साल में हमारी सरकार ने किया है।

(विपक्ष के सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री शंखलाल मांझी-

सुन तो लीजिए पूरी बात तो सुनिये, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। हम जानते हैं आप उत्तर को सुनना नहीं चाहते हैं। आप सुन लीजिए। आज कह रहे हैं कि तमाम जो मेडिकल कालेज हैं, उसको मैंने पहले कह दिया कि इस सरकार के वित्तीय संसाधन और विषय विशेषज्ञों की कमी है, उसके आधार पर व्यवस्था होगी। जिस बात को आप कह रहे हैं, हम उस पर भी गम्भीर हैं, विचार करेंगे लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि संवेदनशील नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा सुरेश खन्ना जी, माननीय अध्यक्ष जी, 12 जुलाई को इसी डेंगू विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे0पी0 नड्डा साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की थी। मैं उस वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में गया था और सारी तैयारी तथा सारी व्यवस्था को हमने बताया था और माननीय खन्ना साहब आप नहीं बल्कि आपके केन्द्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से न केवल संतुष्ट होने का उन्होंने प्रमाण दिया था और उसकी बधाई दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मच्छरों के रोकथाम के लिए आपने देश के अन्य सूबों में जिनकी आबादी 5 से 7 करोड़ है, वहां पर कितने हजार एल0एल0आई0एन0 (लॉग लास्टिंग इंसेक्टिफाइड नेट) भेजा है। उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ आबादी है और आपने 21 करोड़ की आबादी वालों के लिए मच्छरों से बचाव के लिए जो नेट भेजा है, वह केवल साढ़े तीन हजार भेजा है। माननीय नड्डा साहब यह उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है और पूरा देश आपकी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग देख रहा है, विचार करना चाहिए आपको और यह सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए और उस समय उन्होंने तुरन्त अपने सचिव को निर्देशित किया और मुझसे कहा कि माननीय मांझी साहब हम उत्तर प्रदेश को साढ़े तीन हजार नहीं, पैसठ हजार एल0एल0आई0एन0 नेट भेजेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि उनकी जो घोषणा थी, पूरा देश वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुन रहा था, देख रहा था वह घोषणा केवल घोषणा रह गयी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा की तरह से, आज तक मिला नहीं। हम चाहेंगे.

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं इसमें साढ़े तीन हजार और 65 हजार का फर्क जमीन आसमान का फर्क है मेरे ख्याल से इस पर एक निन्दा प्रस्ताव आ जाय। मान्यवर, इस पर निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए। इन्सानों की जिन्दगी से खेलना 65 हजार की जगह साढ़े तीन हजार इस पर गम्भीर निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए, गम्भीर निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए, शेम कहना चाहिए, शर्म करो कहना चाहिए, शेम कहना चाहिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलने के लिए खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

(नत्थी ख तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

नेता विरोधी दल (श्री गयाचरण दिनकर)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह प्रदेश के नागरिकों के जनस्वास्थ्य से संबंधित मामला है जिसमें सरकार को नागरिकों के हित में संवेदनशील

होकर के जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से दूसरे प्रदेशों के आंकड़े पेश किये जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों से क्या लेना देना हम सरकार में बैठे हैं सरकार कर क्या रही है जनस्वास्थ्य के लिए और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के वक्तव्य क्या हैं, उनके मंत्रियों के वक्तव्य क्या हैं और हम क्या उनका जवाब दे रहे हैं यह नूराकुश्ती समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। जनस्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशील सरकार है इसलिए बहुजन समाजपार्टी इस मामले को लेकर के जहॉ सरकार संवेदनशील नहीं है इस सदन से वाकआउट करती है।

(श्री गयाचरण दिनकर अपने सदस्यों के साथ सदन से वाकआउट कर गये)

*श्रीमती विमला बाथम-

मान्यवर, नोएडा में महामारी फैली हुई है वहां का एक गांव अशर्फाबाद है उसमें 15 दिन में लगभग 16-17 मौते हुई हैं। हमारे माननीय डा0 महेश शर्मा जी ने विजिट किया, मैने स्वयं वहां का विजिट किया लेकिन वहां का कोई संज्ञान विभाग ने नहीं लिया है। जब से हमारे यहां गांव से पंचायत और प्रधानी खत्म हुई हैं उसके बाद से गांव की तरफ एथारिटी का कोई ध्यान नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इतनी अव्यवस्था है जब प्रधानी पंचायती राज व्यवस्था थी तो कम से कम प्रधान अपना काम कराते थे। सांसद और विधायक निधि कितनी होती है उससे सब जगह काम करा नहीं सकते हैं। इस अव्यवस्था से आक्रोश है जनता में, मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसका संज्ञान ले लें।

श्री शंख लाल मांझी-

मान्यवर, जिस गांव के बारे में माननीय सदस्या कह रही हैं, आप जिस बात का उल्लेख कर रही है तो उसका संज्ञान ले लिया गया है। जिस दिन मामला हमारे संज्ञान में आया था उसी दिन हमने सीएमओ नोएडा को भेजा था। एस0डी0एम0 नोएडा और सीएमओ नोएडा उस गांव में गये थे। आंकड़ा आपका भ्रामक है उन 13 मौतों के बारे में जो टी0वी0 और अखबार की सूचना थी उसमें से 3 मौत जून, जुलाई में हुई थी। बाकी की जो मौत हुई उसमें से एक मौत हार्ट अटैक और दो मौतें कैंसर की बीमारी से हुई थी और उनको बुखार भी था। 7 मरीजों के बारे में हमने पता कराया है उनका उसी दिन हमने आदेश भी कर दिया था और वहां पर टीम कैम्प कर रही है और आप कह रही है कि कुछ हुआ नहीं है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की रोकथाम हेतु बनायी गयी कार्य योजना

*01-श्री नदीम जावेद तथा श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2016 तक हत्या, डकैती व बलात्कार सहित बिगड़ती कानून-व्यवस्था को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश में दिनांक 1-4-2016 से 31-7-2016 तक हत्या-1661, डकैती-91 एवं बलात्कार-1234 अभियोग पंजीकृत हुये हैं।

वर्तमान में उ0 प्र0 की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :-

1-आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जाय।

2-साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं :-

(1) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(2) कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(3) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु **महिला हेल्पलाइन-1090** चालू किया जाना।

(4) प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों व उत्पीड़न के मामलों की संवेदनशीलता एवं उनकी रोकथाम के लिये ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। महिलाओं व बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

(5) **समाधान दिवस** पर जनता की शिकायतों को गुण-दोष के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(6) समय-समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिसजनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना।

(7) भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिये जनपदों में बनी हुई दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करते रहना।

3-साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

4-जातिगत एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्यवाही की जा रही है।

5-माफिया, गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

6-महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

7-सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों के खुले प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

8-थानों पर सभी अभियोगों का पंजीकरण कराकर विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा **सी0सी0टी0एन0एस0** के माध्यम से इस कार्य को और अधिक प्रभावी कर दिया गया है।

9-जनता की शिकायतों पर तत्काल सुनवायी कर उसके निस्तारण के लिये व्यवस्था की जा रही है।

10-आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर घटना पर त्वरित कार्यवाही के प्रथम चरण में क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/इलाहाबाद में प्रारम्भ कर दिया गया है शेष प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में भी स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

11-कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

12-सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16-05-2012 एवं 18-07-2016 में उल्लिखित निर्देशों का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें प्रदेश के कोने-कोने का, प्रत्येक वर्ग का नागरिक इस वक्त असहनीय पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, उस विषय पर मैं आपके माध्यम से अनुपूरक पूछता हूं। मान्यवर, यह जो उत्तर दिया गया है मैं देख रहा था, पिछले समय में, इसी सरकार के कार्यकाल में जब-जब कानून-व्यवस्था पर प्रश्न लिया गया है तब-तब यही का यही उत्तर छपा है। मुझे लगता है कि शायद यह प्रिन्टेड उत्तर है जो समय-समय पर हमको सदन में दे दिया जाता है। जब इतने सारे कार्य जैसा कि सरकार ने बताया है कि अपराध को रोकने के लिए, कम करने के लिए किये जा रहे हैं तो मेरा प्रश्न यह है कि इसके बाद भी अपराध कम होना दूर की बात, जितने हैं उतने ही बने रहना भी दूर की बात है, मान्यवर, अपराध दिनोंदिन बढ़ क्यों रहे हैं आखिर क्या वजह है क्या सरकार ने कभी यह बात सोची है। मा0 अध्यक्ष जी, किसी भी अपराध के लिए तात्कालिक घटना चक्र को बताया जा सकता है। एक मामला हम लोगों के सामने था जवाहर बाग में 280 एकड़ की उद्यान विभाग की भूमि थी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछो, इसमें जवाहर बाग कहां से ले आये ?

श्री मनीष असीजा-

अध्यक्ष जी, इसी से सम्बन्धित प्रश्न है, मैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं 280 एकड़ की भूमि, उस पर दो साल से ऊपर....

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं, आप इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछो।

श्री मनीष असीजा-

अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। इसी में प्रश्न है, आपका दो मिनट का संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

कितना संरक्षण करें, आपको सवाल पूछने की तैयारी करके आना चाहिए। जवाहर बाग की बात जब नियम-56 में आयेगा तब सरकार बतायेगी।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, 280 एकड़ की जमीन पर ढ़ाई हजार लोग दो साल से ऊपर लगातार कब्जा करते हैं, डी0एम0 कम्पाउण्ड, जज कम्पाउण्ड के बगल में कब्जा होता है। हाई कोर्ट के आदेश पर जब निर्देश दिया जाता है तो पुलिस के एक ए0एस0पी0 और थानाध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इस सवाल से क्या मतलब ? आप यह पूछिये कि इतनी हत्यायें हुई, इतने केस हुए, इन सबके बारे में पूछिये।

श्री मनीष असीजा-

अध्यक्ष जी, इससे मतलब यह है कि अगर ये 12 बिन्दु का काम सरकार कर रही है तो जवाहर बाग, मथुरा में ढाई साल तक लगातार कब्जा होता रहा, वहां कानून कहां था, सरकार के प्रयास कहां थे ?

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, बैठिये। यह कोई सवाल नहीं है।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब किसी जगह पर बार-बार घटना होती है तो क्या ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस वालों को कार्यवाई न किये जाने के लिए दंडित किया जाता है ? जनपद शामली के कैराना में राम कुमार सिंघल के घर के नीचे से लगातार 10 दिन में तीन बाइक चोरी हुई। तीसरी बार उसकी खुद की बाइक चोरी हो गयी लेकिन कोई कार्यवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। अजन्ता चौक शामली, यह बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है वहां पर तीन दिन में दो लूट और एक डकैती की घटना हुई लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई, सिपाही तक के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, जिम्मेदारी तो बड़े अधिकारियों की बनती है। मान्यवर, मैं यह तथ्य सरकार के संज्ञान में लाया, क्या इस पर कोई कार्रवाई की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कार्रवाई करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कार्रवाई करेंगे भी और करनी भी चाहिए। प्रश्न में जो असल पहलू था, वह यह कि ऐसी घटनायें बार-बार हों और उन लोगों जिस पर उसे रोकने की जिम्मेदारी है, अगर कार्रवाई न हो तो ये बात भी गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जरूर समीक्षा की जायेगी कि इस तरह के तमाम जिले या ऐसे शहर जहां ऐसी वारदातें होती हैं उनमें रिकवरी कितनी हुई और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कितनी हुई, इसे जरूर दिखवायेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रश्न से संबंधित मेरा भी एक सवाल है। आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में संवेदनशील, अतिसंवेदनशील जिले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और शहरों की व्यवस्था की जा रही है लेकिन उसमें कहीं अलीगढ़ का उल्लेख नहीं है। खुद मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी वहां के छात्र रहे हैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अलीगढ़ कितना अतिसंवेदनशील शहर है जब-जब भी कभी थोड़ी बहुत वारदात ईरान-इराक में होती है तब उसका प्रभाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पड़ता है और उसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। उसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पूरे देहात के सभी थानों की पुलिस को शहर में व्यवस्था बनाने के लिए बुला लिया जाता है और देहात की व्यवस्था चौपट हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस तरह के संवेदनशील शहरों में कोई अतिरिक्त व्यवस्था, पुलिस फोर्स या कोई इस तरह की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि देहात के थाने जो हैं वो प्रभावित न हों और उनकी अपनी व्यवस्था चलती रहे और संवेदनशील शहरों में व्यवस्था सुचारू रूप रहे इसके लिए अलग से कोई फोर्स की व्यवस्था करायेंगे ? यह मेरा सवाल है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल ने भावुक सवाल रखा है और सवाल को और भावुक भी बनाया है। लेकिन अगर कहीं पहले ऐसे संवेदनशील हालात रहे और वारदातें भी कुछ इस तरह की हुई लेकिन अगर पूरी तरह कन्ट्रोल हो गया और सरकार इससे मुतमईन हो गयी कि अब वहां इस तरह का साम्प्रदायिक माहौल नहीं है। जहां तक आपने इराक-ईरान का बताया वो बहुत ही लिमिटेड एरिये का है और बहुत ही लिमिटेड विचारधारा के लोगों के बीच का विवाद है और वह पढ़ा-लिखा विवाद है, वह सिर्फ यूनिवर्सिटी कैम्पस में उन्होंने कोई सेमिनार कर लिया या कोई 100-50 स्टूडेण्ट्स का जुलूस निकल गया, वाइस चांसलर को मेमोरेण्डम दे दिया। इसके अलावा काफी अरसे से चूंकि अलीगढ़ एज्यूकेशनल हब हो गया है अब अलीगढ़ सिर्फ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के नाम से नहीं जाना जाता। वह तो खत्म ही हो गई उसे तो कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म ही कर दिया। अब कहां मुस्लिम यूनीवर्सिटी रही। तो उसे अलीगढ़ को अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के नाम से जाना जाय यह तो कानून के खिलाफ भी बात हो रही है। वह अल्पसंख्यक संस्था नहीं रह गई लेकिन क्योंकि अलीगढ़ एज्यूकेशनल हब हो गया है, वहां दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं, इतने बड़े-बड़े कालेज हैं कि वह यूनीवर्सिटी के बराबर खुद में हैं। तो अगर वहां का माहौल अच्छा है और यह सन्देश अगर बाहर जा रहा है कि वह संवेदनशील नहीं है वहां सब कुछ ठीक है तो बाहर से बच्चों के आने में आसानी रहती है और शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती है। हमें आप यह तो कहिये कि अगर कहीं पर कोई कमी हो तो उसे पूरा करें। लेकिन किसी जिले को सम्वेदनशील डिक्येलर कर देने से लोग थोड़ा सा उस जिले में आने से घबराने लगते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, एक लम्बी चौड़ी कार्य योजना कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बताई गई। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जहां बार-बार अपराध हो वहां उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होना चाहिए जो वहां के रक्षक हों। मान्यवर, मुझे याद है अब से 15-20 साल पहले अगर किसी पुलिस अधिकारी पर हमला होता था तो उसका घर तक खोद दिया जाता था हमला करने वाले का।

और मैं ऐसे दो उदाहरण आपको शाहजहांपुर के दे सकता हूं मान्यवर। दूसरी बात इसमें मान्यवर, दिया है हेल्प लाइन 1090 बुलन्दशहर की जो घटना मान्यवर, 29 जुलाई को हुई। 29 जुलाई के पहले दो महीने में दो घटनाएं उसी स्थान पर मान्यवर बुलन्दशहर में हुईं। लेकिन अगर उसका संज्ञान लिया गया होता तो शायद यह स्थिति न पैदा होती। आज पब्लिक परसेप्शन है क्या मान्यवर ? पब्लिक परसेप्शन यह है कि सरकार अगर संदेश देने वाली कोई कार्यवाही करे तो यह कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है, बेहतर हो सकती है। लेकिन मान्यवर, इस चार साल की सरकार में एक भी कार्यवाही नहीं की मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्न मेरा यह है कि यह जो हेल्प लाइन 1090 बताते हैं, उस दिन 29 जुलाई को रात को ढाई घंटे तक बुलन्दशहर में एक मां-बेटी के साथ दुराचार होता रहा। यह 1090 क्या करता रहा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो आपने पूछा था उसी के सन्दर्भ में है जवाब। आप उससे संबंधित प्रश्न करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम जवाब के ऊपर बात कर रहे हैं मान्यवर। पुलिस के ऊपर साढ़े ग्यारह सौ हमले हुए हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न थानों में। कानून-व्यवस्था की स्थिति मान्यवर, आज तक..

श्री अध्यक्ष-

जब वह आयेगा तो उस पर बोलियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उस पर बोलेंगे। लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि 1090 29 जुलाई की रात को क्या कर रहा था कि जिसकी वजह से, अगर 1090 उठ जाता तो वह घटना मान्यवर, बच जाती। वह घटना नहीं होती मान्यवर, वह घटना रोकी जा सकती थी। मेरा कहने का मतलब यह है मान्यवर, कि इतने उपचार बताये हैं, बताया गया था कि तैनाती की स्थिति क्या है ? थानेदार कैसे तैनात हो। ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर तैनात हो और तीसरी अंतिम चीज मान्यवर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2006 का पुलिस सुधार के बारे में, उसके बाद हाई कोर्ट मान्यवर रोज कहता है कि तफतीश और कानून व्यवस्था की स्थिति दोनों चीज अलग अलग कर देना चाहिए। मान्यवर, आज भी मैंने किसी अखबार में देखा है कि हाई कोर्ट से कल परसों में एक निर्णय हुआ उसमें भी यह कहा गया कि 10 दिन के अंदर ऐसा कर दें। मान्यवर, यदि सरकार की मंशा होती कानून व्यवस्था को सुधारने की तो उन उपायों पर चर्चा की जाती, उन उपायों के ऊपर अमल किया जाता जो वास्तव में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये कारगर होते। हमारे साथी ने पूछा जवाहर बाग की घटना के बारे में।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जवाहर बाग की घटना क्या कानून व्यवस्था से संबंधित नहीं है ? एक डी0एस0पी0 मारा गया, एक दरोगा मारा गया। आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जिस दिन थानेदारों की मांग....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे तीन सवाल हैं। 1090, तफतीश कानून व्यवस्था से अलग करना और जब पुलिस की पिटाई होती है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता ? यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, 10 साल पहले घर खोद दिया जाता था आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। लेकिन यह भोंडी मिसाल है, इसलिए भोंडी मिसाल है कि कोई भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और अगर इसकी इजाजत देता है तो सदन से कानून बनाईए ऐसे मामलात में ऐसा किया जाना चाहिए। आपकी तरफ से मांग आई है इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि आपकी इस मांग का किस हद तक संज्ञान लिया जाए और यह बात भी याद रहे कि हमारी विचारधारा वह नहीं है समाजवादियों की, हमारी विचारधारा कानून के दायरे में रहकर ही मामलात को हल करने की है। हमारी विचारधारा यह नहीं है कि किसी राज्य में कोई छात्र अपनी मांग को लेकर निकले और उसके ऊपर ऐसे मुकदमें कायम कर दिए जाएं कि उसे फांसी तक लगा दी जाए। हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है लोगों को दहशतजदा करने के लिए, हम उनकी बस्तियों में जाकर कहें कि अगर वोट नहीं दोगे तो याद रखना फिर, पिछला अंजाम भूल गए, यह विचारधारा नहीं है तो जो भी समस्याओं का हल और निराकरण होगा वह कानून के दायरे में होगा, जो जैसा अपराध करेगा, क्योंकि आपकी आदत है सुप्रीम कोर्ट का स्टे, एकता परिषद् का रेजोलूशन, मुख्य मंत्री का हलफनामा इसके बावजूद भी आप कानून हाथ में लेते हैं और आज देश भी उसकी कितनी कीमत अदा कर रहा है [x x x] यह है आपका सच, आप इस सच के दायरे में हैं, बड़ा कड़वा सच है, बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत माफी चाहते हैं इसीलिए हम संविधान के देश में, देश चलाने वाले को प्रधानमंत्री नहीं बादशाह कहते हैं क्योंकि बादशाहों की जवान से निकला हुआ हर शब्द इंसाफ होता है चुनांचे जो आप कहते हैं वह इंसाफ होता है। घर खुदवा दिए जाएं यह सुझाव है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है लेकिन हम कोई काम कानून को हाथ में लेने वाला नहीं कर सकते हैं जिस जुर्म की जो सजा है वही मिलेगी। उससे ज्यादा और उससे कम नहीं।

(शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल प्रश्न के जवाब में था मेरा उद्देश्य केवल यह था कि संदेश देने वाली कार्यवाही नहीं हुई और मैं इस बात पर फिर से बल देता हूं मान्यवर, यह तो घुमाने में और भटकाने में माहिर हैं इसी बात की तो इन्होंने पी0एच0डी0 कर रखी है मान्यवर, कि किस तरह से

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मामले को घुमा दिया जाए, किस तरह से इश्यू को डाल्यूट किया जाए अपनी जिम्मेदारी से भागना, कानून व्यवस्था के संबंध में संदेश देने वाली कार्यवाही न करना, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब करने का अगर सबसे बड़ा श्रेय है किसी को, तो श्रीमान् आजम खां संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को है, सुप्रीम कोर्ट ने कल इनके बारे में टिप्पणी की थी अगर जरा भी नैतिकता है तो यह इस्तीफा देकर घर चले जाएं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं और मेरा दल कानून-व्यवस्था सही न होने के कारण सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बर्हिगमन किया)

(नत्थी-ख पुकारा गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी एक व्यक्तिगत बात कही गई है कि सुप्रीमकोर्ट ने मेरे बारे में टिप्पणी की है। यह सही है मान्यवर वही तथ्य जो अदालत में रखे जाएंगे कोर्ट जाहिर है उसी पर अपनी टिप्पणी देगी और अदालत ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है सबसे बड़ी अदालत है मैं जाहिर है पीड़ित परिवार के दुख से उसकी तकलीफ से इतना प्रभावित हूं कि मैंने यहां तक कहा कि ऐसे मामलात में बल्कि बलात्कार के मामलात में इस्लामी कानून यह है कि एक सप्ताह के अन्दर फैसला हो जाना चाहिए और मुजरिम को पत्थरों से मारकर संसार करके मार देना चाहिए यह मेरी विचारधारा है। जो मुकदमें कायम हो गए वह सी0आर0पी0सी0 की मैक्जिमम धाराएं थीं उनमें कायम हो गए जो अफसरान को सजा दी जा सकती थी वह हो गई लेकिन एक सरकार के मंत्री होने के नाते और वरिष्ठ मंत्री होने के नाते संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं यह बात भी जानना चाहूं कि पांच वाकयात एक ही दिन में एक ही तरह के हुए इसके पीछे का सच क्या है यह अगर मैं जानना चाहता हूं और मेरी सरकार कि उसके पीछे का सच क्या है ? सी0बी0आई0 जांच हो रही है सरकार भी चिन्तित है कि एक ही किस्म के इतने वाकयात एक साथ कैसे हो गए उस पर मैंने एक शेर कहा था कि मैंने जब अपने गिरेबां के किए थे टुकड़े तुमको क्यों अपना गिरेबां याद आया। आप क्यों परेशान हैं जांच हो जाएगी न किसी राजनैतिक दल का न किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया गया कोई भी हो सकता है लेकिन जब हम जांच की बात कर रहे हैं कि इसका सच सामने आए तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। सुप्रीमकोर्ट में जवाब दिया जाएगा लेकिन इनकी विचारधारा के तहत घर खोद दिए जाएं महल ढहा दिए जाएं मार दिया जाय तेजाब में गला दिया जाय लटका दिया जाय यह विचारधारा इनकी विचारधारा हो सकती है जो चले गए हैं हमारी यह विचारधारा नहीं है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम हेतु बनायी गयी कार्य योजना

*02-श्री सुरेश राणा तथा श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह जनवरी, 2016 से दिनांक 10-08-2016 तक साम्प्रदायिक तनाव के कितने प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये हैं तथा उनमें

संलिप्त लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 10-08-2016 तक प्रदेश में कुल 03 साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें घटित हुई हैं, विवरण निम्नलिखित है :-

1-फतेहपुर :-

दिनांक 14-01-2016 को मकर संक्रान्ति उत्सव समिति विश्व हिन्दू परिषद्/बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में कस्बा/थाना जहानाबाद में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर समुदाय विशेष की महिलाओं/लड़कों द्वारा बैण्ड बाजे को रोककर गाना बजाने व नाचने से मना किये जाने पर उनके मध्य वाद-विवाद/मारपीट, तोड़फोड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 14-01-2016 को थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-10/16 धारा-147/148/149/307/369/332/336/435/436/153ए भादवि व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट बनाम कल्लू आदि 37 व्यक्ति नामजद तथा 250 नाम/पता अज्ञात पंजीकृत कर 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-11 से 17/2016 पंजीकृत कराये गये। मु0अ0सं0-10/16 में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-ए-17/16 दिनांक 19-02-2016 मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 08 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जिनमें से 04 के विरुद्ध एन0बी0डब्लू0 प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इनमें से 01 अभियुक्त दिनांक 18-05-2016 को हाजिर अदालत हो गया है। शेष अभियोग विवेचनाधीन है।

2-आगरा :-

दिनांक 25-02-2016 को मीरा हुसैनी चौराहा थाना मण्टोला में अरुण माहौर पुत्र रमेश चन्द्र निवासी म0 नं0-16/337 नाला मण्टोला, थाना मण्टोला, जनपद आगरा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिससे बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ढाकसन चौराहे पर मार्ग विरोध किया गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई द्वारा थाना मण्टोला पर मु0अ0सं0-08/2016 धारा-147/148/149/302/323/504/506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का पंजीकरण कराया गया, जिसमें नामजद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

3-आजमगढ़ :-

ग्राम खुदादादपुर, थाना निजामाबाद निवासी मुसाफिर राम मोटर साइकिल से रानी की सरांय से घर पर आ रहा था। ग्राम के बाहर दानिश व उसके 4-5 साथियों द्वारा होली के दिन हुई मारपीट की घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप दिनांक 14-05-2016 को पुनः विवाद/मारपीट की गई। समुदाय विशेष द्वारा मुसाफिर राम के मकान में आग लगा दी गई तथा पुलिस पर पथराव व फायरिंग की गई। दिनांक 16-05-2016 को बवाली मोड़ कस्बा व थाना-मुबारकपुर में 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा

अमीरचन्द, रामजीत यादव व पारसनाथ गो पर डण्डे से हमला कर दिया गया। घटना के समय मौके पर पुलिस बल पर पथराव किया गया। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-49/2016 धारा-452, 323, 427, भा0द0वि0 व 3 (1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट बनाम अज्ञात व मु0अ0सं0-50/2016 धारा-147, 148, 149, 307, 323, 342, 383, 336, 504, 332, 335, 151, 427 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट बनाम कलाम आदि 250-300 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग 49/2016 की विवेचना के दौरान प्रकाश में 08 अभियुक्तों में से 04 को जेल भेजा गया था तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-20/2016 दिनांक 27-06-2016 को मा0 न्यायालय भेजा गया तथा अभियोग 50/2016 की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 12 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-71/16 दिनांक 26-06-2016 प्रेषित किया गया, जिसमें 02 अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में योजनाबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर पूर्व में शासनादेश निर्गत किये गये हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 08-09-2013 द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने में सक्षम तत्वों को तत्परता से चिन्हित करते हुए उनकी निषेधात्मक गिरफ्तारी को अमल में लाये जाने, जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनायें घटित हुयी हैं, वहां समुचित रूप से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अराजक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी किये जाने, शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित किये जाने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किये जाने, प्रत्येक संवेदनशील स्थान पर समुचित पुलिस व्यवस्था को पिकेट सुनिश्चित किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0/वीडियो कैमरा आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी रखे जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18-07-2016 द्वारा प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0 को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि साम्प्रदायिक सद्भाव प्रत्येक दशा में बना रहना चाहिए। अराजक तत्वों जो साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही भी की जाए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सुरेश राणा व श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है इसलिए मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गए)

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं आ गया हूं इसलिए मेरा प्रश्न ले लिया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी जो व्यक्ति..

श्री अध्यक्ष-

वह प्रश्न हो गया। उस पर आप सदन से बर्हिगमन कर गए थे अब अगला प्रश्न लेने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है। उस व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्तिगत आक्षेप यह न तो सदन की परम्परा है न ही नियम है कौन अपनी मां से कैसे व्यवहार करता है कोई अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करता है यह कहने वाले कौन होते हैं यह सरकार का जवाब है। यह संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सच्चाई तो देश की तमाम मांएं जानना चाहती हैं। तमाम बहन बेटियां जानना चाहती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह कार्यवाही से निकाला जाए। यह जिस प्रकार से जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखते हैं।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे)

श्री मोहम्मद आजम खां-

देश के बादशाह का देश के साथ क्या आचरण है कहा यह था कि 100 दिन के अन्दर पड़ोसी दुश्मनों से निपटा जाएगा सरकार आने के 100 दिन के अन्दर कश्मीर का मसला हल किया जाएगा, दुश्मनों से निपटा जाएगा लेकिन 100 दिन के अन्दर निपटना तो दूर की बात घुटने टेक दिए बादशाह ने पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के घर जाकर घुटने टेक दिए मैं जानना चाहता हूं पूरा देश जानना चाहता है कि सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए जिस कमरे में गए थे बादशाह जिस कमरे में नवाबशरीफ के साथ बैठे थे उस कमरे में कौन-कौन था यह देश जानना चाहता है।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

(वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, उसको एक मिनट भी मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इन्हें संसदीय परम्पराओं का ज्ञान नहीं है।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य श्री वसीम अहमद एवं श्री जाहिद बेग अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर केन्द्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको दिखवा लूंगा। आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जाईये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल में सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं अपराह्न 12.20 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 55 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

नोट :-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली वारदातों के रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाये जाने की मांग

*3-डा0 धर्मपाल सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2016 में आये दिन डकैती, हत्या, लूट की वारदातों में तेजी से वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई सख्त कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

दिनांक 01-01-2016 से 31-07-2016 तक की अवधि में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर डकैती, हत्या एवं लूट की घटित घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

अपराध शीर्षक	वर्ष	
	2015	2016
डकैती	32	16
हत्या	34	18
लूट	163	160

इस प्रकार विगत वर्ष के सापेक्ष आलोच्य अवधि में डकैती में 50 प्रतिशत, हत्या में 47.06 प्रतिशत एवं लूट में 01.84 प्रतिशत कमी आयी है। उक्त अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 105 में गैंगेस्टर एवं 65 में गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही भी की गयी है।

हाई-वे सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त अस्थाई चेकपोस्ट, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, अतिरिक्त पेट्रोल कारें, गश्त/चेकिंग व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी हाई-वे पेट्रोलिंग की व्यवस्था करायी गयी है।

अपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कराकर, विशेषकर हाई-वे पर, पुलिया, नहर, नाला, जंगल आदि स्थानों पर नेशनल हाई-वे/स्टेट हाई-वे अथारिटी से सम्पर्क कर सम्यक् प्रकाश व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। हाई-वे में स्थित थाना व चौकियों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

''वेब साइट क्राइम मैपिंग सिस्टम'' में ''हाट स्पाट'' चिन्हित कर सुनियोजित गश्त/पिकेट व चेकिंग कराकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध रासुका, गैंगेस्टर ऐक्ट, गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी करायी जा रही है।

उक्त अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के नेतृत्व में ''क्राइम ब्रांच'' की स्थापना की गयी है। वैज्ञानिक विधि एवं तकनीकी तरीके से साक्ष्य संलग्न करने की कार्यवाही की जाती है। सशक्त पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

*01-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के निकायों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारियों का वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कराये जाने के सम्बन्ध में

*02-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की निकायों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारियों का वेतन का भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से किये जाने की नीति है ? यदि हां, तो कितने स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा उक्त नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में नीति बनाकर अनिवार्य रूप से चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारियों का बिचौलियों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने हेतु इनके वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। नगर स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1995, दिनांक 24 सितम्बर, 1997 एवं दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निकायों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों, जिनमें सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान चेक से किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 08-11-2012 एवं दिनांक 09 जनवरी, 2014 निर्गत किया गया है।

प्रदेश की 531 निकायों द्वारा शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है। शेष निकायों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सड़कों पर यातायात नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने की मांग

*03-डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस कर्मियों की भारी कमी है तथा यातायात पुलिस पर जरूरी उपकरणों व संसाधनों का भी अभाव होने के कारण सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने बेहतर यातायात व सड़क हादसों को रोकने के लिए उक्त कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्य-योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में यातायात पुलिस कर्मियों की भारी कमी नहीं है और न ही यातायात पुलिस के पास उपकरणों व संसाधनों का अभाव है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें उक्त कारणों से नहीं बल्कि यातायात नियमों का अनुपालन न करने, अनियंत्रित गति से वाहन चलाये जाने आदि के कारण हो रही है।

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विकसित होने एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यातायात पुलिस का नियतन कम होने के कारण यातायात व्यवस्था का संचालन करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 14-12-2015 द्वारा यातायात पुलिस में निम्नवत् अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मियों की वृद्धि की गयी है :-

निरीक्षक, यातायात	उप निरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल
86	1069	3431	8595	13181

प्रदेश में यातायात के सुगम संचालन हेतु आधुनिकीकरण योजना एवं उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि से यातायात उपकरण क्रय किये जा रहे है। प्रदेश में वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सुगम यातायात संचालन हेतु पुलिस द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन कराये जाने हेतु समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा यथावश्यक जुर्माने की धनराशि भी वसूल की जाती है।

यातायात प्रबन्धन एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इस योजना को जनपद लखनऊ एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्यूलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाइजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाये जा रहे हैं। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर उनका निस्तारण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में शुद्ध पेयजल हेतु विशेष कार्य योजना

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भू-गर्भ जल में क्लोराइड, फ्लोराइट तथा नाइट्रेट एवं कहीं-कहीं आर्सेनिक भी मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो इसके लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

प्रदेश के 66 जनपदों के 508 विकास खण्डों की 8667 ग्रामीण बस्तियां आर्सेनिक, नाइट्रेट फ्लोराइड टी0डी0एस0 एवं आयरन जैसी रसायनिक अशुद्धियों से प्रभावित हैं।

रसायनिक अशुद्धियों से प्रभावित उक्त क्षेत्रों/बस्तियों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के गुणता प्रभावित एवं इयर मार्क वाटर क्वालिटी घटक के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की रसायनिक अशुद्धियों से प्रभावित बस्तियों में अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों, आर्सेनिक रिमूवल यूनिट एवं गहरे नलकूपों पर आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक तथा पू0उ0 विद्यालयों में राष्ट्रीय मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

*05-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने प्राथमिक तथा पू0उ0 विद्यालय संचालित हैं और क्या उसमें राष्ट्रीय मानक के अनुसार शिक्षक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार उक्त की कब तक नियुक्ति पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)-

बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालय 113114 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 45624 संचालित हैं।

विद्यालय में राष्ट्रीय मानक के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के नियंत्रण हेतु सरकार से नयी कठोर नीति बनाने की मांग

*06-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के नियंत्रण के लिये सरकार नयी कठोर नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रदेश में एक रणनीति बनाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है :-

1-शासनादेश संख्या-1931-पी/छः-पु0-06-16-300(13)/14, दिनांक 31-03-2016 द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण हेतु प्रदेश में 02 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का गठन किया गया है।

(i) साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गोमती नगर लखनऊ। इस थाने के अन्तर्गत लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं गोरखपुर जोन के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों से सम्बन्धित मामले दर्ज किये जायेंगे।

(ii) साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश इस थाने के अन्तर्गत मेरठ, बरेली एवं आगरा जोन के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों से सम्बन्धित मामले दर्ज किये जायेंगे।

उपरोक्त थाने एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में कार्यरत हैं तथा इन थानों द्वारा गम्भीर साइबर अपराध एवं 25 लाख रुपये से अधिक के साइबर फ्राड के मामले दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

2-जनपद स्तर पर साइबर अपराध की विवेचना हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के अधीन जनपदीय साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा साइबर अपराधों की विवेचना की जा रही है।

3-जनपदों में पंजीकृत साइबर अपराधों की विवेचना के कार्यों में तकनीकी एवं वैज्ञानिक मदद उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में क्रमशः आगरा एवं लखनऊ में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की गयी है।

4-साइबर अपराधों की विवेचना में फोरेंसिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक मदद उपलब्ध करने हेतु फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, लखनऊ, गाजियाबाद एवं गोरखपुर को उच्चीकृत किया गया है। इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटीज द्वारा साइबर क्राइम की विवेचनाओं में साक्ष्य एकत्रित करने एवं साक्ष्यों के विश्लेषण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक मदद विवेचकों को प्रदान की जाती है।

5-फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूब, गूगल +, फ्लिकर विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म का दुरुपयोग करने एवं इन माध्यमों से समाज में विद्वेष फैलाने, किसी की धार्मिक भावना एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसे अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदेश में पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय एवं एस0टी0एफ0 कार्यालय में सोशल मीडिया कमाण्ड एण्ड रिसर्च सेण्टर की स्थापना की गयी है। इस सेण्टर पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चल रहे संदेश के रुझान का विश्लेषण कर इनसे प्रभावित हो सकने वाली कानून-व्यवस्था का आंकलन किया जाता है एवं तद्नुसार सर्वसम्बन्धित को सचेत कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैं। इस तरह के आपत्तिजनक भड़काऊ सन्देश के प्रेणता का पता करने का प्रयास इस सेक्टर द्वारा किया जाता है तथा सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस तरह के आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सन्देश को ब्लाक करने हेतु भी इस सेण्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सन्देश के खण्डन के लिये डिजिटल वालेण्टियर बनाये गये हैं। इसके

अतिरिक्त अन्य माध्यमों यथा समाचार-पत्र, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी इस तरह के सन्देशों का खण्डन किया जाता है एवं सही तथ्य आम नागरिकों तक प्रेषित किया जाता है। सोशल मीडिया कमाण्ड एण्ड रिसर्च सेण्टर में उपलब्ध तकनीकी सुविधा का उपयोग सभी परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जा सकता है। इस हेतु उन्हें लॉग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड दिये गये हैं।

6-पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*07-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिये जाने के विषयक

*08-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिये जाने के संदर्भ में क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-57476/2013 शिव कुमार पाठक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18-8-2015 द्वारा प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा मा0 न्यायाधीशों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कराने हेतु आदेश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा विशेष अपील सं0-414 डी/2016 उ0 प्र0 राज्य बनाम शिव कुमार पाठक योजित की गयी है, जो मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के कैराना सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से भय एवं आतंक के कारण नागरिकों के पलायन को रोकने तथा पुनः वापस लाने की ठोस कार्य योजना की मांग

*09-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भय, आतंक, रंगदारी, गुण्डागर्दी के कारण जनपद शामली के कैराना सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से नागरिकों के हो रहे पलायन की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे हो रहे पलायन को रोकने और पलायन करके गये लोगों को पुनः वापस लाने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने विषयक

*10-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ व झारखण्ड राज्यों की भांति प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

आगरा नगर के दयालबाग के दयानन्दबाग कालोनी में गैस पाइप लाइन डालने से जर्जर हुई सड़क व नाली के निर्माण विषयक

01-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में दयालबाग के दयानन्द बाग कालोनी की सड़क व नाली, सीवर/गैस की पाइप लाइन डालने के कारण वहां की सड़क व नाली काफी जर्जर हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जल निगम द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सीवर लाइन डाली गयी थी, जिसके उपरान्त सड़क की मरम्मत करा दी गयी थी। वर्तमान में सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग/नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में कमलानगर के कावेरीकुंज फेस-2 मकान नं0-107 से 123 तक की जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की मांग

02-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में कमलानगर के कावेरी कुंज फेस-2, मकान नं0 107 से 123 तक की सड़क व नाली काफी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के एस0आर0के0 डिग्री कालेज से गंज मोहल्ला चौराहे तक एवं रामलीला तिराहे से हनुमान रोड से दुली चौराहे तक सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

03-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के एस0आर0के0 डिग्री कालेज से गंज मोहल्ला चौराहे तक एवं रामलीला तिराहे से हनुमान रोड से दुली चौराहे तक नगर निगम फिरोजाबाद हाट मिक्स प्लांट द्वारा मात्र 4-5 महीने पूर्व बेहद घटिया सामग्री से बनाये गये मार्गों पर जगह-जगह गड्ढ़े और सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र सं0 क-5 नं0-559332, दिनांक 01-08-2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्ष 2015 में निर्मित की गयी प्रश्नगत सड़क की जांच लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी द्वारा करायी गयी है, जो सन्तोषजनक पायी गयी है। कार्य की अनुरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह सड़क होलिका दहन वाले लगभग 6 स्थानों पर अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है। बरसात के उपरान्त सड़क ठीक करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग से दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक जानकारी

04-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक हाट मिक्स से बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में घटिया निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र सं0 क-5 नं0-559331, दिनांक 01-08-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक वर्ष 2014 में हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य की जांच ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फिरोजाबाद में करायी गयी थी। जांच में कार्य सही/सन्तोषजनक पाया गया। कार्य की अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में माह जुलाई, 2016 में अतिवृष्टि होने के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर जलभराव से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत बरसात के बाद की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला शान्ती नगर की नालियों एवं गलियों के बेहद घटिया क्वालिटी के कारण क्षतिग्रस्त होने एवं दोषियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई

05-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला शान्ती नगर, आसफाबाद क्षेत्र में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा करीब 4-5 माह पूर्व कराये गये गलियों एवं नालियों का निर्माण बेहद घटिया क्वालिटी का होने के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो जाने एवं उक्त के सम्बन्ध में जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र सं0 क-5 नं0-559328, दिनांक 01-08-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत गली में ठेकेदार द्वारा कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया था, जिसे तुड़वाकर पुनः कार्य मानक अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में निर्मित गलियां कहीं भी क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्दर आने वाले कतिपय ग्राम पंचायतों में लगे खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत कराये जाने विषयक

06-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्दर आने वाले ग्राम पंचायत परडी-मस्जिद के पास, ग्राम मैलानी वाजिद-प्रा0 विद्यालय के पास व प्रभाकर के घर के पास, ग्राम पं0 बडोखर-अयोध्या के घर के पास, ग्राम पं0 तुर्कवलिया उर्फ करमहिया-सत्तार विसिमिल्लाह व राम सिंह के मकान के पास तथा भटपुरवा चौराहे पर मन्दिर के पास, केदौली ग्राम पंचायत के दक्षिण सड़क के किनारे, पिरैला चौराहे का, नकथर खलिहान का, अतरडीहा चौराहे का,

गन्धरिया बुजुर्ग के मस्जिद के पास लगे हैण्डपम्प वर्षों से खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत कराकर ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

जी हां।

जी हां।

ग्राम पंचायत मैलानी साहेब वाजिद के प्राथमिक विद्यालय के पास व प्रभाकर के घर के पास स्थापित हैण्डपम्प का मरम्मत करा दिया गया है। ग्राम पंचायत-तुरकौलिया उर्फ करमहिया में सत्तार के घर के पास स्थापित हैण्डपम्प रि-बोर हो गया है। बिस्मिल्लाह के घर के पास लगे एवं भटपुरवा चौराहे पर मन्दिर के पास लगे हैण्डपम्प का मरम्मत करा दिया गया है। शेष हैण्डपम्पों को रि-बोर करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बस्ती को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या-1366 दिनांक 22-08-2016 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नवसृजित नगर पंचायत रुधौली का वर्ष 2016-17 में परियोजनाओं में नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित धन की जानकारी

07-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नवसृजित नगर पंचायत रुधौली के लिए वर्ष 2016-17 के लिए किन-किन परियोजनाओं के लिए कितना-कितना धन नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पंचायत रुधौली को अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 118.95 लाख तथा चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रु0 26.68 लाख आवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

08-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनायी गयी हैं तथा इसमें कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार प्रदेश के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के अन्त्येष्टि स्थलों को भी बाउण्ड्रीवाल से सुरक्षित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 4648 कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनवायी गयी है तथा इसमें कुल रु0 490.0523 करोड़ का व्यय हुआ है।

जी हां।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तानों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के अन्त्येष्टि स्थलों को जिला चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 केडीए कालोनी दहेली सुजानपुर में ई-40 से ई-2/59 तक की सड़क निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

09-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-07-16, पत्रांक 660 जोकि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 केडीए कालोनी दहेली सुजानपुर में ई-40 से ई-2/59 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क निर्माण कराये जाने हेतु व्ययानुमान तैयार करा लिया गया है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 कोयला नगर में अपोलो टायर वाली गली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

10-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 कोयला नगर में अपोलो टायर वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर को दिनांक 17-07-16 को प्रेषित पत्रांक 666 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनाधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र) के अन्तर्गत स्थित है। शासनादेश संख्या-05097/9-आ-3-2001 (आ0ब0), दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटी क्षेत्र के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के निर्माण कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर का है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 न्यू आजाद नगर में शिवानी ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में नाले के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

11-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 न्यू आजाद नगर में यदुवंशी गेस्ट हाउस, शिवानी ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम

कानपुर नगर को दिनांक 18-07-16 को प्रेषित पत्रांक 674 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत नाला निर्माण कराये जाने का व्ययानुमान तैयार करा लिया गया है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 कोयला नगर अवधपुरी सोसाइटी में नई सीवर लाइन बिछाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

12-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 कोयला नगर अवधपुरी सोसाइटी में नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर को दिनांक 28-07-16 को प्रेषित पत्रांक 720/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-2 के 10 पार्क एवं जोन-3 के 5 पार्कों के सुन्दरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

13-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को दिनांक 29-05-16, पत्रांक 441/16 एवं दिनांक 18-07-16, पत्रांक 675 जोकि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड जोन-2 के 10 पार्क एवं जोन-3 के 5 पार्कों का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दिनांक 21-11-15 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जोन-2 स्थित 10 पार्कों में से कुछ पार्कों के सुन्दरीकरण हेतु आगणन तैयार किया जा रहा है तथा कुछ के सुन्दरीकरण का कार्य प्रगति पर है। जोन-3 स्थित 04 पार्कों के सुन्दरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 01 पार्क के सुन्दरीकरण का आगणन तैयार कराया जा रहा है। विवरण निम्नवत् है :-

<u>जोन-2</u>

के0डी0ए0 कालोनी दहेली सुजानपुर में केसा के पास ई0डब्ल्यू0एस0-64 के सामने के पार्क, दहेली सुजानपुर के0डी0ए0 कालोनी में एल0आई0जी0 183 के सामने के पार्क, श्यामनगर डी0-ब्लाक में द्वारिकाधीश उद्यान पार्क तथा रामपुर के0डी0ए0 कालोनी में पार्क के सुन्दरीकरण हेतु आगणन तैयार

किया जा रहा है। सी0-ब्लाक श्यामनगर में सिद्धेश्वर पार्क में श्यामनगर ई-ब्लाक में मिश्रा आटा चक्की के पास कृष्णा पार्क में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सी-ब्लाक श्यामनगर स्थित मन्ना बाबा पार्क में मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिये जायेंगे। जाजमऊ गंगा विहार सुभाष पार्क व विजय पार्क का कार्य प्रगति पर है तथा शास्त्री पार्क का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। कर्मचारी नगर में सैदुल्लापुर स्थित पार्क में बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। सुन्दरीकरण का कार्य धन उपलब्धता के आधार पर शीघ्र करा दिया जायेगा।

जोन-3-

बाबूपुरवा में ब्लाक नम्बर-257 के सामने पार्क में पाथ-वे बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्व में कराया जा चुका है तथा मरम्मत आदि के लिये आगणन तैयार कराया जा रहा है। शेष अन्य 04 पार्कों के सुन्दरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में अरविन्दपुरम पश्चिमपुरी शास्त्रीपुरम की जर्जर सड़क के पुनः निर्माण करवाये जाने विषयक

14-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में अरविन्दपुरम फेस-बी पश्चिमपुरी शास्त्रीपुरम की लगभग 60 मीटर सड़क काफी जर्जर है जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा से बाहर है। यहां कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के गोला तहसील मुख्यालय पर दीवानी न्यायालय की स्थापना करवाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की मांग

15-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में नगर विकास मंत्री का पत्रांक सं0 2249/वी0आई0पी0मा0मं0सं0नि0वि0 2015, प्रमुख सचिव न्याय को 28-12-2015 को गोरखपुर जनपद के गोला तहसील मुख्यालय पर दीवानी न्यायालय की स्थापना हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन है। किसी भी नये न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति/सहमति आवश्यक होती है। अतः पत्र संख्या-सी0एम0-07/सात-न्याय-2-2016-202(24)/76, दिनांक 16 अगस्त, 2016 के माध्यम से प्रश्नकर्ता के पत्र को महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-25/2015/1464/सात-न्याय-2-2015-216जी/2007, दिनांक 24-11-2015 के माध्यम से प्रदेश के 92 तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालयों की

स्थापना/पदों का सृजन किया गया है, जिसमें जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना/पदों का सृजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद की गोला तहसील के अन्तर्गत अन्त्येष्टि स्थलों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की मांग

16-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में नगर विकास मंत्री का दिनांक 28-12-2015 को पत्रांक सं0-2243/वी0आई0पी0/मां0मां0मं0न0वि0 2015 जोकि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर अन्त्येष्टि स्थल के जीर्णोद्धार एवं निर्माण हेतु आपका आदेश, सचिव, नगर विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जिलाधिकारी के माध्यम से सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित आगणन प्राप्त होने पर वांछित धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर क्षेत्र में सीवर की खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की मांग

17-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 08-06-2016, 09-06-2016, 15-06-2016 तथा 29-06-2016 जोकि इलाहाबाद नगर क्षेत्र में सीवर की खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों को नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कराने हेतु हैं, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उल्लिखित पत्रों में से दिनांक 08-06-2016 एवं 09-06-2016 के पत्र प्राप्त हुए हैं।

उल्लिखित पत्र सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण से सम्बन्धित हैं, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु नगर निगम, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद में फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-2014 में न्यू रामगढ़ रोड की पुलिया से जलेसर रोड तक दोबारा हाट मिक्स सड़क के निर्माण करवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

18-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-2014 में रहना नाले की पटरी पर मथुरा

नगर तक, न्यू रामगढ़ रोड की पुलिया से जलेसर रोड तक बनाये गये सी0सी0 मार्गों पर दो से सवा दो वर्ष के अन्दर ही नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत दोबारा हाट मिक्स सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 154832, दिनांक 24-05-2016 एवं नगर विकास मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 154833, दिनांक 24-05-2016 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का अधिकांश भाग वर्तमान मा0 विधायक एवं तत्कालीन पालिकाध्यक्ष के कार्यकाल वर्ष 2008-09 में बनाया गया था, जो वर्तमान में काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। प्राधिकरण द्वारा बनाया गया आंशिक भाग भी वर्तमान में क्षतिग्रस्त था, जो असमतल में राइडिंग सरफेस पूर्णतः विलुप्त होने के कारण अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य था। यहां यह भी अवगत कराना है कि तकनीकी रूप से सी0सी0 निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो जाय, उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, अपितु उसका पुनः निर्माण ही किया जा सकता है। नियमतः मार्गों का सी0सी0 निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है। इसलिये उक्त मार्ग को राइडिंग सरफेस के रूप में मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय हित में तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न उप मार्ग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है एवं कई मोहल्लों, आबादी तथा यातायात के आवागमन को सुगम बनाता है। नगर में तत्समय राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य महत्वपूर्ण मार्गों/बाजारों में प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती थी, जो यातायात की प्रमुख समस्या थी, जिसके निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त व पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के साथ सघन स्थलीय निरीक्षण व विचार-विमर्श उपरान्त सी0एल0 जैन कालेज के सामने स्थित पुलिया एवं झील की पुलिया का चौड़ीकरण शहर में आने वाले अधिकांश ट्रैफिक जो जलेसर रोड, मथुरा नगर, कृष्णा नगर, कोटला रोड, कौशल्या नगर, इन्द्रपुरी, सुदामा नगर, आनन्द नगर, ककरऊ, झलकारी नगर, सरस्वती नगर आदि लगभग 50 मोहल्लों को जोड़ता है। इस सड़क के बन जाने से शहर के अन्दर ट्रैफिक डायवर्जन के भार को कम किये जाने से व्यस्तम चौराहे तथा सुहाग नगर चौराहा, नगला बरी चौराहा, जाटवपुरी चौराहा, आसफाबाद चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है एवं शहर में भारी वाहनों के आवागमन में कमी होने के कारण शहर के प्रदूषण में भी कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265सा/2015 के अनुपालन विषयक जानकारी

19-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265 सा/2015, दिनांक 24 फरवरी, 2016 द्वारा विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारी, नगर

आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उ0प्र0 को निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में इस शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में जैन विहार कालोनी के निकट के0के0 नगर सिकन्दरा की जर्जर सड़क के पुनः निर्माण की मांग

20-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में जैन बिहार कालोनी के निकट के0के0 नगर सिकन्दरा की सड़क काफी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में कमलानगर के कर्मयोगी एन्क्लेव के डी-ब्लाक से के-ब्लाक के जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की मांग

21-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में कमलानगर के कर्मयोगी एन्क्लेव के डी-ब्लाक से के-ब्लाक तक की सड़क व नाली जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली मरम्मत/निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 न्यू आजाद नगर सतबरी रोड पर सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्रवाई की मांग

22-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 न्यू आजाद नगर सतबरी रोड पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर को दिनांक 17-07-16, पत्रांक 647/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र) के अन्तर्गत स्थित है। शासनादेश संख्या-05097/9-आ-3-2001 (आ0ब0), दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटी क्षेत्र के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के निर्माण कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर का है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय वार्डों की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

23-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54, 96 एवं 75 की 16 सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर को दिनांक 20-06-16, पत्रांक-537/16 एवं दिनांक 17-07-2016, पत्रांक-654/16 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर आवश्यक व्ययानुमान तैयार कराया जा रहा है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 बाबूपुरवा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई विषयक जानकारी

24-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 बाबूपुरवा क्षेत्र में सीवरयुक्त जलापूर्ति को बन्द कराकर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पत्र दिनांक 10-03-16

एवं पत्रांक-658/16 दिनांक 17-07-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-07-2016 जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-07-2016 को जिलाधिकारी, कानपुर के पत्रांक-5557 दिनांक 23-07-2016 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, छावनी परिषद्, कानपुर नगर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

आरक्षी श्री उदय नरायन तिवारी मृतक की आश्रित पुत्री को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि समस्त देयकों का भुगतान व कोटे से नौकरी प्रदान कराने विषयक

25-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षी उदय नरायन तिवारी, पी0एन0ओ0-802358011 ना0पु0 की दिनांक 6-3-2014 को ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक हरदोई के पत्रांक सं0-प-08/2014, दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को मृतक आश्रित की पुत्री को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि समस्त देयकों का भुगतान कराने विषयक पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आश्रित को मृतक कोटे से नौकरी प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, वरन् बीमारी के कारण मृत्यु हुई।

स्व0 आरक्षी ना0पु0 उदय नारायन तिवारी के उपादान एवं नगदीकरण आदि का भुगतान इनकी पुत्रियों को दिये जाने हेतु दिनांक 20-8-2016 को आदेश निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

स्व0 आरक्षी ना0पु0 उदय नारायन तिवारी की आश्रित पुत्री द्वारा सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर एवं जल संरक्षण योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये लखनऊ शहर हेतु कार्य योजना

26-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर एवं जल संरक्षण योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये धनराशि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ शहर के लिये उक्त कार्य योजना भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अमृत के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रु0 771.09 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लखनऊ शहर हेतु सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 जोन-4 की सीवरेज योजना अनुमानित लागत रु0 18501.69 लाख राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष दिनांक 01-08-2016 की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा परियोजना को आगामी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में स्मार्ट सिटी क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ के सीवरेज प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं इसे रोकने के लिये सरकार के द्वारा उठाये गये कदम विषयक

27-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2016 से जुलाई, 2016 के बीच महिला उत्पीड़न की कितनी घटनायें हुईं हैं ? क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2016 से 31-07-2016 तक महिला उत्पीड़न के कुल 7191 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं की रोकथाम हेतु अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन 'महिला सम्मान प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इण्डिया के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में नेशनल औसत दर 56.3 के विपरीत उत्तर प्रदेश में यह दर 38.3 है, जो काफी कम है।

महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु ''1090 वूमेन पावर लाइन'' विकसित किया गया है। इसके अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के 71 जिलों में महिला थानों की स्थापना कर महिला थानाध्यक्षों की नियुक्ति की गयी है तथा महिलाओं के साथ घटित गम्भीर अपराधों के संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपराधों की विवेचना महिला उप निरीक्षक के द्वारा की जाती है।

इन अपराधों में पूर्णतः नियंत्रण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 35 जनपदों में एण्टी ह्यून ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है।

प्रदेश के जनपदों में बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में थानों पर बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन के निर्देश दिये गये है। यूनिट के नामित जुवेनाइल आफिसर्स (एस0जे0पी0यू0) जो उपनिरीक्षक के स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा बाल यौन हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जाती है।

महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने पर एक महिला मुंशी एवं दो महिला आरक्षी की नियुक्ति किये जाने हेतु समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाली घटनाओं में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गतिविधियों की जानकारी कर अपराध में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक

इतिहास शीट खोलकर अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। गम्भीर अपराधों की विवेचना गुणवत्तापरक एवं गति प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों में ''क्राइम ब्रान्च'' का गठन किया गया है।

प्रदेश में महिलाओं के फोन पर अश्लील एस0एम0एस0/एम0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदों में ''एण्टी आब्सीन काल सेल'' का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद के एस0आर0के0 डिग्री कालेज से गंज मोहल्ला चौराहे तक रामलीला तिराहे से हनुमान रोड से दुली चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई विषयक

28-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के एस0आर0के0 डिग्री कालेज से गंज मोहल्ला चौराहे तक तथा रामलीला तिराहे से हनुमान रोड से दुली चौराहे तक नगर निगम फिरोजाबाद हाट मिक्स प्लांट द्वारा निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 559334, दिनांक 01-08-2016 एवं जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 559332, दिनांक 01-08-2016 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्ष 2015 में निर्मित की गयी प्रश्नगत सड़क की जांच लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी द्वारा करायी गयी है, जो सन्तोषजनक पायी गयी है। कार्य की अनुरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह सड़क होलिका दहन वाले लगभग 06 स्थानों पर अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है। बरसात के उपरान्त सड़क ठीक करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक बनी सड़क में घटिया निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

29-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक हाट मिक्स से बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने एवं उक्त के सम्बन्ध में घटिया निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 559333, दिनांक 01-08-2016 एवं जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 559331, दिनांक 01-08-2016 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सुभाष तिराहे से गांधी पार्क चौराहे तक वर्ष 2014 में हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य की जांच ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फिरोजाबाद से करायी गयी थी। जांच में कार्य

सही/सन्तोषजनक पाया गया। कार्य की अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में माह जुलाई, 2016 में अतिवृष्टि होने के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर जलभराव से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत बरसात के बाद की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला शान्ती नगर आसफाबाद क्षेत्र गलियों एवं नालियों का घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाये जाने के सम्बन्ध में जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक प्रकरण

30-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला शान्ती नगर आसफाबाद क्षेत्र में गलियों एवं नालियों का निर्माण बेहद घटिया क्वालिटी का होने के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जलभराव की स्थिति बनी होने की जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0 559328, दिनांक 01-08-2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत गली में ठेकेदार द्वारा कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया था, जिसे तुड़वाकर पुनः कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में निर्मित गलियां सही स्थिति में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के शास्त्रीनगर के बापू नगर में खड़न्जा, सड़क, नालियों व इण्टरलॉकिंग करवाने विषयक

31-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में शास्त्रीनगर के बापू नगर में खड़न्जा, सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त साइड इण्टरलॉकिंग, सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के अन्तर्गत संचालित ब्लाक संसाधन केन्द्र बी0आर0सी0 टपरियन (बबीना ग्रामीण) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

32-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बबीना अन्तर्गत संचालित ब्लाक संसाधन केन्द्र बी0आर0सी0 टपरियन (बबीना ग्रामीण) सम्पर्क मार्ग से नहीं

जुड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संसाधन केन्द्र को सम्पर्क मार्ग से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह-

जी हां।

संदर्भित मार्ग पर स्वामित्व जिला पंचायत का है, जिसकी कुल लम्बाई 0.600 कि0मी0 है, जिसमें से 0.400 कि0मी0 लेपित है तथा 0.200 कि0मी0 कच्चा है। 0.200 कि0मी0 में वन विभाग की भूमि होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ की प्रतिमा बरेली के नगर क्षेत्र के पार्क/सार्वजनिक स्थान अथवा चौराहे/तिराहे पर लगवाये जाने विषयक

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस षडयन्त्र केस (1912) के प्रमुख क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहठ का बलिदान 25 वर्ष की उम्र में दिनांक 24-05-1918 को बरेली केन्द्रीय कारागार में हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ की प्रतिमा बरेली के नगर क्षेत्र के किसी पार्क/सार्वजनिक स्थान अथवा चौराहे/तिराहे पर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

जिलाधिकारी, बरेली से आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल विधान सभा ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है। 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।

12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो भी बात आपके कक्ष में हुयी, हमारा आपसे केवल एक विनम्र अनुरोध है कि जो भी प्रश्न से सम्बन्धित रिलीवेन्ट नहीं है, उसको आप निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको देख लेंगे, जो भी इरिलीवेन्ट है, निकाल दिया जायेगा।

[12.41] भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री रामवीर उपाध्याय को बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर जाने का समाचार सोशल, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाये जाने का प्रकरण

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी व्यक्तिगत पीड़ा आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं खासकर अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को। मान्यवर, बार-बार सोशल मीडिया में, प्रिन्ट मीडिया में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में खबर निकाली जाती है कि मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर भाजपा में जा रहा हूं। मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का हूं और जब तक जिन्दा हूं तब तक बहुजन समाज

पार्टी में रहूंगा। ये भ्रामक खबर छपवाते हैं, गलत बात करते हैं। मान्यवर, इस पर आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था देनी चाहिए। भाजपा के लोग बार-बार मान्यवर झूठी खबरे फैलाते हैं, अफवाहें फलाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बारे में और सपा के लोगों के दोनों के बारे में ये लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं। मान्यवर, आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए। मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का था, बहुजन समाज पार्टी का हूं और बहुजन समाज पार्टी में जब तक जिन्दा रहूंगा, तब तक रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको किस पार्टी में जाना दिखाते हैं ? अपने में।

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी मान्यवर, भाजपा वाले अपनी पार्टी में जाने की बात करते हैं। मान्यवर, ये लोग माहौल खराब करते हैं, कभी दिल्ली से छपवाते हैं, कभी लखनऊ से छपवाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से आप पर यह आक्षेप लगाया है, तो आप एक नोटिस 63 की दे दीजिए प्रीविलेज की, हम दिखवा लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सबके संरक्षक हैं, इसमें पक्ष, विपक्ष कुछ नहीं है, मेरे भी संरक्षक आप हैं, इधर सत्ता पक्ष में जितने बैठे हैं, उनके आप संरक्षक हैं, इनके भी आप संरक्षक हैं। एक सदस्य ने अपने मन की पीड़ा आपके समक्ष रखी है, क्योंकि आप सबसे उच्च स्थान पर हैं। हमारी जितनी भी राजनैतिक समस्यायें हैं, अगर वह इस सदन में नहीं आयेंगी तो कहां आयेंगी। मान्यवर, मुझसे एक सवाल किया पत्रकार बन्धु ने कि साहब आपकी पार्टी से भाग-भाग कर लोग भाजपा और बसपा में जा रहे हैं, क्या वजह है, तो मैंने कहा कि अब वह बुरा मान जायेंगे, भ से शुरू होती है एक पार्टी, तो मैंने कहा कि उसका जहाज जब डूबने लगता है, तो चूहे निकल कर भागते हैं। भ आता है, पूरा नाम मुझे उस पार्टी का नहीं मालूम। तो मान्यवर, यह बात वाकई बहुत हल्की है और इस तरह नहीं छपता, बराबर मुसलसल छप रहा है आपके बारे में, यह बिल्कुल सही बात है, इसके लिए मान्यवर इतना तो इंगित आपकी ओर से किया जा सकता है यदि आप मुनासिब समझें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों के लिए खण्डन जरूर करे, सदन में कर दें कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि यह एक माननीय सदस्य की और वरिष्ठ सदस्य के मन की पीड़ा है। मान्यवर, इस तरह राजनैतिक दल अगर दूसरे राजनैतिक दल के साथियों को इस तरह अपमानित करेंगे तो सदन में उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन यह खबर किसी के हवाले से आयी है या अखबार ने अपने से ही लिखा ।...

(शोर शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अखबार ने अपने सूत्रों से लिखा है या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कहा है, देखिए यहां जो विधायक हैं वह अगर कुछ कहते हैं तो उस पर तो हम कुछ कर सकते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

यह झूठी अफवाह फैलाने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। यह झूठी अफवाह फैलाते हैं मीडिया से भी बात करते हैं सोशल मीडिया पर भी चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चला रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी यह बयान देते हैं। यह झूठी खबरें फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप नाम तो बताइए।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मान्यवर, यह बाहर खंडन क्यों नहीं करते।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने खंडन कर दिया है।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर शराबे की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की यह परम्परा रही है कि अखबारों का संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसके ऊपर यह सब कहना बेकार है। जिसको जो खंडन करना है वह बाहर करें।

[12.46] विषय से हट कर बाहरी व्यक्ति के बारे में सदन में चर्चा पर रोक लगाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं और इस बात के लिए कि हम तो पहली बार के विधायक हैं जिस प्रकार 7-7, 8-8 बार के लगातार के विधायक और उनके द्वारा यहां सदन में की गयी टिप्पणियां जो सदन में मौजूद नहीं हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बोलने से शोर उत्पन्न हो गया)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जो सदन में मौजूद नहीं हैं। कभी यह पत्थरों से पीटने की बात करते हैं यहां सैरियत का कानून लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर देश के अन्दर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह विषय नहीं है संसदीय कार्य मंत्री हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें आपका संरक्षण चाहिए और ऐसे लोगों के जबान पर भी आपको लगाम लगाना चाहिए जो सदन के अन्दर जहरीली तकरीरें करते हैं।

[12.47] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-08-2016 को नियम-301 के अंतर्गत कुल 69 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

पहली सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच प्रयागपुर के अंतर्गत नवसृजित तहसील में कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में बाढ़ से बेघर हुए पीड़ितों को आवास एवं आश्रय उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री राजीव गुम्बर की सहारनपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के ग्राम कनौरा के निकट काली नदी पर वर्ष 2005-06 में निर्मित पुल पर 10 वर्षों से अधूरे पड़े अप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ नगर निगम क्षेत्र में रौनकपुरा बाल्मीकी क्वार्टर की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, छठीं सूचना डॉ0 सियाराम सागर की जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन्टीनरेन्ट/रिर्सोस टीचरों का मानदेय दिये जाने के संबंध में है,

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के अंतर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा व वृन्दावन में के0ई0आई0 कंपनी द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के संबंध में है, नवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के अंतर्गत तमकुहीराज में आग से पीड़ित परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरेनी के अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन की जनपद बदायूं के ग्राम संजयपुर बालजीत तथा हजरतगंज में हाई टेंशन लाइन टूटने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री फेरन लाल की जनपद ललितपुर के महरौनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा बनाई गयी कतिपय ध्वस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चौदवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की धनराशि को अविलम्ब अवमुक्त किये जाने के संबंध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के रामकोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकरा कनौडिया सुगर मील द्वारा बकाया किसानों का भुगतान किये जाने के संबंध में है। डा0 सियाराम सागर उपस्थित नहीं है उनके स्थान पर श्री गोरख पासवान की सूचना ली जाती है,

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं:-

ठा0 सूरज पाल सिंह, श्री रामहेत भारती, श्री रामचन्द्र चौधरी, डॉ0 अरूण कुमार, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती श्रद्धा यादव, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री कपिलदेव अग्रवाल, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री संत प्रसाद दो

सूचनाएं, श्री बावन सिंह, श्रीमती ज्योत्स्ना श्रीवास्तव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री बदलू खां, श्री अमित गौरव यादव, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गुलाब चन्द्र, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री संजय कपूर, श्री राधेश्याम, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री त्रिभुवन राम, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री राजकुमार रावत, श्री सुरेश बंसल, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री कालीचरन सुमन, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री दीपक पटेल, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री उमेश पाण्डेय, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, मो0 जासमीर अंसारी, डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री उमाशंकर, श्री लाल मुन्नी सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्री संजय प्रताप जयसवाल, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती सीमा, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री मनोज कुमार सिंह।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद बहराइच पयागपुर के अन्तर्गत नवसृजित तहसील में कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 द्वारा विगत 06 माह पूर्व पयागपुर तहसील जनपद बहराइच नवसृजित की गयी थी। नवसृजित तहसील घोषित होने के उपरान्त करीब आठ माह बीत जाने के बाद भी तहसील स्तर पर बैनामा एवं अन्य पंजीकरण कार्य हेतु आपके विभाग द्वारा नवसृजित तहसील पयागपुर बहराइच में सम्मिलित 106 राजस्व गांव को रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हेतु अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। जिससे ग्रामीण जनता एवं पयागपुर तहसील के निवासी अब तक पूर्व में संचालित रजिस्ट्री पंजीयन में अपना पंजियन करा रहे है। इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-ख-5न0 554820, दिनांक 22-06-2016 पर मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के आदेश संख्या सी0एम0ए0 3441050, दिनांक 27-07-2016 जो प्रमुख सचिव, स्टाम्प के नाम पृष्ठांकित है प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 196 राजस्व गांव के रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकरण हेतु अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें जिससे जनता को सुलभ न्याय मिल सके।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में बाढ़ से बेघर हुए पीड़ितों को आवास एवं आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[मान्यवर, जनपद बहराइच बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बाढ़ पीड़ित लोग जिनके घर बाढ़ से कट गये है विगत कई वर्षों से बांध तथा सड़क पर पड़हा बनाकर रह रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें आवास/रहने के लिए मकान, जमीन देने की घोषणा भी की गयी थी परन्तु अभी तक उन्हें न तो कोई आवास/भूमि/कालोनी मिली है न ही उन्हें किसी प्रकार की सहायता मिली है। उनके बच्चे सड़कों पर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहकर जीने को मजबूर हैं तथा शिक्षा से भी वंचित है। इनकी स्थिति बद से बदतर है। शासन एवं प्रशासन इन गरीबों की तरफ देख भी नहीं रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब बाढ़ पीड़ित बेघर लोगों के लिए मकान/आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सहारनपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सहारनपुर नगर के अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

सहारनपुर नगर व आस-पास के क्षेत्रों में आये दिन गम्भीर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे रोजाना कोई न कोई मृत्यु हो रही है। यदि विगत 6 माह के आंकड़े देखे जायें तो कम से कम 50 मौतें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भी कई मौतें हुई हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सहारनपुर तीन राज्यों-हरियाणा, हिमांचल एवं उत्तराखण्ड से लगा हुआ है। धार्मिक नगरी हरिद्वार आने-जाने हेतु पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों का एकमात्र रास्ता सहारनपुर से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर आने-जाने हेतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली का एक मात्र रास्ता सहारनपुर होकर गुजरता है। उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्र देहरादून, हरिद्वार, ज्वालापुर, रूड़की, भगवानपुर में आने-जाने हेतु उपरोक्त राज्यों का एकमात्र मार्ग भी सहारनपुर होकर जाता है। हरियाणा के जमुनानगर में प्लाई के बहुत बड़े-बड़े उद्योग स्थित हैं जिसके कच्चे माल की सप्लाई सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर व मेरठ से होती है जिसके कारण रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रालियां भी गुजरती हैं।

सहारनपुर का मुख्य मार्ग कम चौड़ाई वाले हैं जिस कारण दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही से उन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है और आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है।

रोजाना घटित होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सहारनपुर जनपद में हरिद्वार-पंचकुला बाई पास जोकि गागालेडी से प्रारम्भ होकर चुनैहटी फाटक होते हुए सरसावा के आगे अम्बाला रोड पर निकलता है, में भूमि अधिग्रहण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है एवं दिल्ली, यमुनोत्री मार्ग संख्या-57 का चार लेन चौड़ीकरण व बाई-पास जोकि चैनेज 155.400 से प्रारम्भ होकर एन0एच0-73 के चैनेज 53.128 से होते हुए दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग के चैनेज 170.200 तक 19 कि0मी0 लम्बाई में प्रस्तावित है, का भी भूमि अधिग्रहण अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। सहारनपुर प्रशासन के द्वारा अधिग्रहण का काम बहुत धीरे चल रहा है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सहारनपुर में बाई पास निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के ग्राम कनौरा के निकट काली नदी पर वर्ष 2005-2006 में निर्मित पुल पर 10 वर्षों से अधूरे पड़े एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलबीर सिंह-

[मा0 मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद अलीगढ़ में ग्राम कनौरा के निकट काली नदी पर एक पुल वर्ष 2005-06 में निर्मित किया गया था। इस पुल पर दोनों ओर एप्रोच मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित करायी जानी थी। ग्राम रायपुर की ओर से एप्रोच मार्ग का निर्माण करा दिया गया था। किन्तु ग्राम कनौरा की ओर से आज तक एप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं हुआ। पुल बनने के 10 वर्षों बाद भी इस पुल के मुख्य मार्ग से मात्र 800 मी0 लम्बाई का जुड़ाव नहीं हुआ है। जहां पर पुल निर्मित है वहां से मात्र 2 से 3 कि0मी0 की दूरी में सरकारी इण्टर कालेज व रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। ग्राम कनौरा की ओर से लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रामों के छात्र/छात्रा पुल पर एप्रोच मार्ग न होने के कारण लगभग 16 कि0मी0 लम्बा रास्ता तय कर स्कूल जाते है तथा मजदूर व ग्रामीण निकट बने रेलवे स्टेशन अलीगढ़ रोड (रायपुर) स्टेशन जाने के लिए 16 कि0मी0 लम्बा रास्ता तय करते है। इस पुल पर दूसरी ओर एप्रोच मार्ग न बनाये जाने के कारण इस पुल पर व्यय किये गये सरकारी धन व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। इस मार्ग के निर्माण के लिए 102 लाख रुपये आगणन स्थानीय स्तर से शासन को प्रेषित किया जा चुका है। मार्ग का शीघ्र निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। इस मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के पत्रांक 4396 वी0आई0पी0 दिनांक 29-8-2016 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग के इस हिस्से का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ नगर निगम क्षेत्र में रौनकपुरा बाल्मिकी क्वार्टर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

[मा0 मेरठ नगर निगम क्षेत्र में रौनकपुरा बाल्मिकी (सफाई कर्मचारी) क्वार्टर जो कि कई मंजिली इमारत जर्जर हालत में थी।

उपरोक्त को गिराकर नया बनाकर देने की मांग मेरे द्वारा सदन में की गई थी। छः माह से अधिक हो गया उन क्वार्टरों को खाली कर गिराकर मलवा साफ करा दिया गया।

परन्तु नगर निगम मेरठ द्वारा इनके पुनर्निर्माण करके वास्तविक सफाई कर्मचारियों को देने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिन्होंने क्वार्टर खाली किये वह बेघर घूम रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं।

सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि क्वार्टर खाली होने पर उनका यथाशीघ्र पुनः निर्माण कराया जायेगा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही हेतु नगर निगम मेरठ को निर्देश देने का आग्रह करता हूं।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मा0 मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सीतापुर जनपद सीतापुर अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें जो मण्डी समिति द्वारा निर्मित हैं जो वर्तमान समय में बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं जो निम्न हैं :- विकास खण्ड खैराबाद के अन्तर्गत ग्राम रस्योरा तिराहे से ग्राम बरसोहिया तक, खैराबाद से बिसवां रोड से सधुवापुर तक, खैराबाद रोडवेज से मकदूरमपुर तक, ग्राम सुकलियापुर से मैनासी सरैया तक, ग्राम शाहपुर से दहेलिया पुलिया तक तथा ग्राम टकपुरवा से दतेली तक। इन सड़कों का जनहित में मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा व वृन्दावन में के0ई0आई0 कम्पनी द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वर्तमान में मथुरा एवं वृन्दावन में के0ई0आई0 कम्पनी द्वारा भूमिगत (अण्डर ग्राउण्ड) केबिल डालने का कार्य रुपये 360/- करोड़ की लागत से चल रहा है। यह कार्य मथुरा के अर्द्ध शहरी इलाके में कराया जा रहा है जबकि मथुरा शहर के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में कार्य नहीं हो रहा है, जितने भी स्थानों पर उक्त कम्पनी ने भूमिगत केबिल डालने हेतु खुदाई किया है, उन स्थानों पर सड़क मरम्मत अभी तक नहीं कराया है, जिससे स्थानीय जनता के साथ-साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। वृन्दावन में भी कम्पनी द्वारा सड़क खोदकर बिना बनाये छोड़ दिया गया है। विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों द्वारा कार्यों में पर्याप्त रूचि न लेने के कारण यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मथुरा शहर के चौबिया पाड़े तथा मनोहरपुरा के इलाके में अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग का कार्य अधूरा किया गया है। सड़कें खुदी पड़ी हैं। अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग में के0ई0आई0 कम्पनी द्वारा जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह अधोमानक है। सरकारी धन का बन्दरबांट हो रहा है। जो बिजली के खम्भे एवं अण्डर ग्राउण्ड तार व विद्युत उपकरण लगाये जा रहे हैं, उसका डी0पी0आर0 मंगाकर प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण तथा सत्यापन आवश्यक है। इस संदर्भ में मैंने कई बार स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से मिलकर एवं दूरभाष पर अवगत कराया किन्तु किसी स्तर से अभी तक कोई

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा शीघ्र कदम उठाते हुए जनहित में मथुरा-वृन्दावन में अण्डर ग्राउण्ड विद्युत केबलिंग का कार्य मानक अनुरूप कराया जाना तथा अधोमानक कराये गये कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत तमकुहीराज में आग से पीड़ित परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज एक अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहां गरीब परिवार के लोग फूस का घर बनाकर रहते हैं। फूस का घर होने के कारण यह लोग सदैव भयभीत रहते हैं। इस वर्ष 2016 में अभी तक सैकड़ों फूस के घर आग से जलकर स्वाहा हो चुके हैं। फूस का घर होने के कारण कहीं से आग का तिनका छिटकने पर पूरी की पूरी फूस से बनी बस्ती जलकर राख हो जाती है। यह मजदूरी करके जीवन-यापन करने वाले लोग हैं। फूस के घर आग जैसी दैवीय आपदा के कारण जलकर राख हो जाने से यह लोग खुले आसमान में जीवन-यापन को मजबूर हैं। जनहित में इन परिवार के लोगों को जिनके घर आग से जल गये हैं, को लोहिया आवास आवंटित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयाचरण दिनकर-

[मा0 आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद-बांदा के निर्वाचन-क्षेत्र नरैनी का अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से कृषकों की उपजाऊ भूमि बंजर पड़ी रहने से कृषक बदहाल व पलायन के लिए विवश है तथा शेष क्षेत्र म0प्र0 के छतरपुर जिले में स्थित गंगऊ व बरियार बांध से निकली केन नहरों पर निर्भर है। 20 वर्षों से नहरों की क्षमता का 20 प्रतिशत सिंचाई जल मिलने से हालत गम्भीर होती जा रही है। इन नहरों से जिले के अन्य भागों बांदा, तिन्दवारी, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन आदि की सिंचाई जल बिल्कुल न मिल पाने से कृषक कंगाल हो रहे हैं। नरैनी-करतल के समानान्तर केन नदी व केन नदी की मुख्य ब्रांच परस्पर 1½-2 कि0मी0 पर स्थित है। यदि ग्राम बिदुवापुरवा (बिल्हरक) से ½ कि0मी0 केन नदी की अपस्ट्रीम पर बांध बनाकर पानी लिफ्ट कर केन की मुख्य ब्रांच पर पहुंचाने की लम्बित परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दे दी जाये तो बांदा जनपद का ¾ क्षेत्र खुशहाल हो

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाये। इसी प्रकार शासन में लम्बित 59 करोड़ की लागत से बनने वाले सगरा बांध को धनावंटन कर दिया जाये तो पर्यटनस्थल कालिंजर के आस-पास का ग्रामीण क्षेत्र का किसान समृद्ध हो जायें। सिंचाई व्यवस्था से त्रस्त किसान भुखमरी की स्थिति में हैं, उनमें बड़ा आक्रोश है जो कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

अतः मैं, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या के निदान हेतु अविलम्ब कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में हाईटेंशन लाइन टूटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाजी मुर्सरत अली बिट्टन-

[मा0 कृपया अवगत कराना है कि मा0 यासर शाह राज्य मंत्री, ऊर्जा के दिनांक 30-12-2014 को पत्रांक सं0-116/24 पी-314 जनपद बदायूं के ग्राम संजरपुर, बालजीत तथा हजरतगंज में हाईटेन्शन लाइन टूटने से जानवरों की हो रही मृत्यु के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 19-11-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें सम्बन्धित विभाग द्वारा विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइन की गार्डिंग का कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 के बिजनेस प्लान मद में सम्मिलित कर लिया गया, जिसका कार्य मार्च, 2015 तक कराया जाना लक्षित किया गया है। सम्बन्धित विभाग द्वारा कहा गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त लाइन की गार्डिंग का आश्वासन के बावजूद कार्यवाही न किये जाने वाले सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद ललितपुर के महरौनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरन लाल-

[मा0 आपको अवगत कराना है कि जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र 227, महरौनी में निम्नाकिंत सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

1-महरौनी से नाराहट-ब्लाक-मडावरा।

2-नाराहट से जामनीबांध पिपरट-ब्लाक-मडावरा।

3-महरौनी से सोजना मडावरा तक-ब्लाक-महरौनी।

4-छपरट से पठा तक-ब्लाक-महरौनी।

5-वानपुर से टीकमगढ़ तक-ब्लाक-वार।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़कों के निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा बनाई गई कतिपय ध्वस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[मा0 मेरे विधान सभा क्षेत्र-कपिलवस्तु, जनपद-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड, लोटन स्थित जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा पूर्व में बनायी गयी पिच सड़क मरम्मत के अभाव में टूटकर ध्वस्त हो गयी है। निम्नांकित सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है :--

1-बनियाडीह, कोल्हुआ गदहमरवा सम्पर्क मार्ग ल0-6 कि0मी0, वि0ख0-लोटन।

2-सिफरी गढ़मोर बांध सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0 लगभग, वि0ख0-लोटन।

3-एल0डी0 से वमीरा बाढ़, रूदुलपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 2 कि0मी0, वि0ख0-वर्डपुर।

4-पकड़ी जोगिया सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण का पुनर्निर्माण, लम्बाई लगभग 9 कि0मी0।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कार्यों को कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौदहवें वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की धनराशि को अविलम्ब अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत लगभग 835 ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ की धनराशि उनके खातों में भारत सरकार द्वारा भेजी गयी है, परन्तु अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, यही हाल राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि का है, जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों में भी आवंटित राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिला पंचायत फैजाबाद को भी आवंटित धनराशि से भी अभी तक कोई काम प्रारम्भ नहीं हो पाया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में अरबों रुपये पड़े हुये है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के पांच माह बीतने जा रहे है अभी तक इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग न हो पाने से पंचायत के प्रतिनिधियों में भयंकर असन्तोष है। जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधि गांव के ठप्प पड़े विकास कार्यों को शुरू कराने के लिए आन्दोलित हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 की धनराशि से विकास कार्य अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के रामकोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकरा, कनौड़िया शुगर मिल द्वारा बकाया किसानों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मा0 मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र रामकोला, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत सरकारा, कनौड़िया शुगर मिल प्रा0लि0, कप्तानगंज, कुशीनगर पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपये गन्ना मूल्य बकाया है जिससे किसानों में काफी निराशा है

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्योंकि किसानों का सारा कारोबार कृषि उपज पर ही आधारित है। सूखा व ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है और गन्ना मूल्य भुगतान न होने से किसान परेशान है।

अतः सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए सरकरा कनौडिया सुगर मिल प्रा0लि0 कप्तानगंज, कुशीनगर से गन्ना मूल्य बकाया भुगतान किये जाने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के बेरिया में स्वर्गीय शारदा नन्द अंचल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा को लागू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मा0, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 02 मई, 2016 को जनपद बलिया के बैरिया में स्व0 मा0 शारदानन्द अंचल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मा0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 357-बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भीमपुरा को विकास खम्भ बनाने की घोषणा की गयी थी परन्तु अभी तक उक्त घोषणा को मूर्तरूप नहीं दिया गया है जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है एवं क्षेत्रीय जनता में भीषण आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

ऐसी स्थिति में जनहित में एवं क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद बलिया के बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र में स्थित भीमपुरा को विकास खण्ड बनाने मांग करता हूं।]

फ्लोर पर आये भारतीय जनता पार्टी के कतिपय सदस्यों को वापस बुलाने के निर्देश

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग यहां क्यों आ गए। यह गलत है इस तरह से नहीं होना चाहिए जब चाहे तब आप बीच में आ जाए। आप लोग क्या कर रहे हैं आपने जो कहा हो गया, सब हो गया। आप लोग जाइए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रयास से वेल में आए हुए विधायक अपने-अपने स्थान पर चले गए)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुईं थीं जिसमें श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का है, आप बोल लीजिए।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दो माननीय सदस्य अभी वेल में आये थे, आप उन्हें वापस ले गये, आपने अच्छा किया लेकिन क्योंकि नेता सदन मौजूद हैं और नेता सदन ने उन्हें यह आश्वस्त किया है कि जो घोषणा की

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी थी उस पर अमल होगा। अब मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, मेरे आपके तो पारिवारिक सम्बन्ध हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपके बिना कहे, मैंने स्वयं उन लोगों को वापस ले लिया और मुझे इस बात का दुःख है मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए था।

[12.51] दिनांक 08 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र के माननीय सदस्यों को हैण्डपम्प व नल, लोहिया ग्राम के चयन आदि की सुविधायें माननीय सदस्यों को अभी तक प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने 8 मार्च को यहां पर कुछ घोषणायें की थी, जो मेरे पास कार्यवाही है उसका पेज 95 है, अगर आप अनुमति दे तो मैं उसको पढ़ दूं। बस चार-छः लाइनें हैं।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कह दें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप सुन लीजिए बस तीन मिनट लगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तीन मिनट न लगायें, एक मिनट में कह दें, वह जो घोषणा हुई थी, वह सब जानते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय सदस्यों की हैण्डपम्प की बहुत शिकायत रहती है इसीलिए सभी माननीय सदस्यों को 100-100 हैण्डपम्प दिये जायेंगे और 100-100 रि-बोरिंग के लिए जो देना चाहेंगे, उनको रि-बोरिंग कराने के लिए दिया जायेगा। मान्यवर दूसरी बात ग्रामों को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत कहते हैं, सरकार ने हमेशा कहा है कि लोहिया ग्राम देंगे लेकिन अन्ततोगत्वा उन्हें नहीं मिला, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य हैं जो पा चुके हैं, कई लोगों ने ज्यादा पायें हैं जहां हमारे विधायक नहीं थे तो उन्होंने ज्यादा ले लिये या गिनती में ज्यादा आ गये। इसीलिए सभी लोहिया ग्रामों के चयन में भी विधायकों के राय से गांव दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में बताईये पूरा पढ़िये मत।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप पूरी बात तो सुन लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन का समय भी खराब करना है, और अकारण खबर बनाने के लिए और फिर बाद में वाकआउट कर जाने के लिए यह मुनासिब नहीं है, मैंने तो खुद कहा कि जो माननीय सदस्य वेल में आये, आप ले गये आपका भी धन्यवाद। नेता सदन ने यह कहा है कि जो मैंने

घोषण की है, वह सब लागू होगी और उसके बाद इसका क्या औचित्य है अगर आपको वाकआउट करना है तो बात दूसरी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं हमें वाकआउट नहीं करना है। मान्यवर, आज 6 महीने हो गये हैं। यह बात शहरी क्षेत्रों के विधायकों की है। आज पूरे 6 महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई, अब आप उसी को बार-बार क्यों कह रहे हैं। अब डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का सवाल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज 6 महीने हो गये हैं और शहरी क्षेत्र के विधायकों को नल नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष-

सारे विधायकों को तो मिला है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने और आपके विधायकों के सामने मा0 मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि सब लागू होगा। अगर नहीं लागू हुआ होगा तो हो जायेगा। अब बार-बार उसी बात को कहने की क्या जरूरत है, बैठिये।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाईये, आपकी बात आ गई है, पूरी बात हो गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो स्थिति 6 महीने पहले थी, वही आज भी है और शहरी क्षेत्र के विधायकों को नल नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर आपका लिखा नहीं जायेगा। आपने अपनी बात कह दी है। जब मुख्य मंत्री ने कह दिया कि सब दिया जायेगा तो फिर बात खत्म हो गई। अब आप बैठिये। आगे डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल का महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक तो अब तक हैण्डपम्प नहीं मिले। दूसरी बात यह कि आवास के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था तो उसके बारे में एक नोडल अधिकारी तय कर दें, एक प्रक्रिया तय कर दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब पूरी बात हो गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आवास के बारे में नेता सदन ने नगर निगम को और दूसरे अधिकारियों को खुद बुलाकर हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जमीन तलाश करके विधायकों के नाम करना है इसलिये जमीन हम खुद भी तलाश कर रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो गांवों के लोग हैं जिनके पास घर नहीं हैं, उनकी बात तो आप करेंगे नहीं, अपनी बात यहां सबसे ज्यादा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा बताइये, इस घोषणा को किये कितने दिन हुये हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

6 महीने हो गये हैं, 8 मार्च को हुयी थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं खुद जाकर जमीनें देखकर आया हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

8 मार्च को घोषणा हुई थी और 8 कि0मी0 सड़क की भी बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, आप बार-बार वही बात कह रहे हैं। कई बार तो कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लें। जो सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं हैं। आपने केवल पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कों की व्यवस्था की है। जो सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं हैं, मण्डी समिति की हैं या नगर विकास की हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। उन सड़कों की मरम्मत की बात है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, अगर यहां कोई घोषणा हुई हो और अगर वह लागू होती है या नहीं होती है तो औचित्य क्या बनता है।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, लागू नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब लागू हो या न हो। ये कह रहे हैं कि घोषणा हुई और लागू हुई है। आप लोग क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम लोग टाइम नहीं खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को बोलने दीजिये, उनका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, यह टाइम का सही इस्तेमाल है। यही टाइम का सही इस्तेमाल है। जो सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं हैं, नगर विकास की हैं या मण्डी समिति की हैं या जिला पंचायत की हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मा0 मुख्य मंत्री जी की सदाशयता थी कि उन्होंने घोषणा कर दी तो उसका लाभ उठाना चाहिये और इस पर बहुत बहस नहीं करनी चाहिये। हम लोग भी यहां रहे हैं, एक कि0मी0 सड़क तो क्या 5 मीटर भी नहीं पाये हैं। हम भी विपक्ष में रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह मा0 मुख्य मंत्री जी की सदाशयता है कि उन्होंने आपको सड़क दी है तो उसका लाभ उठाईये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये तो कह रहा हूं कि जब उन्होंने सड़क दी है और घोषणा कर दी कि सब लागू करेंगे तो बार-बार उस पर बहस क्यों कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इससे मुख्य मंत्री की ख्याति बढ़ती है। नेता सदन की हैसियत से अगर इस कुर्सी से किसी ने भी कोई बात कही है तो वह लागू हुई है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। जब संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम लागू करेंगे तो फिर क्यों आप बार-बार उसी को दोहरा रहे हैं ? आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह नगर विकास और मण्डी समिति की सड़कों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो पहले नगर विकास मंत्री रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है कि विधायक निधि की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और सब लोगों को दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दी गई लेकिन मेरा यह कहना है जो सड़कें नगर विकास की हैं या मण्डी समिति की हैं और पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में आप कई बार कह चुके हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में आप कई बार कह चुके हैं, बजट भाषण नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो बात मैं कह रहा हूं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जो सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं हैं उनकी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम से मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसलिए इसका भी आश्वासन मिल जाए कि इन नगर विकास की या मण्डी समिति की सड़कों की भी मरम्मत इसी 8 किलोमीटर के दायरे में होगी और लोहिया ग्राम भी अभी बहुत-से माननीय सदस्यों के यहां नहीं पहुंचे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे सब के यहां लोहिया ग्राम पहुंच गया है। लोहिया आवास 10-10 आवास सब माननीय सदस्यों के पास पहुंच गया है।

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा नहीं मिला है, नहीं मिला है कहा गया)

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी आप अपनी बात रखें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय खन्ना साहब अब आप बैठिए, क्यों आज आप कुछ प्रस्ताव पास नहीं होने देना चाहते हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से आश्वस्त कर दिया कि जो हमने घोषणा की उसे लागू करेंगे, आवास के लिए कह दिया कि उनसे बात हो रही है। क्या बार-बार आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। जब आपसे जनता पूछेगी कि अपने लिए मांगने गए थे, तब क्या जवाब देंगे। इसलिए अब बैठ जाइये। अब डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को बोलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सड़कों के बारे में यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि नगर विकास और मण्डी परिषद् की सड़कें भी इसमें आएगी। यह व्यवस्था बना दें। मान्यवर, यह व्यवस्था बन जाए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने स्थान पर खड़े बने रहने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

आपने जो कह दिया, वह उन्होंने सुन लिया है, अब आप बैठ जाइये। मैं व्यवस्था नहीं बनाऊंगा, सरकार व्यवस्था बनाती है। अब आप बैठिए। यह आखिरी वर्ष है तो कुछ ऐसी छाप छोड़कर जाइये कि आने वाले उसे देखें। अब आप लोग बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं नियम की बात कर रहा हूं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि सब लागू करेंगे तो फिर क्यों वहीं बातें दोहरा रहे हैं। आप संसदीय कार्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आधे विधायकों की बात हुई है और आधे विधायकों की नहीं हुई, जो कहा है उसी का पालन करवा दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें खन्ना साहब, इतनी देर से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बैठ जायें। डा0 राधामोहन दास जी का एक और महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर भी सरकार का वर्जन आ जाने दीजिए। माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी आप अपना नियम-300 में बताइये, एक मिनट में कह दीजिए।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, ...

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अगर सदन नहीं चलाना है, तो आप स्पष्ट बता दें हम आगे बढ़े, बेकार काहे गलत बता रहे हैं।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व विधायकों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की जाए....

श्री अध्यक्ष-

अभी ऐसा करिये पहाड़िया जी, आप चले जाएं नासिक और वहीं से खजाना बनता है वहीं से भर लाओ और अपनी सारी आवश्यकता पूरी कर लो...

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधायकों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए, उनको कोई पूछता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप को पूर्व होना है क्या ? अपनी व्यवस्था कर रहे हो पूर्व होने वाले हो।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज आप लोगों को हो क्या गया है, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अरे ये तो पहले भी होता रहा है, आप अपनी बात कहें। सदन व्यवस्थित हो जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो इस सदन के सारे विधायकों के सन्दर्भ में उठा रहा हूं.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, आपने एक माननीय सदस्य के बारे में जैसी टिप्पणी की उसके लिए माफ करना। माननीय अध्यक्ष जी यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष-

जो गरिमा के खिलाफ होगा मैं, उसे वापस करा लूंगा।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आपने एक विधायक को पागल कहा है।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया सदस्य अपनी बात कहते हुए वेल में आकर बैठ गए)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप अपनी बात कहिए, इनको बैठने दीजिए।

(तत्पश्चात् श्री प्रदीप माथुर के प्रयास से श्री बंशी सिंह पहाड़िया वेल से वापस सीट पर चले गए)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

मान्यवर, मैं एक तो यह कहना चाहता हूं कि खन्ना साहब वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन में सही बात आनी चाहिए यह भी नहीं डर रहे हैं और इस टाइप की बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को उसका जी0ओ0 जारी हो गया और 27-7-16 को पैसा भी अवमुक्त कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सही बात है वह है कि हमने एक हजार करोड़ रुपये मांगा था केन्द्र सरकार से और एक हजार करोड़ में से 173 दिया है, एक हजार के मुकाबले 173 दिया है यह सही बात को छिपा रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं।

*डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है ।

श्री अध्यक्ष-

आप गुमराह किये हैं तो आप लिखकर दीजिएगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसका स्पष्ट खण्डन करना चाह रहा हूं। 41 नगरीय विधायकों की फाइल अभी बनी है मात्र, एक पैसा न जारी हुआ है न उसकी सेंक्सन हुई है।

श्री अध्यक्ष-

वह बता दिये कि जारी किया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, असत्य कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप वरिष्ठ हैं आप बैठिये, आप अध्यक्ष रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[1.05] माननीय विधायकों को बजटीय व्यवस्था के अनुसार विधान मण्डल क्षेत्रीय विधायक निधि की आधी धनराशि अभी तक अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। यह विषय सारे माननीय विधायकों से संबंधित है किसी पार्टी का विषय नहीं है। हर विधायक को अपनी विधान सभा क्षेत्र में कार्य कराने के लिए विधायक निधि मिलती है डेढ़ करोड़ रुपये की। हमारे लिखने से लेकर काम स्वीकृत होने तक 8-9 महीने लगते हैं। यह एक निश्चित समय प्रक्रिया है जो लगती ही है। अमूमन यह विधायक निधि अप्रैल के महीने में भेज दी जाती है और अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर के बाद सेंक्सन होती हैं फिर हम लोग काम शुरू करवाते हैं। यदि किन्हीं कारणवश अप्रैल में नहीं भेज पाया तो दूसरी किश्त जुलाई तक आते आते आही जाती है। पूरी विधायक निधि जुलाई तक किसी भी सत्र में अवमुक्त हो जाती है यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष महोदय, कि सितम्बर का महीना आ गया है और अगस्त का महीना खत्म हो गया अभी तक हमारी सिर्फ आधी विधायक निधि हमारे समस्त विधायकों के क्षेत्र में पहुंची है। अब विधान परिषद् का चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जायेगी। आचार संहिता के दौरान वह पैसा स्वीकृत नहीं होगा, जब तक हटेगी मूल चुनाव पर आचार संहिता लग जायेगी। आखिर हमने विनियोग विधेयक पारित किया है सदन को आश्वस्त किया है कि सभी विधायकों के क्षेत्र में 150 लाख रूपये पहुंचेंगे जिन्हें मार्च, 2017 तक खत्म करके उपयोग कर लिया जायेगा तो प्रश्न यह है सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा यह निधि अभी तक माननीय विधायकों के पास भेजी नहीं जायेगी तो आखिर यह विधायक अपने क्षेत्र में विधायक निधि से काम करायेंगे कैसे। यह सारे विधायकों का मसला है इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ऐज ए विधायक आपके पास भी यह धन नहीं पहुंचा होगा। आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दीजिए कि यह चुनावी वर्ष है हमें काम कराना है 5-6 महीने तो औपचारिकता में लग जायेंगे। इसमें सरकार इस सदन के उठने के बाद त्वरित गति से कार्यवाही करें और हमारे 75 लाख रुपये जो अभी तक अवमुक्त नहीं किये गये हैं उन्हें अवमुक्त करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जो सेकेण्ड किश्त है वह जाती रहती है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो परेशानी रखी है डॉक्टर साहब ने उसमें इस बात की जानकारी आपको होगी कि जो काम शुरू हो जाते हैं फिर वह आचार संहिता लग जाय तब भी वह रोके नहीं जाते हैं। नहीं जारी हुई है, बहुत जल्द जारी हो जायेगी।

[1.08] महिला ओलम्पिक विजेता को बधाई प्रस्ताव लाने का प्रयास

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, जो ओलम्पिक की विजेता है उनकी बधाई का संदेश यहाँ से नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

यह ऐसे नहीं होता है, नियमों के अन्तर्गत होता है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल दोनो सहमत होते हैं तब बधाई का प्रस्ताव रखा जाता है अकेले आप नहीं रख सकते हैं, बैठिये। बैठिये, दोनों लोगों से बात कर लीजिए, बात करके कल रखवा दीजिएगा, आप अकेले क्यों रखते हैं, नेता सदन और नेता विरोधी दल से आप बात कर लीजिएगा अगर सहमति होती है तो कल रखियेगा, अब आप बैठ जाएं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

लोक निर्माण, सहकारिता, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-18-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.12] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-6।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 अगस्त, 2016 से 31 अगस्त, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-सदन का उपवेशन दिनांक 31 अगस्त, 2016 को भी हो।

2-दिनांक 29 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 30 अगस्त, 2016 को ली जायं :-

(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016
(2) उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016
(3) बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(4) राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016
(5) बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(6) संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(7) एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

3-सदन का दिनांक 30 अगस्त से 31 अगस्त, 2016 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :-

<u>अगस्त, 2016</u>

30 मंगलवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण-

(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016
(2) उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016
(3) बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(4) राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016
(5) बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(6) संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016
(7) एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

† छापा नहीं गया।

अगस्त, 2016 2-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति प्रयुक्त की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए श्री अमित तिवारी, चीफ इन एडिटर, राजनगर, जनपद-गाजियाबाद तथा श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, उ0प्र0 इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0लि0, बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति की निम्नलिखित संस्तुति पर विचार किया जानाः-

''इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया के चीफ इन एडिटर तथा स्थानीय संवाददाता, श्री सतीश श्रीवास्तव को सदन में बुलाकर सदन स्वयं उनके दण्ड का निर्धारण करे।''

3-असरकारी दिवस (आधा दिन) शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2016 के स्थान पर,।

31 बुधवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 कुछ नहीं है। अब मद संख्या-8

[01.15] एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था, के स्थान पर एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः विधान सभा में लम्बित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015 को वापस लिये जाने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा प्रताप शुक्ला)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था, के स्थान पर एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 को पुरः स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः विधान सभा में लम्बित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था, के स्थान पर एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2016 को पुरः स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः विधान सभा में लम्बित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016†

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा प्रताप शुक्ला)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

[01.18] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-08-2016 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर श्री गया चरण दिनकर, श्री रामहेत भारती व उनकी पार्टी के सदस्यों के नाम हैं। इसी पर श्री सुरेश कुमार खन्ना व उनकी पार्टी के मा0 सदस्य हैं, तीसरे नम्बर पर श्री लोकेश दीक्षित, चौथे पर श्री उमेश पाण्डेय, पांचवे नम्बर पर श्री राजीव गुम्बर व छठें नम्बर पर श्री प्रदीप माथुर जी व उनकी पार्टी के लोगों के नाम हैं।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर अपनी सूचना पर सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये।

---

† दिनांक 16-9-16 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लगायी है उस पर कृपा करके दो मिनट सुन लीजिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, नियम-56 में बाढ़ पर मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। देखिये, ऐसा है जब यह चर्चा हुई थी तो इस पर थोड़ी सी बात माननीय नेता विरोधी दल ने रखी थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ा जवाब भी दिया था, पूरा जवाब नहीं हो पाया था इसलिए पूरी बात सरकार की तरफ से भी आ जाए। इसीलिए केवल एक विषय को सुनने के लिए स्वीकृत किया गया है। उसी दिन कहा गया था कि इसको 30 अगस्त, 2016 को ले लिया जायेगा। इसलिए एक ही विषय आज लिया गया है दूसरा नहीं। सुन लीजिए, 4.00 बजे यहां विधान सभा मण्डप के अंदर फोटोग्राफी होगी इसलिए माननीय सदस्य जो बाहर हों यहां आ जायेंगे। दूसरी बात है कि 5.00 बजे इसके बाहर विधान सभा के सामने मा0 सभी विधायकों, सभी मंत्रिगण की फोटोग्राफी होगी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, एक विषय लेकर जल्दी से इसको खत्म कर दिया जाए जिससे 5.00 बजे फोटोग्राफी हो जाये।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी सूचना को सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज अन्य कोई सूचना नहीं ली जायेगी। पंकज मलिक जी गन्ने पर हो चुका है। बैठिये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका संरक्षण चाहिए। केवल दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। आज केवल एक विषय है उसी पर सुना जायेगा। अब मैं मा0 नेता विरोधी दल को आमंत्रित कर रहा हूं। मा0 नेता विरोधी दल, सभी नेता बोलेंगे इसलिए थोड़ा संक्षेप में रखियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)-

मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में इस सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है, समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या नौकरी-पेशा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी अपने-आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पूरी कानून-व्यवस्था चरमरा गयी है और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चूंकि सरकार लोक कल्याण के लिए होती है, जनकल्याण के लिए होती है, लोगों के जान, माल, ईमान व मजहब के हिफाजत की प्रतिबद्धता होती है और संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है कि समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों के जान, माल, ईमान और हिफाजत की गारण्टी सरकार की है और सरकार को इन दायित्वों को पूरा करना चाहिए। लेकिन प्रदेश में हर तरह के अपराध के रिकार्ड टूट गये हैं। केवल वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के आपराधिक इतिहास का रिकार्ड तोड़ा है। मैं प्रतिदिन के इतिहास के बारे में तो बाद में

आऊंगा लेकिन उस दिन जो कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी थी। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय था, कि जो प्रदेश में महिलाएं और बच्चियाँ असुरक्षित हैं उनके साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास, पुलिस कस्टडी में गैंग रेप और सरकार का संवदेनहीन बने रहना, यह जो चरम सीमा पर अपराध बढ़ा है इससे पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। बुलन्दशहर की घटना वीभत्स है। नोएडा में रहने वाला एक परिवार 29 जुलाई को कार से सपरिवार अपने मूल शहर, मूल निवास स्थान शाहजहांपुर जा रहा था लेकिन बुलन्दशहर में जो देहात कोतवाली है दो किमी0 दूर स्थित जो दोस्तपुर ओवर ब्रिज है उसके पास कुछ अपराधियों ने कार को रोका, पुरुषों को बंधक बनाया और उन्हीं के सामने 11 बजकर 15 मिनट से ले करके 4 बजकर 15 मिनट तक अर्थात् अनवरत् पांच घंटे तक महिलाओं के साथ अर्थात् मां के साथ और बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। अपराधियों के चंगुल से जब छूट कर वह पीड़ित पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचित करता है तो दो किमी0 की दूरी पर भी पूरी रात पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। कदाचित पुलिस संवेदनशील होती और ऐसी आपराधिक घटना जिसकी सब लोग निन्दा करते हैं वीभत्स घटना है, अगर समय पर पुलिस वहां पहुंच जाती तो शायद यह घटना न घटती। 4-5 घंटे तक हाई-वे पर यह दुर्दान्त घटना, यह वीभत्स घटना लगातार होना यह सरकार की नाकामी और पुलिस की निष्क्रियता का द्योतक है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है और आज कल ही अखबारों के माध्यम से आया है कि यहीं तक सीमित नहीं बुलन्दशहर में दोबारा हाई-वे पर गैंग रेप हो गया। दोबारा एक बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया। इसके अलावा बहराइच, रायबरेली, लखनऊ, गाजीपुर, बदायूं, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में रिकार्ड तोड़ महिलाओं के साथ और बालिकाओं के साथ यह कुकृत्य, दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास और अपहरण, अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर देना, इस तरह की घटनाएं आम बात बन गई हैं। देश के सबसे बड़े इस सूबे में जहां देश के संविधान के अनुच्छेद-14, 15 और 16 में जहां महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है और देश का संविधान अनुच्छेद-15(3) में अर्थात् अनुच्छेद-15 के आर्टिकल 3 में यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि महिलाएं और बच्चों के संरक्षण संवर्धन और उनके साथ उनके हितों की रक्षा के लिये विशेष प्रकार के प्राविधान बना सकता है लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि 2014 में महिलाओं के विरुद्ध सूचित अपराध लगभग 3.37 लाख घटित हुए। यह सूचित अपराध हैं जो 58 प्रतिशत की वृद्धि है। जो सरकार की तरफ से तमाम प्रश्नों के माध्यम से जो हमारे माननीय विधायकगण और नेतागण पूछते हैं उन्हें जवाब दिया जाता है कि अपराध का रेशियो घटा है। मैं केवल वर्ष 2014 की बात करता हूं कि 3.37 लाख अपराध हुए हैं जो कि 58 प्रतिशत का इजाफा है केवल 2014 में। 2014 में उत्तर प्रदेश ने इंडिया को टॉप किया है। देश में महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ केवल उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जो देश के अन्य सूबे, पूरे देश में जो अपराध घटित हुए हैं उनमें वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मामले में घटित अपराधों के मामले में इंडिया को टॉप किया है। इसी तरह से 2014-15 में 48 प्रतिशत अधिक अपराध हुए हैं और इनमें से 59 परसेन्ट नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध हुए हैं। सबसे बड़ा क्राइम स्टेट यू0पी0 बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, कानून व्यवस्था पर कई बार चर्चा हो चुकी है। 2014 की नहीं आज की बात बताईए।

श्री गया चरण दिनकर-

मैं कह रहा हूं मैं चार साल की बात नहीं कह रहा हूं 6 महीने का रिकार्ड नहीं आया है मैंने डी0जी0 से कहा था जो आई0जी0 क्राइम हैं उनको पत्र लिखकर कहा था कि 15 मार्च 2012 को सरकार ने शपथ ली, तो तब से अद्यतन स्थिति क्या है अपराधों का विवरण दिया जाए उन्होंने हवाला दे दिया कि बेवसाइट पर देखें बेवसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन 2012, 13, 14 के बाद का कोई भी आंकड़ा बेवसाइट पर नहीं पड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आज सवाल के उत्तर में भी आंकड़े बताये गये थे।

श्री गया चरण दिनकर-

चार साल में 362 परसेन्ट रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। 71 प्रतिशत क्राइम्स उन इलाकों में हुए हैं जहां समाजवादी पार्टी के एम0एल0ए0 या मिनिस्टर हैं वहां पर 71 परसेन्ट अपराध महिलाओं के साथ ज्यादा घटित हुए हैं। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन का आंकड़ा है (शोर) यह बोलने नहीं देना चाहते हैं यह लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं असलियत को सामने आने दीजिए जवाब का मौका मिले तो जवाब दीजिएगा प्रतिदिन का जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है 24 बलात्कार पर डे, 21 बलात्कार के प्रयास पर डे, हत्यायें प्रतिदिन 13, दंगे प्रतिदन 19 अब तक 5007 छोटे-बड़े दंगे हो चुके हैं यह दंगे वहीं सबसे ज्यादा हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग है जहां से वह एम0एल0ए0 हैं, मिनिस्टर हैं सांसद हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इन दोनों के जनप्रतिनिधि ज्यादा हैं सबसे ज्यादा दंगे वहीं हुए हैं केवल चार महीनों का आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यानि 15 मार्च से 18 जुलाई के बीच...

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

एक बात है आपकी सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है उसका जवाब इधर से आएगा लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों के यहां ही बलात्कार होते हैं, कराए जाते हैं यह सही नहीं है।

श्री गयाचरण दिनकर-

मैंने यह नहीं कहा आप कृपया ध्यान दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप कार्यवाही में दिखवा लें आपने ऐसा ही कहा।

(शोर)

श्री गया चरण दिनकर-

बोलने दीजिए मैं यह कह रहा हूं कि जो अपराधों का विवरण है रेप, रेप के प्रयास का आंकड़ा मंगा लीजिए, सर्वाधिक 71 प्रतिशत जितने भी अपराध हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, बलात्कार के प्रयास हुए हैं, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनायें हुईं उन इलाकों में हुए हैं जहां से समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं, मिनिस्टर हैं उन इलाकों में सर्वाधिक 71 प्रतिशत हुए हैं। सरकार इतनी असंवेदनशील है।

(व्यवधान)

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा)-

यह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करें। यह कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं है।

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, प्रतिदिन का आंकड़ा रख रहा हूं। 7,650 घटनायें महिलाओं के साथ हो रही हैं...

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई। अभी प्रश्नों के उत्तर में अपराधों के आंकड़े आ चुके हैं।

श्री गया चरण दिनकर-

महिलाओं का उत्पीड़न 15 मार्च से लेकर 18 जुलाई तक चार महीने में 1012 रेप की घटनाएं हुई हैं। मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड की बात करता हूं। चार महीने में महिला उत्पीड़न की 4, 520 घटनाएं घटीं। लूट 1386 हुईं, डकैती की घटनाएं 865 हुई हैं यह 15 मार्च 2016 से 18 जुलाई, 2016 के मध्य की बात है। पिछले एक वर्ष में 2.78 लाख घटनाएं केवल लखनऊ शहर में लखनऊ जिले में हुई हैं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा प्रतिवाद करने के कारण व्यवधान)

श्री गया चरण दिनकर-

प्रतिदिन 6 हजार चार सौ तैंतीस अपराधिक घटनाएं घट रही हैं। जो पिछले रिकार्ड का 16 प्रतिशत अधिक हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह बातें प्रश्नों के उत्तर में आ चुकी हैं।

श्री गया चरण दिनकर-

इन चार सालों में 25007 दंगे हुए हैं। यह जितने भी साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगे हुए हैं यह उन इलाकों में हुए हैं जहां से हमारे बगल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं एम0एल0ए0 हैं जिम्मेदार हैं और जहां समाजवादी पार्टी के लोग हैं जहां यह दोनों लोग हैं वहीं साम्प्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। नेता विरोधी दल अब आपकी बातें आ गईं अब समाप्त करिए।

श्री गया चरण दिनकर-

मैं बुलन्दशहर की घटना के साथ-साथ यह भी जिक्र करना चाहता हूं जहां महिलाएं इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं हर वर्ग की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। वहां मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं हैं, वहां दलित समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी 6/7 जुलाई को जिला चित्रकूट में बहिलपुरवा थाना

में खांचपुरवा है वहां केवल शेड्यूल कास्ट उस गांव में तमाम और बिरादरी के लोग रहते हैं लेकिन लगातार 15-20 असलहेधारी लोग कुल्हाड़ी, फरसा बरछी बल्लम लेकर घरों के दरवाजे फाड़े गए दरवाजे खुलवाए गए और हर घर में पहुंच कर चाहे वह बच्चा हो बूढ़ा हो, महिला हो सबको घसीट-घसीट कर मारा गया लगभग 6-7 कि0मी0 दूर पर थाना है वहां घटना की सूचना दी गई लेकिन ..

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी आप इनको बैठने के लिए कहें। यह लोग सलीका सीखें जब नेता सदन बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप करें। बहुत हो गया आपने सारी बातें कह दीं।

श्री गया चरण दिनकर-

बहिलपुरवा थाने के उस खांचपुरवा गांव में लगभग 8-10 लोगों को बेरहमी से मार-पीट करके अधमरा कर दिया गया। पांच घंटे तक यह नंगा नाच चलता रहा पांच कि0मी0 की दूरी पर रहने वाला एस0ओ0 घटना की जानकारी होने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाया। सुबह किसी तरह से लोगों को जानकारी मिलती है तब कहीं जाकर उन लोगों की हिफाजत हो जाती है। पुलिस ने क्या किया एक बबलू कोल नाम का बागी गैंग है पुलिस ने हाथ पैर न चलाने के लिए उस घटना को दूसरा रूप देने के लिए एक बागी फरार जिसका पुलिस 10 साल से कुछ नहीं कर पा रही है उसको गिरफ्तार करना तो दूर दर्शन नहीं कर पा रही है उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया कि गैंग ने घटना की है। गैंग तो घटना उन पर करता है जो उनकी मुखबिरी करते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। लेकिन जिनके पास एक वक्त के खाने का इन्तजाम नहीं है गैंग जाकर उन्हें क्यों मारे-पीटेगा महिलाओं, बच्चों, बूढों को क्यो मारे-पीटेगा। इसलिए घटना का यह रूप दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री गया चरण दिनकर-

सरकारी मशीनरी नहीं रह गई है। सरकारी मशीनरी निरंकुश है अथवा सरकार के इशारे पर वह गलत दिशा में काम कर रही है। जो दोषी हैं, दोषी को बचाने का काम किया जाए और जो निर्दोष हैं उनकी जान-माल और ईमान को रौंदा जाए और घटना को दर्ज करने के लिये उनके खिलाफ अज्ञात में दर्ज कर दिया जाए, जानते हुये अज्ञात में दर्ज कर दिया जाए, जिनका पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ढेर सारी घटनाएं सिड्यूल्ड कास्ट के साथ घटी थीं और मुस्लिम हितों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी जो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की हितैषी बनती है। मौजूदा सरकार ने चुनाव के पहले अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार आयेगी तो जो मुस्लिम समाज की जनसंख्या है, जनसंख्या अनुपात के आधार पर 18 परसेन्ट आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है, इसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ऐसे लोग जो जेलों में हैं, सरकार बनने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जायेगा। सर्वाधिक मुस्लिम छोटे-छोटे मामलों में हजार-दो हजार नहीं, मनमानी तादात में अब भी मुस्लिम जेल की सींखचों में बन्द हैं, कैद हैं, एक को भी रिहा नहीं किया गया है और सबसे ज्यादा दंगे अगर हुये हैं और दंगों से जो प्रभावित हुये हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला मुस्लिम समाज है, चाहे वह कैराना हो, चाहे शामली हो, चाहे आजमगढ़ हो और चाहे सहारनपुर हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, जब सत्ता में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ होती है तभी आखिरकार शिवसेना, बजरंग दल, राम सेना और जो जातीय दंगे और सामाजिक दंगे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो दंगे कराए जाते हैं, यह झूठ और फरेब करने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत के दौरान सिर क्यों नहीं उठाते हैं, यह समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही क्यों सिर उठा लेते हैं ? इसीलिये मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, पूरे प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं, यह भी जानते हैं कि एक ध्रुवीकरण करने के लिये धर्म विशेष और जाति विशेष का फायदा उठाने के लिये, राजनैतिक लाभ उठाने के लिये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके प्रदेश के तमाम निर्दोष और अबोध लोगों के साथ यह अन्याय और अत्याचार करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवदेन है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री गया चरण दिनकर-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी पूरी बात तो आ जाने दीजिये। मैं कानून-व्यवस्था पर बोल रहा हूं। पूरे प्रदेश में अवैध खनन का धंधा चल रहा है। मैं बांदा जिले का रहने वाला हूं। मैं आज की घटना बता रहा हूं, एक भी डम्प की परमिशन नहीं है। जिले में खनन का जब कोई पट्टा ही नहीं है तो अगर किसी को डम्प की परमिशन दे भी दी गयी है तो वह बालू कहां की डम्प करेगा ? जो डम्प की परमिशन भी दी गयी थी चलो उसकी तारीख भी खत्म हो गयी। नोट कर लीजिये स्योहारी गांव। जनपद बांदा में लमहेटा बिसण्डा थाना पड़ता है, अभी पता लगा लीजिये। जनपद बांदा के बिसण्डा थाने में लमहेटा गांव और लमहेटा गांव का मजरा है स्योहारी, ढाई सौ ट्रक बालू लगातार अबाध गति से निकाली गयी, न पट्टा है, न डम्प का पट्टा है। वहां का पुलिस प्रशासन और प्रशासन सरकार के कुछ नेताओं के इशारे पर अनुचित लाभ के लिये यह गोरखधंधा चला रहे हैं। कानून कहां है भाई ? कानून किस चिड़िया का नाम है इस सरकार में नजर नहीं आ रहा है। पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी है, असुरक्षा का वातावरण है, पूरे लोग दहशत में हैं। कोई भी दमदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि अगले क्षण मैं सुरक्षित हूं। मैं उधर बैठे लोगों से भी बात करना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के एम0एल0ए0 हैं, नेता हैं और जिम्मेवार लोग हैं वह भी अछूते नहीं हैं उनके साथ भी घटनाएं घटी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, आप बैठ जायें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत देर से सुन रह था, मुझे लगा था कि नेता प्रतिपक्ष नए बने हैं, कुछ नई बातें इनके पास होंगी। लेकिन बातें सुनने के बाद मुझे यह लगता है कि जो

हमारे पुराने नेता प्रतिपक्ष थे, उनसे भी गए-गुजरे निकले। नेता प्रतिपक्ष ने अभी कहा कि कानून-व्यवस्था क्या है, किस चिड़िया का नाम है ? अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ आपकी नेता के बारे में कह दिया तो मुझे खुशी इस बात की है, आपकी नेता ने मुझसे कहा कि मुख्य मंत्री अगर मुझे बुआ समझते हैं तो कम से कम ऐसे नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजें। अगर चिड़िया का नाम पूछ रहे हो तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं हमसे, यह सवाल कानून-व्यवस्था का नहीं है, नेता प्रतिपक्ष जानते हैं, यह सवाल कानून-व्यवस्था का नहीं है, न इनके पास कोई सुझाव है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस कितना काम कर रही है और कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार कितना काम कर रही है। मैं कई सवाल आपसे पूछ सकता हूं, अभी कुछ दिन पहले तो आपकी नेता ने यह कहा कि कानून-व्यवस्था ठीक हो जायेगी तब, अगर वह गिरफ्तार कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता को। क्या आपकी नेता ने नहीं कहा और मैंने गिरफ्तार कराया कि नहीं कराया ? आप आश्वासन दीजिए, आप बताइये कि गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ ? महिलाओं के प्रति जितना यह सरकार काम कर सकती थीं, सरकार ने काम करके दिखाया है और कानून-व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। मैं इस सदन में दावा कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के सामने, आपकी भी मुख्य मंत्री थी, महिला मुख्य मंत्री थी, कितना कानून-व्यवस्था पर काम किया और अगर कानून-व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी आपकी, तो फिर वहां क्यों बैठे हैं आप ? आपको तो यहां बैठे होना चाहिए था और कई बुराइयां जो आपकी थी, जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ा। जो बुराइयां आपने पैदा की, उसके खिलाफ आपके लोगों को जाने कहां-कहां जाना पड़ा, कुछ जेल में भी चले गए। जो बुराइयां आपने दी, कम से कम उन बुराइयां को ठीक कर रहे हैं, हम लोग। यह मत भूलिए, 10 साल पहले आप चुने गए थे, 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, अभी 2017 में चुनाव होने जा रहा है। हम यह कह सकते हैं कि देश में 1090 एक उदाहरण बना है, जहां 04 लाख महिलाओं को और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं यह बात सदन में कह रहा हूं, माननीय सदस्यों के सामने कह रहा हूं, 04 लाख महिलाओं को सहूलियत, मदद करने का काम 1090 ने किया है और आप वहां जाइये और कम से कम एक महिला से वहां बात करिए और मैं चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं, वह 1090 में जायें और पूछें कि महिलाओं की कैसे मदद हुई है, बेटियों की, लड़कियों की कैसे मदद हुई है ? जहां तक जो घटनाएं हो रही हैं, यह यही है, मैं कहना चाहता हूं इन घटनाओं पर यह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इन्हें कानून-व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है, वरना कानून-व्यवस्था के सवाल पर आप क्या कह रहे हैं ? अरे, रिश्ता आपका भारतीय जनता पार्टी से रहा है, बताइये, गुजरात में जाकर आपने वोट नहीं मांगा, आपने मिल करके सरकार नहीं बनायी, कितनी बार सरकार बनायी और रक्षा-बन्धन मनाया आपने, पूरा देश जानता है। कम से कम आपको धन्यवाद देना चाहिए था और आपकी नेता को धन्यवाद देना चाहिए था, भाई वह अपनी प्रतिमा लगा रही थी, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया उस पर कम से कम यह मुख्य मंत्री ऐसा तो है जो पेन्टिंग लगा रहा है उनकी, इस सदन में, आपको धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही नहीं, मैंने कई मंचों पर कहा है और मैं सदन में भी कह रहा हूं कि यह चुनाव होने जा रहा है, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ना, मिल मत जाना इन लोगों से और मैं उनसे कहता हूं कि आप

भी दमदारी से लड़ना, आप मत मिल जाना इनसे। अभी तो थोड़े-बहुत बदले हैं, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम समाजवादी दरवाजा खोल दें तो कितने वहां के, कितने वहां के यहां आ जायेंगे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)-

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिए। आपकी बात आ गयी।

श्री गया चरण दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए...

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। आपकी बात यहां पर आ गई है, अब आप उत्तर मत दीजिये। दूसरे नेताओं को आप बोलने दीजिये। नेता विरोधी दल का कर्तव्य है कि दूसरे नेताओं को भी बोलने दें। अब आप खन्ना साहब को बोलने दीजिये।

श्री गया चरण दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल उन टिप्पणियों का जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और हर जाति और मजहब की जान-माल और इमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और जो माननीय नेता सदन कहते हैं कि अगर आपकी कानून व्यवस्था ठीक होती तो आपको उधर न बैठना पड़ता।

श्री अध्यक्ष-

यह उत्तर-प्रतिउत्तर का समय नहीं है। आपको उत्तर देने का अवसर फिर मिलेगा, तब आप अपनी बात कह लीजियेगा। अभी आप खन्ना जी को बोलने दीजिये।

श्री गया चरण दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिन तथ्यों की तरफ बात करता हूं, जिन आपराधिक घटनाओं की बात करता हूं, जिस ध्वस्त कानून व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा हूं मुझे जवाब उस पर चाहिये। आप कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी मिली-जुली सरकार रही है 1995 में लेकिन अपनी 1989-1990 की सरकार का भी आपको ख्याल करना चाहिये और जो आपका इशारा है कि आप सत्ता में रहे और उधर बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज यह कह रहे हैं और यह तय करेंगे कि डूबते हुये जहाज में यह कितने दिन बैठे रहना चाहेंगे या फिर कूद करके भागेंगे। सदन के बाद जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दरवाजे हमारे भी खुले हैं और आपके भी खुले हैं और यह देखना होगा और तब यह तय होगा कि कौन किधर भाग रहा है और

कौन किधर गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक महत्व का प्रदेश के नागरिकों से जुड़ा मामला है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिये ऐसा आश्वासन हम सरकार से चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक आंकड़े के बारे में आपको बता दूं, तो आपको मदद मिल जायेगी। एक तो जो आंकड़े आपने अपराध के बताये हैं वह सेन्सेस के आंकड़े नहीं हैं, सरकारी नहीं हैं, न यह भारत सरकार के हैं और न उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। यह अखबारों में छपी हुई खबरों के आंकड़े हैं उनका संज्ञान लिया भी जाता है और नहीं भी लिया जाता है। दूसरे आपने एक अल्पसंख्यकों से जुड़ी बात कही कि मेनीफेस्टो में रिजर्वेशन का वायदा किया गया था। कम से कम नेता प्रतिपक्ष को इतनी गैर जिम्मेदार बात नहीं कहनी चाहिये थी। अगर मेनीफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने 18 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की बात जैसी आपने कही तो सदन में ही खेद व्यक्त करेगी और अगर यह नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष को सदन में खेद व्यक्त करना चाहिये। मान्यवर, समाजवादी पार्टी को भी मालूम है और खुद अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी मालूम है कि जब तक संविधान नहीं बदला जायेगा और जब तक संविधान में अमेन्डमेन्ट नहीं होगा, तब तक 18 प्रतिशत तो दूर की बात 0.18 प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आप मुसलमानों को जज्बाती करके उनसे गलतबयानी करके उनसे गलत बात कह कर हमारे ऊपर आक्षेप रख कर अगर यह समझाना चाहेंगे तो यह बात उनकी समझ में इसलिये नहीं आयेगी कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि अब मुसलमान बच्चे भी कन्चों की बजाय कम्प्यूटर से खेलने लगे हैं और वह वाट्स एप पर यह देखने लगे हैं कि कब बहन जी जाकर गुजरात में गुजराती भाषा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती हैं। वह यह देखने लगे हैं कि कांशीराम जी ने कानपुर की रैली में यह कहा था, अब वह इस दुनिया में नहीं हैं इसलिये मैं कह देता हूं अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर की रैली में कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का मामला हल करने का हक दिया जाये तो मैं उसकी जगह पर लैट्रीन और पखाने बनवा दूंगा।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर टोकाटाकी किये जाने पर)

यह बात सच है। जरा सुन लीजिये, आप बैठ जाइये। मान्यवर, आप रिकार्ड निकाल लें मैं नेता प्रतिपक्ष था मोहतरमा मुख्य मंत्री थीं उनके सामने भी मैंने यह कहा था लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे सकी थी क्योंकि यह सत्य था और तीसरी बात वाट्स एप पर मुसलमान बच्चे अब यह भी देख रहे हैं कि आपकी मोहतरमा यह फरमा रही हैं कि इन्तिहा पसन्द मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए। कौन है इन्तिहा पसन्द मुसलमान जो पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, जिनके माथे पर नमाज का निशान है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जो उमरा करने जाते हैं, जो हज करते हैं, जो सूद नहीं लेते, जमीनों पर कब्जे नहीं करते, पाप नहीं करते, उन्हें यह कहते इन्तेहा पसन्द मुसलमान, इन इन्तेहा पसन्द मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ये मुसलमानों के लिए आपके जज्बात, आपकी प्लानिंग है और जहां तक आप बार-बार इशारा इधर कर रहे हैं कि इनसे मिल कर दंगे, बेशक यह बात सही है, नेता प्रतिपक्ष ने अब से चार दिन पहले तक इनसे मिलकर दंगे कराये हैं, बसपा और भाजपा बराबर की हकदार हैं और हिस्सेदार हैं उसमें, यह मैं नहीं साबित कर रहा हूं, यह आपके नेता प्रतिपक्ष ने वहां जाकर यह साबित किया है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, पूरे लोकतंत्र के सामने, लोकतंत्र में

यकीन रखने वालों के सामने, अपने नेताओं के सामने जिनको वोट देते हैं कि यह किस विचारधारा के हैं, इतने बड़े सेकुलर, एक दिन पहले तक जिस तरह से लांछन और जिस तरह के इल्जामात भारतीय जनता पार्टी पर लगाये जा रहे थे, एक रात का फासला बस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का नेता प्रतिपक्ष एक रात के फर्क से भारतीय जनता पार्टी का हो गया, कैसे यकीन करें लोग सेकुलर्स पर, आपने सेकुलरिज्म को धक्का पहुंचाया है, आपने सेकुलर विचारधारा को धक्का पहुंचाया है और जहां तक आप यह कहते हैं कि अमुक पार्टी के, अगर 400 विधायक आ जायेंगे, तो जाहिर है अगर अपराध होंगे, तो उन्हीं के इलाकों में तो होंगे, जो उनके विधायक हैं, तो आप तो यह हमारे लिये दुआ का काम कर रहे हैं, बद्दुआ का काम नहीं कर रहे हैं, अगली बार हमारे विधायक ज्यादा आयें यह आप चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारों में रहा और जितना आपने हमे दिया, आपने जिलों के नाम रखे, 20 करोड़ 21 करोड़ के उत्तर प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस ऊंगली उठाकर वह प्लाट मेरा है, कोई प्लाट हमारे नाम भी किया आपने यानी मुसलमानों के। इतने जिले बनाये आपने, कोई नाम हमारे पूर्वजों के नाम से भी रखा, एक नाम सेकुलर था अकबरपुर वह भी खत्म कर दिया आपने, क्योंकि अकबर नाम आ गया था, इसलिए अच्छा नहीं लगा। आपने कितनी यादगारें बनायीं, कितने पार्क बनाये, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक पार्क, एक का मतलब एक, सिर्फ एक पार्क, अगर किसी मुसलमानों के पूर्वजों के नाम से आपने बनाया हो, वह नाम बता दें, बड़ा एहसान होगा आपका, कोई और उपकार किया हो, वह बता दें, इतनी पत्थरों की प्रतिमायें लगायीं आपने, हाथी के अलावा किसी गधे की भी लगा दी होती, आपने तो पशुओं के साथ भी न्याय नहीं किया।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, गधे की बात आ गई, वह तो गुजरात का कुछ दिखाई देता है टी0वी0 में आज कल प्रचार।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इंसानों के साथ तो न्याय नहीं कर सके आप, हम यहां बैठे थे, आप यहां थे, मुख्य मंत्री साहिबा बैठी थीं, दो पेज का आश्वासन सदन में पढ़ा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि मुझे आश्वस्त करना चाहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय नहीं होगा, उसकी सुरक्षा की जायेगी और जिस वक्त यह वक्तव्य सदन में पढ़ा जा रहा था, उस वक्त मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुल्डोजर चलाये जा रहे थे। 2005 में उसका कानून आप सबने मिल कर पास किया था और 2012 तक 05 साल तक एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय जो इतिहास का पहला था उत्तर प्रदेश का जिसे नेता जी ने बनाया था, उस विश्वविद्यालय को 05 बरस तक आपने एन0ओ0सी0 नहीं दिया, 05 बरस तक हजारों इन्जीनियर, डाक्टर, साईंसटिस्ट बन कर निकल गये होते, नफरत का यह आलम है आपका, कहते हो कि क्या किया मुसलमानों के साथ आपने और आपके जाने के बाद उसे एन0ओ0सी0 मिला और हम आपसे कहना चाहते हैं, एक ऐसा विश्वविद्यालय हमने बनाया है जिस पर आप नाज करेंगे। ऐसा एक मेडिकल कालेज भी बना रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसा मेडिकल कालेज नहीं होगा जिसे पांच साल आपने एन0ओ0सी0 नहीं दिया। पांच साल आपने रोके रखा। आप देंगे मुसलमानों को, सिवाय जिल्लत के और क्या देंगे आप। आपने एक इबादतगाह की जगह यही कह दिया

होता कि हम पार्क बनवा देंगे, हम उसका मसला हल कर देंगे। [x x x] कम से कम इन्होंने तो यह बात कभी नहीं कही। इबादतगाह की जगह इबादतगाह इन्होंने बनाई। [x x x] इस विचारधारा में तो आप इनसे कहीं ज्यादा गए-गुजरे हो। आपके यहां धर्म का सम्मान नहीं है। आपकी अपनी नेता का क्या धर्म है उन्हें खुद नहीं मालूम। आप क्या धर्म का सम्मान करेंगे। लैट्रिन और पखाने बनवाने वाले लोग बाबरी मस्जिद की जगह मुसलमानों को क्या देंगे आप ? कोई एक नौकरी दी हो तो बता दें, कोई एक यादगार छोड़ी हो तो बता दें और एक विश्वविद्यालय उसके साथ आपने जो सुलूक किया वह आपको बता दिया गया। समाजवादियों का आप अहसान मानिए। बहुत सी कार्यवाहियां ऐसी हैं जो इनकी उदारता से रुकी हुई हैं। लोकायुक्त के निर्देश जो आपकी नरमी से रुके हुए हैं। बहुत पहले हो जाना चाहिए था और जब तक वह नहीं होगा आपको यह पता नहीं चलेगा कि कानून व्यवस्था कैसे लागू होती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बार-बार क्यों उठ खड़े होते हैं। अब बार-बार नहीं। अब बात हो गयी, आपने कह दी, उन्होंने कह दी। अब कुछ नहीं। खन्ना जी आप बोलिए। नेता विरोधी दल अब पीछे वालों से नहीं, आपने अपनी पूरी बात कह दी। एक गरिमा नेता विरोधी दल की है इसलिए आपको लम्बा समय मैंने बोलने को दिया आपने सारे तथ्य रख दिए, उन्होंने तथ्य रख दिए। उसमें वाद-प्रतिवाद नहीं होता है। नेता विरोधी दल आपका सम्मान है आप उस गरिमा का ध्यान रखिए।

श्री गया चरन दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा चल रही थी कानून व्यवस्था पर, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चर्चा उस पर चल रही थी। उस चर्चा पर जवाब आना चाहिए, कानून व्यवस्था पर जवाब आना चाहिए। सरकार की क्या जिम्मेवारी है, अपराधों को कैसे रोकेंगे। अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे, जान-माल की रक्षा कैसे करेंगे सरकार की यह जिम्मेवारी है। चर्चा इस पर करनी चाहिए और यह झूठ और फरेब की बातें रख करके और केवल अपनी पीठ ठोंकने से बात नहीं बनेगी। इसलिए सरकार इस चर्चा से पीछे हटना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर पूरा जवाब आएगा जब सब लोग बोल लेंगे तब उसके बाद आप पूछिएगा। जब सारे नेता बोल लेंगे तो एक पूरा जवाब आ जाएगा तब आपको अपनी बात पूछने का भी मौका आएगा।

श्री गया चरन दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के मामले में सरकार संवेदनहीन है, कानून-व्यवस्था के मामले में सरकार बेपरवाह है और सरकार का जो रवैया साढ़े-चार साल तक रहा है उसमें भी सुधार लाने की मंशा नहीं दिखायी देती है इसलिए मैं और बहुजन समाज पार्टी हम कानून व्यवस्था के मामले पर जहां सरकार संवेदनशील नहीं है इस मामले को ले करके हम वॉक आउट करते हैं।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, संक्षेप में कहिए वाद बहुत ज्यादा हो गया है। नेता विरोधी दल का पहला भाषण था इसलिए ज्यादा समय यह बोल गए। संक्षेप में कहिए जिससे पूरी बात आ जाए। वह नेता विरोधी दल पहली बार बने थे इसलिए उनको थोड़ा मौका मिल गया।

समाज कल्याण, अनुसूचित एव जनजाति कल्याण तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात को कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है तो अगर चर्चा हो रही है तो पक्ष से एक और विपक्ष से एक को मौका मिले ऐसा होना चाहिए। हमें भी बोलने का मौका दीजिए। बार-बार उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है, अगर चर्चा हो रही है तो हम लोगों को भी पूरा मौका दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, सुन लीजिए। मैंने उनसे बार-बार कहा कि चर्चा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा नहीं हो रही है तो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव एक निश्चित सब्जेक्ट पर होता है। सारे प्रदेश का मामला कार्य-स्थगन में नहीं उठता है अगर सारे पर उठता है तो चर्चा में भाग हम भी लेंगे। हम लोग धज्जियां उड़ा देंगे। चर्चा हो रही है तो चर्चा में भाग हम भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह नेता विरोधी दल हैं, विधान सभा में नेता विरोधी दल को किसी विषय पर बोलने के लिए समय-सीमा नहीं होती है। समय-सीमा नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री के लिये नहीं होती है, इसलिए उसका लाभ उठाकर पहली बार वे नेता विरोधी दल बने थे, जो उनकी कार्य कुशलता थी, उन्होंने सदन के सामने रखी। आपने देखा। अब इस बात को खत्म कीजिए। माननीय खन्ना जी अब आप बोलें।

(श्री राजीव गुम्बर एवं श्री उपेन्द्र तिवारी जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, दो लोग और बोलना चाहते हैं, बैंक डकैती का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

हम जानते हैं, बैंक, डकैती अखबारों में छपा है, केवल आप बोल दीजिए। इतने लोग कैसे बोलेंगे ? या तो खन्ना जी आप न कहिए केवल वही बोल लें। यह चर्चा तो थी नहीं, ग्राह्यता पर था। चूंकि वे नेता विरोधी दल थे उनको एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, इसलिए उतनी देर बोल लिए। तीन आदमी न बोलें केवल एक आदमी बोल ले। बहुजन के भी बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें आ चुकी हैं वह नही दोहराई जायेंगी। दो मिनट ये श्री राजीव गुम्बर के उस नोटिस पर दस्तखत हैं और 2 मिनट श्री उपेन्द्र तिवारी बोल लेंगे और 5 मिनट हम बोल लेंगे। वैसे भी आज सदन का अन्तिम दिन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी नोटिस स्वीकार की है, उनकी नोटिस तो स्वीकार की नहीं है। आप बोल लें। जो बात वे कहना चाहते हैं, आप भी कह सकते हैं।

(श्री राजीव गुम्बर एवं श्री उपेन्द्र तिवारी जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजीव गुम्बर-

सहारनपुर में हमारी कानून व्यवस्था इतनी बिखरी हुई है कि प्रतिदिन सहारनपुर अपराध से ग्रसित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या खन्ना जी आप नहीं बोलेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तब फिर ये क्यों बोल रहे हैं, इनकी नोटिस नहीं स्वीकार हुई है, आपकी नोटिस स्वीकार हुई है। श्री राजीव गुम्बर जी का कुछ लिखा नहीं जायेगा, खन्ना जी आप बोलिए।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के साथ भाजपा के सदस्य वेल में आ गये)

(भारतीय जनता पार्टी के कतिपय सदस्यों द्वारा सदन के वेल से नारे लगाये जाने लगे)

(सदस्य उपेन्द्र तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपनी बात अलग से दीजियेगा।

(मंत्री, श्री वसीम अहमद द्वारा अपने आसन से बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, उपेन्द्र तिवारी जी, आप अपनी सीट पर जाइये। अब आप नहीं जाना चाहते तो मैं क्या करूं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप अपना अलग से देना। मा0 खन्ना जी, आप अपने सदस्यों को यहां से लेकर जाइये। मा0 तिवारी जी, आप अपनी सीट पर जाइये, खन्ना जी, अपनी बातें बोलेंगे। आप खन्ना जी को बोलने देंगे कि खुद ही बोलते रहेंगे। आप अपनी सीट पर चलिये। कल आप अपनी बात कहना।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण अपनी सीटों पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्य उपेन्द्र तिवारी जी को बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ये कल अपना अलग से दे देंगे, उस पर विचार होगा। आप अपनी बात बोलिये।

(सदस्य उपेन्द्र तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप कल अपना दीजियेगा और अपनी बात कह लीजियेगा। आज आप बैठिये और खन्ना जी को बोलने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनको 2 मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आज यही तय हुआ है। जो तय हुआ है वह यही तय हुआ है कि एक-एक लोग बोलेंगे। खन्ना जी आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिये। बलिया में इनको निशाना बनाकर गोली चली। ये बाल-बाल बच गये नहीं तो सदन में इनका शोक-प्रस्ताव लाना पड़ता। इनके साथ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसकी वजह से वहां के डी0एम0 और एस0पी0 सस्पेण्ड हुये। ये दो मिनट अपनी बात कह लें फिर मैं अपनी बात कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि यह बलिया का है तो ये विधायक होने के नाते अपना मामला अलग से उठायें और उस पर बोलें। पूरी व्यवस्था पर आप बोलिये। इनको मैंने कहा कि ये अपना विषय अलग से लिख कर दे दें। कानून-व्यवस्था पर आप बोलिये। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है, मैंने कानून-व्यवस्था पर स्वीकार किया है। कानून व्यवस्था पर डा0 अयूब साहब का भी है, आपका भी है तो क्यों आप टाइम वेस्ट करा रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इनको दो मिनट का मौका दे दीजिये, उसके बाद हम बोल लेंगे। इनको केवल दो मिनट मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

फिर तो दो-दो मिनट सबको बुलवाना पड़ेगा। इधर से लोग बोलेंगे तो उधर से भी बोलेंगे। खन्ना जी, आज आप बोल लीजिये, तब बताते हैं, आप अपनी बात कहिये। आपने उनकी बात कह दी कि गोली चलाई गई है। अब आप अपनी बात बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी नोटिस में भी उस बात का जिक्र है। हमारे नोटिस में उसका जिक्र है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम दो-तीन विषयों पर, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते हैं और ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं। मान्यवर, बलिया में 12 तारीख को एक स्थानीय विषय को लेकर एक आन्दोलन हुआ जिसमें हमारे मा0 विधायक श्री उपेन्द्र तिवारी जी और उनके साथियों ने वहां पर धरना दिया। यह विषय गो-कशी का था, यह मामला गो-कशी के सम्बन्ध में था। विषय यह गोकशी के सम्बन्ध में है, कुछ लोग गाय ले जा रहे थे उसको लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया स्थानीय प्रशासन के खिलाफ। जब स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आन्दोलन किया, तब इनसे यह कहा गया कि आप शान्तिपूर्ण तरीके से धरना करें और उसके बाद अचानक रात्रि में जनरेटर ऑफ करके वहां पर फायरिंग कर दी गई और उस फायरिंग में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। बात तो यहां पर आती है कि बकायदा अधिकारियों द्वारा लाइट बन्द करना और उसके बाद गोलीबारी का आदेश देना। मान्यवर, छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर इतनी जल्दी गोलीबारी का आदेश नहीं होता। मान्यवर, पहले लाठीचार्ज होता या पहले किसी तरीके से दूसरे मीन्स् अडाप्ट किये जाते, उसके बाद जब यह नौबत आती है कि जब बात बिल्कुल ही बात जब अनकन्ट्रोल हो उसके बाद कहीं गोलीबारी का नम्बर आता है। मान्यवर, यह एक राजनैतिक षडयंत्र के तहत अधिकारियों ने साजिश की और एकदम से अचानक गोलीबारी शुरू हो गई।

श्री अध्यक्ष-

आप तो विद्वान हैं, आप ग्राह्यता पर बोलिये ना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो घटना का उद्धरण दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर, यही तो ग्राह्यता होती है। सवाल यह है मान्यवर कि आखिरकार वहां पर गोली क्यों चली ? हमने डी0जी0पी0 को फोन किया दूसरे दिन, हमने पहले रात को फोन किया रात को साढ़े ग्यारह बजे जिस समय यह घटना हुई उस समय रात के सवा ग्यारह बजे मैं शाहजहांपुर में था, मैंने फोन किया तो उनका फोन उस समय उठा नहीं। सवेरे जब मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरी बात पर यह कहा कि ''आई एग्री विद यू' और 24 घण्टे के अन्दर इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई मान्यवर, उसमें हुई लेकिन जो बात यहां पर विधान सभा में उठाने की है वह यह है कि हमारे एक माननीय विधायक को निशाना बनाकर, उन पर फायरिंग की गई। वह तो एक इत्तेफाक था कि उसी तरीके के कपड़े एक दूसरा व्यक्ति भी पहने हुआ था। सफेद कपड़े वह भी पहने हुआ था और सफेद कपड़े ये भी पहने हुए थे और उस व्यक्ति विनोद राय की वहीं पर मौके पर गोली लगने से हत्या हो

गई। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दुःखद घटना है, मान्यवर गोली चलना वह भी इतनी छोटी-सी बात के लिए जबकि ए0डी0एम0 और सी0ओ0 वहां पर आकर यह बात कह गये थे कि आप लोग अपना शान्तिपूर्ण तरीके से धरना करिये और उसके बाद बिजली बन्द करके फायरिंग कर देना यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम होता है मान्यवर।

(श्री नारद राय द्वारा बीच में विरोध करते हुए खड़े होने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

आप शांत रहें इनको बोल लेने दीजिए, आप बाद में बोल लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह किसी न किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम होता है, इसलिए इस विधान सभा में हम यह जरूर चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपना जवाब दें। मान्यवर, हमने यह मांग की है कि इसकी सी0बी0आई0 से इनक्वायरी करायी जाए क्योंकि जब तक सी0बी0आई0 से इनक्वायरी नहीं होगी, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और क्यों गोली चली। मान्यवर, वहां पर इस बात की आवश्यकता नहीं थी गोली चलने की और डी0जी0पी0 ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हां, वहां पर ज्यादती हुई है और डी0एम0 तथा एस0पी0 सस्पेण्ड हुए हैं। मान्यवर, यह बड़ी घटना है हमारे एक विधायक के ऊपर गोली चलना और एक व्यक्ति का वहां पर मर जाना यह अपने आप में मान्यवर, एक बड़ी घटना है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहते हैं कि इस मामले को सी0बी0आई0 को रिकमेण्ड कर दिया जाए। सी0बी0आई0 इस मामले में इनक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मान्यवर, दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी 24 तारीख को यहां विधान सभा के बाहर एक प्रदर्शन हुआ। हम लोग कानून-व्यवस्था का प्रश्न उठाते-उठाते थक चुके हैं और कानून-व्यवस्था का प्रश्न उठाते-उठाते जब सरकार की तरफ से समुचित जवाब नहीं आता तो रोष भी होता है तो आखिरकार वह रोष कैसे व्यक्त करें। इस रोष को व्यक्त करने के लिए बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निहत्थे लोगों ने धरना दिया और उनके ऊपर जिस प्रकार से मिर्ची बम, लाठी चार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार छोड़ी गई और हर प्रकार के जितने पुअरसिव मीन्स् हो सकते थे, वह अडाप्ट किये गये और लगभग 250 लोग उसमें घायल हुए, जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, किसी के सात टांके लगे हैं, किसी के 6 टांके लगे हैं, किसी के 5 टांके लगे हैं, अभी भी लोग भर्ती हैं मान्यवर, और ऊपर से एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज करा दी गई।

अब गोपाल जी इस हाउस के मेम्बर हैं यहां पूरे टाइम रहे धरने पर यहां रहे, आप सीसी टीवी फुटेज देख लें, यहां पर उनकी मौजूदगी रही और वहां पर उनका नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया गया। 30-40 लोगों के नाम और अन्य लोग जो लोग इस शहर में भी नहीं थे उसमें श्री सुनील बन्सल, विजय बहादुर पाठक, जो इस शहर में भी नहीं थे उन लोगों का नाम भी उस रिपोर्ट मे आ गया।

श्री अध्यक्ष-

आप यहां से सीसी टीवी फुटेज ले जाकर दे दीजिएगा विवेचना में ठीक हो जायेगा काहे इसको बार-बार दोहरा रहे हैं। आप तो वकील हैं, आप जानते हैं आगे बढ़िये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह अपने आप में बहुत ही दुःखद हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को जब हम उठाते हैं तो उसका उपचार करने के बजाय इस प्रकार का साधन अपनाते हैं।

तीसरी बात, मान्यवर, आज सुबह प्रश्न के माध्यम से एक विषय आया था उस वक्त मैं नहीं कह पाया सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ट्रान्सफर पोस्टिंग किस आधार पर होता है यह ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर होता है। पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग किस आधार पर होती है। पुलिस का अधिकारी एसपी कोई लेखपाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसी पर बोल रहे हैं। एक जवाहर बाग की घटना हुई। जवाहर बाग की घटना इतना बड़ा हादसा हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप नेता हैं और आप अधिष्ठाता मण्डल के सीनियर सदस्य भी रहे हैं और आप सदन बढ़िया चलाते भी हैं। आप सब जानते हैं कि ग्राह्यता में क्या होता है। सारे विषय चर्चा में आते हैं, चर्चा तो स्वीकार हो ही रही थी। चूंकि समय नहीं बचा है....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारी नोटिस देख लें।

श्री अध्यक्ष-

तो नोटिस इसमें पूरी थोड़े ही पढ़ी जायेगी ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें मैंने जवाहर बाग की घटना का उल्लेख किया है। जवाहरबाग में कितनी बड़ी घटना हुई। उस मैदान को खाली कराने के लिए हमारा एक एसओ शहीद हो गया, एक एसपी शहीद हो गया। यह कोई छोटी-मोटी घटना है। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के माथे पर एक बदनुमा दाग है कि जिस प्रकार से पहले उन लोगों को कब्जा करने दिया गया दो साल तक, ढाई साल तक वह लोग कब्जा किये रहे और उसके बाद जो परिस्थिति बनी वह सब आपके सामने हैं उस घटना को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन, वह अपने आप में शर्मनाक है।

श्री अध्यक्ष-

कहां आप जवाहर बाग लिये बैठे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बुलन्दशहर की घटना, जवाहर बाग की घटना और मान्यवर, एक वृजपाल सिंह तेवतिया नाम के व्यक्ति के ऊपर ए0के0 47 से हमला हुआ यह प्रदेश की वह घटनायें हैं जो इस प्रदेश के कानून व्यवस्था के ऊपर बदनुमा दाग निर्धारित करती हैं और अन्तिम इस बात के लिए कह

रहा हूं कि अगर पोस्टिंग ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर हो पुलिस अधिकारियों की, थानेदारों की पोस्टिंग गुणवत्ता देख कर हो उनकी एबिलिटी देख कर हो तब तो ठीक है और अगर उनकी पोस्टिंग दूसरे कंसीडरेशन के आधार पर होगी तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। मान्यवर, इस प्रदेश में पुलिस के ऊपर कितने हमले हुए मैं आपका एक संज्ञान उसके ऊपर चाहता हूं। 2012-13 में यह सरकार आई, 15 मार्च, 2012 में यह सरकार आई और उसके बाद 2012-13 में हमले हुए पुलिस पर 202, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई, 2013-14 में 264 हमले जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई, 2014-15 में 300 हमले, 2015-16 में 278 हमले 1044 स्थानों पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई यह फरवरी, 2016 तक के आंकड़े हैं। उसके बाद घटनायें और होती गयी जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें सिपाही पिटा, दारोगा पिटा, इन्सपेक्टर पिटा, सी0ओ0 पिटा और एसपी को गोली मार दी गयी। मान्यवर, आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जब हम इन घटनाओं को रोक सकेंगे। मान्यवर, पुराना रिकार्ड भी देख लें, कभी पुलिस इस प्रकार से पीटी नहीं जाती। पशु-तस्कर पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर मारते हैं। इसमें कितने जनपद हैं, मैनपुरी, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, फैजाबाद, चन्दौसी, अम्बेडकरनगर, बरेली इन जनपदों में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पशु तस्करों ने मारा है, उनके ऊपर गाड़ियां, ट्रक चढ़ा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है लेकिन आखिरकार किसके आगे रोयें जा करके, आप बता दीजिए यदि कोई दफ्तर हो तो उसके आगे रोयें जा करके। मान्यवर, यदि अपनी पीड़ा कहने का यह स्थान नहीं है तो आखिरकार हम अपनी पीड़ा कहां जा करके कहें। सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पूरी व्यवस्था चौपट है।

आंसू हैं बेअसर, जुल्म का सीना है रेगिस्तानी और
कभी-कभी तो मन करता है, पी लूं चम्बल का पानी।

मान्यवर, कभी-कभी यह स्थिति आती है कि आखिरकार क्या करें, कहां जाएं। अगर एक भी सन्देश देने वाली कार्रवाई होती तो हम इस सरकार को बधाई देते, यहीं पर बधाई देते, एप्रिसिएट करते लेकिन चार साल में एक भी सन्देश देने वाली कार्रवाई इस सरकार ने नहीं की इसलिए हम आपके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आपने हमें ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-56 अलग से दिया है, यह आज स्वीकार नहीं हुआ है, इस विषय पर कल जब सदन बैठेगा तो व्यक्तिगत रूप से आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ने कह दिया है, वही बात मैंने पढ़ लिया, आज आपका नियम-56 स्वीकार नहीं हुआ है और कानून-व्यवस्था पर बात हो रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने लगे)

*श्री उपेन्द्र तिवारी-

मेरे ऊपर गोली चली है, यदि विधायक की बात नहीं सुनी जायेगी तो हम कहां जायेंगे।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी सदन के वेल से एवं श्री नारद राय अपने आसन पर खड़े हो करके अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मृतक की पत्नी ने सी0बी0आई0 जांच की मांग की है, पत्र दिया है, आप इसकी जांच करा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बात न करें। मा0 तिवारी जी आप अपने आसन पर चलें।

(तत्पश्चात् श्री उपेन्द्र तिवारी अपने आसन पर चले गये)

(सदस्य श्री नारद राय के बोलने पर)

पहले आप उन्हें बोल लेने दीजिए, केवल दो मिनट में वह अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपको भी मौका मिल जायेगा क्योंकि आपके बलिया का मामला है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों एवं सदस्य श्री नारद राय के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल सही है कि मा0 उपेन्द्र तिवारी जी का हाथ टूटा है। मान्यवर, मा0 खन्ना जी ने सारी बात रख दी है, इनकी बात आ चुकी है, मैं चूंकि बलिया का हूं और उस घटना से सीधे-सीधे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस घटना पर राजनीति करना चाहते हैं, हम इस आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। मान्यवर, इस घटना का कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने जिस घटना पर धरना दिया उसका क्या कारण था। एक पशु तस्कर पशुओं को वध के लिए बेचने जा रहा था उसे पुलिस पकड़ कर लाई, थाने से सारे पशुओं को दूसरे के हवाले कर दिया गया, सुपुर्दगी में दे दिया गया। जो पशु तस्कर था उसको विधायक जी थाने से बाहर खींच कर लाये। थाने में पशु तस्कर नहीं था तो धरना क्यों हो रहा था, किसको छुड़ाने के लिए धरना हो रहा था, थाने में कोई मुल्जिम नहीं था और थाने में पशु भी नहीं था। मा0 अध्यक्ष जी, यह घटना हुई भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कारण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बिना कारण थाने का घेराव किया। कारण बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि क्या कारण था थाना घेरने का। थाना दीभर, खन्ना जी ने कहा कि ए0डी0एम0 ने अपर पुलिस अधीक्षक ने अनुमति दिया कि शान्तिपूर्ण धरना करो। मा0 अध्यक्ष जी, इन्हें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, घटना के तुरन्त बाद मा0 मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख रुपए मृतक की पत्नी को दिया और इस मामले में एक को नौकरी भी देने का काम किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

चलिये बोलिये। उपेन्द्र तिवारी जी, अपनी सीट पर चलकर अपनी बात कहिये।

(वेल में आये हुए सदस्यगण वापस अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

श्री नारद राय-

विधायक जी ने रात को अपने ही लोगों से गोली चलवा करके सरकार की साख खराब करने का काम किया। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल करके सरकार चला रहे थे तब इसी तरह की घटना थाने पर हुई थी राम इकबाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तब भी नगरा थाने पर गोली चली थी वह भी पुलिस की गोली नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, बैठिये।

(भा0ज0पा0 के कई सदस्यों एवं श्री नारद राय जी के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री नारद राय-

नबीह थाने पर भी जो गोली चली है वह पुलिस की गोली नहीं है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गयी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उस घटना से संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर राजनीति कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

उपेन्द्र तिवारी जी, दो मिनट का समय है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट क्यों, मंत्री जी 05 मिनट बोले हैं।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में आप अपनी बात रखिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, 12 तारीख की सुबह में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नगीना सिंह के नाती को गोली मार दी गयी थी। उनके दरवाजे पर पुछहार करने के लिए मैं पसगवां गया था, वहीं पर सवा दस बजे पसगवां में मैं था चन्द्रमा यादव पुत्र स्व0 नैपाल यादव का फोन मेरे पास आया कि विधायक जी मेरी गाय को दरवाजे से थाने में उठा लाया गया है। मैंने पूछा कि गाय कहां से आयी है। उसने कहा कि मेरे दरवाजे से। फिर मैंने एस0ओ0 को फोन मिलाया, हमने पूछा घटनाक्रम क्या है ?

श्री नारद राय-

आप गलतबयानी कर रहे हैं, चन्द्रमा यादव पुलिस कस्टडी में था। यहां अन्त्याक्षरी नहीं हो रही है कि पहले मैंने कहा फिर आप कहें, फिर मैं कहूं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

वह चन्द्रमा यादव पुलिस कस्टडी में था। जिस चन्द्रमा यादव की बात कही जा रही है और जिस पशु की बात कही जा रही है उसको सुपुर्दगी में दिया जा चुका था। राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। विधायक जी का जो हाथ टूटा है वह पुलिस की लाठी से नहीं भागते हुए जाते समय....

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैं पूरे सबूत के साथ बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नारद राय जी, इनको बोल लेने दीजिए। आप बैठिये।

श्री नारद राय-

मान्यवर, किस सरकारी अस्पताल में भर्ती थे, सी0एच0सी0 पर क्यों नहीं गये, जिला अस्पताल पर क्यों नहीं गये विधायक जी। तीन दिन बाद सर में पट्टी बंधवा कर हाथ में पट्टी बंधवा कर आ गये। जांच करवा दीजिए, उनका हाथ नहीं टूटा है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जिन्दगी भर जो किये हो, वही तो बताओगे।

श्री नारद राय-

मान्यवर, विधायक जी का हाथ नहीं टूटा है। इसकी जांच करवा लीजिए।

*डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय विधायक किसी भी घटना की चर्चा करके आपका संरक्षण प्राप्त कर लें, यह उनका अधिकार है। नियम-56 की ग्राह्यता पर आप सुन रहे हैं और हमारे नेता मा0 खन्ना जी के आग्रह पर उपेन्द्र तिवारी जी को सुनना स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों बोल रहे हैं ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्वक इस विधायक के साथ कोई घटना घटी है, अगर उसको सुन लेंगे, फिर जो भी आपका कृपापूर्ण आदेश होगा उसको विधायक जी स्वीकार करेंगे और सरकार भी स्वीकार करेगी। तो कम से कम उस परम्परा का आप कृपा करके निर्वाह कर दें ऐसी मेरी विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेई जी, नियम-56 में जो उपेन्द्र तिवारी ने सूचना दी। कल बात हुई थी कि कानून व्यवस्था पर सभी दल के नेता एक-एक करके बोलेंगे। नेता विरोधी दल ग्राह्यता पर जो भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको स्मरण था, तथ्य रख कर वह चले गये। खन्ना साहब को बोलना था। आपका आज स्वीकार नहीं हुआ था यह अपना जो इनका व्यक्तिगत मामला है उस पर बोल सकते थे। मैं नियम-56 पर नहीं, जो इनका व्यक्तिगत था उसी पर बुलवाना चाहता था तो संजीदगी से यह बात रखनी चाहिए। जब सभी नेता बोल लेते इसके बाद फिर बोलते और सरकार का जवाब आ जाता तो इसी बीच में यह वेल में भी आ जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं और उसी में इतना हो जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। आप यह समझ लीजिये कि यह दो एक दिन का सदन है। साढ़े चार साल हो गया कभी ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि यह इस वर्ष का आखिरी सत्र है, संभव है कि एक सत्र और हो। यह एक दिन कल का इसीलिये बढ़ाया गया है कि जो अवशेष बातें हों, जो विधायकों को अपनी बात कहनी हो कह लेंगे। तो यह बात यहां उठी, खन्ना जी ने इनकी पूरी बात रख दी अब सरकार की तरफ से उसका जवाब आता। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने 56 में दिया है। 56 इनका आज लिया नहीं गया लेकिन व्यक्तिगत इनका मामला है। जब कभी किसी विधायक पर व्यक्तिगत बात होती है तो वह खड़ा होकर अपनी बात कह लेता है, उसी के तहत मैं इनका कहलाना चाहता था। इसीलिये मैंने कहा नेता कांग्रेस बोल लें, नेता लोक दल बोल लें तब यह अपनी बात रखें और सरकार से जवाब आ जाय। अभी नेता कांग्रेस बोल लें उसके बाद आप बोलियेगा। फिर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से शासन का जवाब आ जायेगा। तिवारी जी, बैठिये अभी आप। आज बहुत विधेयक भी हैं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है सरकार के संरक्षण में लूट खसोट, बलात्कार, हत्या, ए0टी0एम0 से पैसे उड़ाने की व्यवस्था और प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त न होती हो, खंडित न होती हो। बुलन्दशहर की घटना आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन प्रत्येक जिले में हो रही हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा मूल मकसद जो है आज हमारी कान्स्टीटूएन्सी में जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें 2 जून, 2016 का दिन काले अक्षरों

(इस समय 2 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जियाउद्दीन रिजवी पीठासीन हुए)

में लिखा जाने वाला दिन है। जिस दिन जवाहर बाग जो कि उद्यान विभाग का 280 एकड़ का उद्यान है उस पर वहां के कुछ तथाकथित सत्याग्रहियों ने, जिनका नेतृत्व रामवृक्ष यादव नाम के एक व्यक्ति कर रहे थे उनके लोगों के द्वारा एक एस0पी0 सिटी मुकुल द्विवेदी की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी जाती है और संकल्प यादव नाम के एक सब इन्स्पेक्टर की गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा क्रूर मजाक हो ही नहीं सकता और यह सारी की सारी घटना सरकारी संरक्षण में सत्ता के केन्द्र बिन्दु बने नेता के इशारों पर यह कांड हुआ। माननीय अधिष्ठाता जी, इससे खुफिया तंत्र की पोल खुल गई कि इतना बड़ा कांड कि सरकारी 280 एकड़ के उस जवाहर बाग में जो 14 मार्च, 2014 में उद्यान विभाग ने दो दिन के लिये पड़ाव की अनुमति एक मध्य प्रदेश सागर से जन्तर-मंतर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नई दिल्ली के लिये स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह एवं स्वाधीन भारत समाज सेवा के बैनर तले लोकतंत्र सेनानी रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में एक हजार लोगों ने वहां रहने की अनुमति मांगी और वह संख्या एक हजार से बढ़कर 4 हजार हो गई और उन लोगों ने 280 एकड़ का जवाहर बाग घेर लिया, वहां पर घर बना लिये अवैध असलहे वहां इकट्ठे हो गये और उनके रोजमर्रा की दिनचर्या वहां चलने लगी। स्थानीय प्रशासन ने कई बार प्रदेश सरकार को लिखा पर प्रदेश सरकार के कान में जूं नहीं रेंगीं। कई बार स्थानीय एस0एस0पी0 और जिला अधिकारी को लिखा परन्तु उनके कान पर भी जूं नहीं रेंगती थी। हद तो तब हो गई जब तथाकथित सत्याग्रहियों ने वहां उद्यान विभाग में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ मार पीट करी। वहां पर रहने वालों के जो घर थे वहां घर के दरवाजे तोड़ दिए तहसील में जाकर तहसील के कर्मचारियों को मारा। पुलिस अधीक्षक के आफिस में घुसे, रोज उनकी अराजकतायें बढ़ती गईं सरकारी तंत्र और स्थानीय तंत्र उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, व्यवस्था उनके खिलाफ नहीं कर पायी उसमें सीधे-सीधे बू आती थी, उस सारी व्यवस्था में बिजली जोड़ दी गई, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पाइप लाइन बिछा दी गई। उनके राशन कार्ड बन गए, वोटर आई0डी0 बन गए और उनके खाने का राशन भी सरकारी तंत्र के माध्यम से आता रहा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसका संरक्षण जवाहर बाग के मामले में मिला हुआ था बार-बार स्थानीय प्रशासन कह रहा है, मुझे पता है मुख्य मंत्री जी का नहीं हो सकता है, मुझे पता है शिवपाल जी का नहीं हो सकता है मुझे पता है नेताजी का नहीं हो सकता है तो किस सत्ता के केन्द्र का संरक्षण वहां पर था। उन चार हजार लोगों के रहने की अनुमति का संरक्षण कैसे मिला हुआ था बार-बार पुलिस कोशिश करती थी तो कैसे उनको नहीं निकाला जाता था कैसे उनको पानी की सप्लाई होती थी बिजली काटी जाती थी तो बिजली कैसे जोड़ दी जाती थी। राशन उनको कैसे पहुंचाया जाता था। राशन कार्ड, वोटर आई0डी0 उनके कैसे बन गए इन सब बातों की जांच की जानी चाहिए कि उस सब कांड के पीछे कौन सत्ता पक्ष में बैठा हुआ बड़ा व्यक्ति बड़ा नेता शामिल था। यह बहुत गम्भीर विषय है इससे बड़ा सरकारी तंत्र में, सरकारी जमीन पर, सरकारी संरक्षण में कब्जा किया जाना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है अधिष्ठाता जी, जवाहर बाग कांड बहुत बड़ा कलंक है सत्ता पक्ष के ऊपर, और जिस तरह की भयावह स्थिति बनी पूरे प्रदेश में बनी, एक दहशतभरा माहौल रहा, मथुरा में खासतौर से, वकीलों ने, स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं ने और तमाम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तब जाकर कान पर जूं रेंगी लोगों के, तब उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ कार्यवाही की जाए, बार-बार वह शासन से पूछते रहे न तो उन्हें एक्ट्रा फोर्स दी गई, न उनको कहा गया कि इनको बाहर निकालिए, मैंने कई बार मुख्य मंत्री जी से कहा चीफ सेक्रेट्री को भी लिखकर दिया प्रमुख सचिव गृह को भी लिखकर दिया कि इनको खाली कराने के लिए प्रशासन को पर्याप्त पुलिस फोर्स दी जाए तब यह निकल पाएंगे। 2 जून की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि यह खाली कराने का काम 4 जून को होना था। वहां के उस तत्कालीन एस0एस0पी0 राकेश कुमार सिंह उनकी लापरवाही की वजह से, उन्होंने मुकुल द्विवेदी से कहा कि जाकर दीवार तोड़कर आइए और बगैर हथियारबंद सिपाहियों के उस एस0पी0 सिटी को वहां भेजा गया। बुल्डोजर लेकर वह तीन जगह से दीवार तोड़ते हैं उनके साथ एक दो दरोगा होते हैं जब वह दीवार तोड़ते हैं, रोज अखबार में छपता था कि जवाहर बाग खाली होगा, जवाहर बाग खाली होगा, रामवृक्ष यादव जिसके पास तमाम हथियार थे उसकी सेना हर समय सजग रहती थी, स्थानीय प्रशासन

से, मोर्चा लेने के लिए और स्थिति यह हुई कि जब उन्होंने दीवार तोड़ी तो उन्होंने एस0पी0 सिटी को बाग के अन्दर खींचा और लाठियों से उसे इतना मारा, इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई और वहीं मचान से रामवृक्ष के लोगों ने गोली चलाई जो वहां के इकलौते परे के एस0ओ0 थे उनकी कनपटी पर गोली लगी वह संतोष यादव वह वहीं शहीद हो गया उसका वहीं इंतकाल हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं घोर लापरवाही थी तत्कालीन एस0एस0पी0 की, आज स्थिति यह है कि उनका सिर्फ स्थानान्तरण किया गया क्योंकि उनको भी संरक्षण प्राप्त था उसी सत्ता के केन्द्र के व्यक्ति का, जिसने कि रामवृक्ष यादव को संरक्षण दे रखा था उसकी सरकार जांच कराये। माननीय अध्यक्ष जी स्थिति यह है कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और अधिवक्ता विजय पाल सिंह यादव ने इस प्रकरण को लेकर 22 मई 2015 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट फाइल की और उसी के नतीजे से स्थानीय प्रशासन जब हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिला तो खाली करने की योजना बनाई और खाली करने की जो भी योजना बनाई गई वह स्थिति ऐसी थी कि वह बिल्कुल अपर्याप्त थी किसी प्लानिंग से वह नहीं खाली कराया गया जब बाद में फोर्स पहुंची मथुरा में बार-बार जवाहर बाग कलेक्ट्रेट के पास मिलेट्री कैंटोमेंट एरिया के पास आर्मी अफसरों ने भी कहा कि हम इसे खाली करा देंगे लेकिन शासन-प्रशासन बिल्कुल नहीं माना यह घोर लापरवाही का नतीजा है कि स्थिति यह हुई कि जवाहर बाग जैसा काण्ड प्रदेश में हो गया इतना बड़ा कलंक प्रदेश सरकार के माथे पर लग गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी वहां श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे उन्होंने उनकी विधवाओं को नौकरी दी और संतोष यादव की विधवा को भी नौकरी दी। परन्तु वह व्यक्ति वापस नहीं लौट सकता, वह सब इंस्पेक्टर वापस नहीं लौट सकता यह सब लापरवाही का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते जवाहर बाग जैसा वीभत्स काण्ड हुआ इसकी जांच मुख्य मंत्री जी रिटायर जज से करा रहे हैं मेरी मांग यह है कि इसकी जांच सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए थी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होता सरकार ढुलमुल नीति अख्तियार की हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

इसमें सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए इसकी जांच जल्दी से पूरी होनी चाहिए क्योंकि चुनाव को चार-पांच महीने रह गए हैं इसकी रिपोर्ट में लीपा-पोती हो जाएगी इनके तथ्यों की जानकारी तात्कालिक प्रभाव से की जानी चाहिए और जो रिपोर्ट का समय दिया गया है उसे फर्दर बढ़ाया नहीं जाना चाहिए इसकी जांच सिटिंग जज से कराकर तथ्यों को सरकार सामने रखे जो इस काण्ड के दोषी हैं उनको दण्ड दिया जाना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी जो अधिकारी एस0पी0सिटी को छोड़कर भाग गए थे जितने सिपाही उसको छोड़कर भाग गए थे उनको भी आइडेंटीफाई किया जाना चाहिए उनके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए जो भी मुआवजा दिया गया है वह मुआवजा बहुत कम है इस बात की भी जांच कराई जानी चाहिए कि किस स्थानीय नेता सत्तापक्ष के कहने पर वहां राशन कार्ड बने, वोटर आई0डी0 कार्ड किसके कहने पर बने चार-पांच हजार लोग कैसे वोटर लिस्ट में आए यह चार पांच हजार कार्ड किसके कहने पर बनाए गए यह भी जांच का विषय है माननीय अधिष्ठाता जी यह बहुत गम्भीर विषय है स्थिति यह है कि सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए सिर्फ आंसू

पोछने से काम चलने वाला नहीं है जवाहर बाग जैसे काण्ड जब सरकारी संरक्षण में हुए उसकी पुनरावृत्ति प्रदेश में न हो इसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं की बाढ़ आ गई है। सरकारी संरक्षण में सत्तापक्ष के भू-माफियाओं द्वारा वहां कब्जा कराया गया इसके पीछे मंशा यह थी कि 33 वर्ष का पट्टा रामवृक्ष यादव को दे दिया जाय स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि पट्टा बनाने के लिए कागज प्रोसीड करिए और उस सत्ता के केन्द्र का इशारा था वह भी ऐसा चाहते थे जैसे मथुरा में वृंदावन रोड पर साध्वी ऋतम्भरा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी जमीन पर पट्टा दे दिया उसी तरह से रामवृक्ष यादव को जवाहर बाग में 33 साल के लिए पट्टा दे दिया जाये। जिससें वह अपने लोगों के साथ वहां रह सके। माननीय अध्यक्ष जी यह तो घटना हो गई इसमें सरकार की मंशा साफ थी वह चाहती थी कि 280 एकड़ में से 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन रामवृक्ष यादव को दे दी जाए यह सत्ता के केन्द्र के इशारे पर कराया गया।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय खत्म हो गया। कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं चाहूंगा कि सरकार इसका उत्तर दे इसकी जांच का समय फिक्स करे यह मेरे क्षेत्र से जुड़ा मामला है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है हम वहां के विधायक हैं ।

श्री प्रदीप माथुर-

पहले मुझे बोलने दें।

(सदस्य, श्री पूरन प्रकाश द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पूरन प्रकाश जी, आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, अभी आप बैठ जाएं।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अधिष्ठाता जी, इसमें इन्हें टाईम बाउन्ड काम करना चाहिये और दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। मामले की गम्भीरता को देखते हुये मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में कौन ऐसा नेता था जिसके इशारे पर, जिसके संरक्षण में जवाहर बाग में भूमि पर कब्जा कराया गया, कौन सा नेता था जिसके कहने पर राशन कार्ड बने, कौन सा नेता था जिसके कहने पर बार-बार बिजली जोड़ दी जाती थी, पानी की सप्लाई दी जाती थी, यह जांच का विषय है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जवाहर बाग मामले की तो जांच चल रही है। अब जब जांच चल रही है तो उसके बारे में कोई बात कही नहीं जा सकती। इसके अलावा जो भी कुछ आप कहते हैं, सही कहते हैं तब, गलत कहते हैं तब, हम तो आपकी सारी मान लेते हैं, आज भी मान लेते हैं। जांच करायेंगे।

*श्री दलवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने कानून-व्यवस्था के मामले पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। हमारे सभी मा0 साथियों ने पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 खन्ना जी और मा0 माथुर जी ने बड़े विस्तार से चाहे वह मथुरा का कांड हो, चाहे एन0एच0-91 दोस्तपुर का कांड हो, चाहे जहां का भी हो, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन सब घटनाओं के संबंध में सरकार खुद ही जानकारी रखती है और सरकार अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई होती होगी वह कर रही होगी, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली के सराउण्डिंग एन0सी0आर0 क्षेत्र में चाहे वह मेरठ रोड हो, चाहे वह हापुड़ रोड हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस-वे हो, चाहे पलवल रोड हो, चाहे एन0एच0 91 हो, के 100 किलोमीटर के डायामीटर में बहुत फास्ट गति से अपराधी सक्रिय हैं और अपराध करने की उनकी प्रक्रिया और तरीका भी पूरे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से डिफरेन्ट है। जैसे अभी मा0 खन्ना जी कह रहे थे कि तेवतिया जी के ऊपर ए0के0 47 से प्रहार हुआ। हाई-फाई हथियार, बहुत तेज गति से चलने वाले वाहन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर वहां पर अपराध हो रहे हैं और इसके लिये समय-समय पर हम सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बातें लाते रहते हैं। मैंने कई बार कहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इधर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लें कि इन नेशनल हाईवेज पर सुरक्षा की गारण्टी पूरी तरह से सरकार को लेनी चाहिये, अच्छे वाहनों और अच्छे हथियारों से लैस पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां लगाए जाने चाहिये। जैसे यमुना एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा उसी कम्पनी को दे दी गयी है कि तुम खुद ही सुरक्षा की व्यवस्था करोगे। उनसे अपनी स्वयं की सुरक्षा ही नहीं होती है तो वह क्या सुरक्षा करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सरकार विशेष रूप से, पिछले 3-4 महीनों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वह इन्हीं नेशनल हाईवेज की आ रही हैं, इनके लिये योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्ययोजना बनाये जिससे यहां पर अपराधों में कमी आये। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़ जनपद स्लॉटर हाउसों का हब बन गये हैं। यहां पर पूरे देश भर के विभिन्न प्रदेशों से मवेशियों को अनाधिकृत रूप से कभी टैंकरों में भरकर, कभी ट्रकों में भरकर विभिन्न तरीके से लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यह सब मवेशियों को यहां लाते हैं और उन पर नित्य-प्रतिदिन झगड़ा होता है, मारपीट होती है, गोली चलती है। विशेष रूप से अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, इन सब जिलों में स्लॉटर हाउस लगे हुये हैं जिसके कारण मवेशियों की चोरी अत्यधिक बढ़ गयी है। यह इतनी बढ़ गयी है कि पहले चोरी हुआ करती थी अब मवेशियों की खुलेआम डकैती हो रही है। एक झोंटा को चोरी करने के लिये, भैंसा को चोरी करने के लिये आदमी की हत्या कर दी जाती है। उस गरीब किसान, मजदूर जिससे उसकी रोजी-रोटी चलती है, उसको गोली से मार दिया जाता है केवल एक भैंसा, झोटा की चोरी करने के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, इस तरह की घटनाओं में, जिस तरह से 05 लाख रुपये का प्राविधान किसान बीमा में किसानों के लिए किया गया है, उसी प्रकार से जिन किसानों और मजदूरों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मवेशी चोरी हो रहे हैं, अपहृत हो रहे हैं, उनको गोली मार दी जाए तो ऐसे किसानों के लिए 05 लाख रुपये का प्राविधान किया जाना चाहिए। जब तक मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जहां चौकियां बनी हुई हैं, वहां पर चेकिंग नहीं होगी, तब तक इन मवेशियों की चोरी नहीं रूकेगी। हमारे अलीगढ़ जनपद में तो यह डेली का काम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई तो इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं, श्रेय लेने के लिए कि हमने यह ट्रक पकड़ा, अन्य लोग कहते हैं कि हमने यह ट्रक पकड़ा, कई बार तो इनके बीच में और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति बन जाती है, हमारे अलीगढ़ के साथी बैठे होंगे कि वहां हिन्दू-मुस्लिम हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि विशेष रूप से जहां स्लाटर हाउसों के हब बने हैं, जैसे-अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर यहां विशेष पुलिस व्यवस्था करायी जाए और चेकिंग करके बार्डर सीमा पर जो सीमा मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की है, इस तरह के मवेशी चोरों पर जब तक प्रतिबन्ध नहीं लगेगा, तब तक यह चीज नहीं रुकेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पुलिस व्यवस्था में कई कमियां हैं, फोर्स बहुत कम है, भर्ती में गति तेज नहीं हो पा रही है, चौकी, थाने, तहसील बिल्कुल खाली पड़े हैं, अर्द्ध संवेदनशील शहरों के बारे में मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था, अलीगढ़ जैसे शहर में जब तक इसके लिए अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक थाना देहातों की पुलिस वहीं लगी रहेगी और थाना देहात बिल्कुल चौपट पड़े रहेंगे। हम और आप सभी विधायक रहे हैं और तमाम हमारे साथी रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश में पहली सरकार है, जब किसी भी एस0एस0पी0 ने इन साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में किसी भी विधायक के साथ न मंथली मीटिंग, न तिमाही मीटिंग, न कभी बुलाने का काम किया है। हम बहुत सरकारों में भी रहे हैं, जब भी कभी विधायकों को बुलाते थे तो विधायक सीक्रेट तरीके से समस्याओं को उन्हें बता देते थे और कप्तान उन पर कार्यवाई किया करते थे। अब सभी जिलों के कप्तान विधायकों से परे हैं, विधायकों का उन पर कोई अंकुश नहीं है, उनको कोई भय नहीं है कि हमारे साथ मीटिंग होने के बाद विधायक, माननीय मुख्य मंत्री जी को बता सकते हैं, हाउस में कह सकते हैं। इस व्यवस्था के बारे में आप कई बार इस सदन में कह भी चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, आदेश भी दे चुके हैं, पूरा सदन बैठा है क्या किसी जिले के एस0एस0पी0 ने माननीय विधायकों को बुलाकर मीटिंग की है? किसी ने नहीं की है जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है, वह निरंकुश होते जाते हैं। विधायक को एक-एक गांव का, एक-एक घर का ज्ञान होता है, हर घटना के बारे में जानता है। बहुत सी समस्यायें इस तरह की हैं विधायक के सामने कि वह व्यक्तिगत रंजिश न लेने की वजह से इस तरह से कप्तान साहब के साथ जो मीटिंग होती है, उनको बता देने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना भी शेष समय रह गया है, साढ़े चार साल तो निकल गए, लेकिन इस शेष समय में भी यदि मंथली एक-एक मीटिंग विधायकों के साथ हो जायेगी तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए भी सुविधा रहेगी और हम लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी, इसके लिए कोई निर्देश दें। अधिष्ठाता जी, मैंने कई बार सवाल रखा है, इस सरकार के पूरे कार्यकाल में केवल दो थाने स्वीकृत हुए हैं, इसमें मेरे जनपद अलीगढ़ का एक गौरा थाना भी स्वीकृत हुआ है लेकिन स्वीकृति के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस चौकियां स्वीकृत तो हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस बल की अतिरिक्त

व्यवस्था नहीं है तो एस0एस0पी0 उन्हीं में से दांये-बांये घुमा-फिरा कर घुमाते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी प्रदेश में टेम्परेरी या स्थाई पुलिस चौकी बना रखी हैं, उनके लिए पुलिस बल की जितनी रिकमेंडेशन हो, उसके हिसाब से एलॉटमेंट किया जाए। हमारे और साथी उन तमाम बातों को रख चुके हैं, मथुरा का जो काण्ड है, हमारे मथुरा के जो साथी हैं, उनको भी एक मिनट अपनी बात रखने का अवसर दे दें, जिससे वह भी उस पर अपने दो शब्द बोल सकें।

श्री अधिष्ठाता-

पूरन प्रकाश जी, उपेन्द्र तिवारी जी को पहले मौका दे दें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता जी, जनपद मथुरा में जो दो जून को हुआ है, जितनी इसकी भर्त्सना की जाये और यह जितना शर्मनाक है वह कम है। आज तक जितने शासन, प्रशासन और सरकार हुई हैं इतिहास गवाह है कि आज तक के 60 साल में ऐसा मौका कभी नहीं आया है। कैसी विडम्बना है कि ढ़ाई साल से यहां पर एक माफिया जबरन कब्जा करके बैठा था, बराबर में डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है, बराबर में डिस्ट्रिक्ट जज कम्पाउन्ड है, बराबर में तहसील है और चौथी तरफ मिलिट्री हेड क्वार्टर है। जेल की दीवार में तो आम कैदी रहते हैं। वहां पर ढ़ाई साल तक जमे रहना दर्शाता है कि शासन और प्रशासन नपुंसक बना रहा। सरकार का पता नहीं है, क्या चीज है और आखिर क्या ऐसा लगाव था कि उसमें बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं हुई। उसका अंजाम यह हुआ कि आपके दो पुलिस अधिकारियों की मौत हुई, 28 दूसरे लोगों की मौत हुई। अगर इससे पहले इस तरफ ध्यान दिया जाता, सरकार इसको संज्ञान में लेती, कार्यवाही कराती तो यह नौबत इसमें नहीं आ पाती। यह कैसी विडम्बना है मान्यवर कि अगर कोई जनता का आम आदमी होता है, किसान होता है तो अगर वह अपने बिजली कनेक्शन का बिल नहीं जमा कर पाता है तो वह जेल चला जाता है, वह बंद हो जाता है उसकी बिजली काट दी जाती है। यहां पर आप देखिये जब बिजली विभाग बिजली कटवाता है तो वहां पर शासन-प्रशासन जाकर बिजली जुड़वाता है। कितने वहां पर असलहे बरामद हुये, यह सब वहां पर कहां से और कैसे आये और आपकी इन्टेलीजेन्स क्या कर रही थी। अगर यह सारी बातें शासन और प्रशासन के संज्ञान में थी तो जिस दिन यह मामला हुआ आपके पास पूरे जिले का फोर्स था। एक एस0पी0 होता है और उसके छह-छह हमराह होते हैं, एस0ओ0 होता है और उसके हमराह होते हैं, दोनों की हत्या होती है और यह हत्या गोली से नहीं होती है, पत्थरों से, लट्ठों से पीट-पीटकर उन्हें मार दिया जाता है और शासन और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था बुरी तरह से खराब है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें, अब लिखा नहीं जायेगा। श्री उपेन्द्र तिवारी जी आप अपनी बात रखिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक दुखद घटना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 12 तारीख की सुबह में मैं अपने घर से निकला नरही थानान्तर्गत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पचगावां में तो तीन-चार दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्व0 नगीना सिंह के नाती को गोली मार दी गई थी। चूंकि तब मैं झांसी में था प्रदेश कार्य समिति की बैठक में था, वहां से आने के बाद मैं वहां गया था। स्व0 नगीना सिंह जी के लड़के ननकू सिंह चार बार उस ग्राम के प्रधान रहे हैं और वहां पर दिलीप सिंह, एस0आई0 के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि उसकी वजह से उनके लड़के को गोली मारी गई है। उसके बाद मैं चौरा सलेमपुर में गया। उसके बाद श्री चन्द्रमा यादव पुत्र स्व0 नेपाल यादव का फोन आया कि विधायक जी हमारे दरवाजे से पांच गायें नरही थाना की पुलिस उठा ले गई है। मैंने पूछा कि गाय कैसी है तो उन्होंने कहा कि दुधारू है। मैंने थानाध्यक्ष को फोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या मसला है टेढ़िया की मढ़िया के चन्द्रमा यादव का। तो उन्होंने कहा कि वह तस्करी के लिये गाय लेकर जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि कहां से पकड़े हैं तो उन्होंने कहा कि बिलरिया से। हमने कहा कि ठीक है रुकिये। फिर मैंने फोन काटा और मैंने चन्द्रमा यादव को फोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि बताओ कि सही-सही घटना क्या है। तो चन्द्रमा यादव ने रोते हुए कहा कि विधायक जी कल ही संतकबीरनगर से पांच गाये मैं खरीद कर लाया हूं। मैंने पूछा कि रसीद है तो उन्होंने कहा कि हां। हमने कहा कि रसीद फोटोस्टेट है कि ओरिजनल है तो उन्होंने कहा कि ओरिजनल है तो हमने कहा कि हो कहां, तो कहा कि नरही में चक्की पर हूं। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष जी ने बगल के प्रधान जी के माध्यम से सूचना कराई थी कि पैसा लेकर आओ। उसके परिवार का एक व्यक्ति पुलिस में भर्ती था कि तुम्हारें सब लोगों को बंद कर दूंगा गोकशी में नहीं तो तुरन्त पैसा लेकर आओ। गोकशी का मुकदमा रात में उसके ऊपर दर्ज कर दिया गया था। मैं आया और जब मैंने पर्ची देखी तो दोबारा मैंने वहीं से एस0ओ0 साहब से बात की और तब मैंने कहा कि एस0ओ0 साहब मैं सत्यता की जांच करने के लिए इस इलाके में हूं। मैं आधे घण्टे के अंदर थाने पर आ रहा हूं। मैं 28-29 मिनट में वहां पर पहुंच गया। मैंने रसीद देखा तो पक्की रसीद थी संतकबीरनगर की और चन्द्रमा यादव पुत्र नेपाल यादव को लेकर थाने में गया। मैंने थानाध्यक्ष से पूछा तो थानाध्यक्ष के पास जवाब नहीं था। हमने पूछा कि गाय कहां है, तो उसके पास जवाब नहीं था। आधे घण्टे के अंदर गाय को सुपुर्दगी को दे दिया। तो वहां के लोगों ने बताया कि गाय बगल में हैं। तीन गाय मैंने मंगवाया, एक गाय उसी थाने में रात में बच्चा दी हुई थी, एक गाय बच्चा के साथ थी और तीन गाय गाभिन थीं। दो गाय सुपुर्दगी की जगह मैंने फोटोग्राफी करा लिया, तब एस0ओ0 से मैंने पूछा, जवाब नहीं था, फिर उसके बाद मैंने कप्तान को फोन लगाया, उसके पहले थानाध्यक्ष ने कप्तान को फोन लगाकर पूरी सूचना से अवगत कराया, तब मैंने फोन लगाया, 12-13 मिनट तो एस0ओ0 ने बात किया था, फिर मैंने कप्तान साहब को फोन कर के कहा कि कप्तान साहब आज से एक महीना पहले, कप्तान साहब से मैंने शिकायत किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भरौली चेकपोस्ट होता है और एक दिन थानाध्यक्ष नरही गौकशी से लदी हुयी ट्रक को रास्ता खाली करा कर के गौकशी कराने के लिये पार करा रहा था, वहां के लोगों ने मुझे सूचना दी तो मैंने कप्तान को फोन किया कि कप्तान साहब हमें कहते हुए शर्म आ रही है और आप भी कप्तान हैं जब आपका थानाध्यक्ष नरही गौकशी की गाड़ी को पार करायेगा तो किस तरह का संदेश जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप मूल बात कहिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

इस घटना का भी जिक्र हमने कप्तान से करते हुए कहा कि कप्तान साहब गौकशी आपका थानाध्यक्ष कराता है और दुधारू गाय जो सन्तकबीरनगर से लाया है चन्द्रमा इसके परिजनों को उठाकर बन्द किया है। इसके पहले भी तीन महीने के अन्दर दो बार चन्द्रमा यादव उसके परिजनों को जमीन विवाद में थानाध्यक्ष नरही द्वारा प्रताड़ित किया गया था। हमने कप्तान को सूचना दिया, आई0जी0 को सूचना दिया और डी0जी0पी0 साहब से बात करने का प्रयास किया, तीन बार टेलीफोन करने के बाद यह रिकार्ड में बातें हैं, डी0जी0पी0 के पी0ए0 से बात हुई, उन्होंने कहा कि मीटिंग में है, घटनाक्रम से अवगत कराया, उसके 20-25 मिनट बाद एस0डी0एम0 सदर और सी0ओ0 सदर मौके पर पहुंचे, वार्ता का क्रम शुरू हो रहा था, एस0डी0एम0 सदर शालीनतापूर्वक बात कर रहे थे, वहां पर सी0ओ0 सदर ने उत्तेजना पूर्वक बात शुरू किया और उनकी भावना से हम लोग आहत होकर के थाने के बाहर आकर के थाना घेराव का मैंने एलान किया और थाने के बाहर मैं धरने पर साढ़े ग्यारह बजे दिन में बैठ गया, इसकी सूचना कार्यकर्ताओं को मिली कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हुए, साढ़े ग्यारह बजे से लेकर के मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं हमारे, यह सदन को भी मैं बताना चाहता हूं कि एक विधायक आपका कहीं पर धरने पर बैठा हो और साढ़े ग्यारह बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक एक प्रशासनिक अधिकारी पूछने के लिए न जाय, यह सम्वेदनहीनता है कि नहीं है। साढ़े सात बजे ए0डी0एम0 और एडीशनल एस0पी0 जाते हैं बात-चीत का क्रम शुरू होता है, हमने दो-तीन मांगे रखी थीं, हमने कहा कि इसकी गाय वापस किया जाय, हमने कहा कि अगर थानाध्यक्ष उसके दरवाजे से गाय को लूट कर लेकर आया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर के उसको जेल भेजा जाय इसलिए कि समाज का रक्षक जब समाज का भक्षक होगा, तो यही हाल होगा और मैं यही कार्यवाही की मांग कर रहा था और उसके ऊपर से मुकदमा वापस करने की बात, मेरी एक बात नहीं सुनी गई, दस बजे एडीशनल एस0पी0 आकर के कहे कि मैं आपकी मांग से सहमत नहीं हूं, आप आन्दोलन वापस ले लीजिए, मैंने कहा कि आन्दोलन वापस अब नहीं ले सकते जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप थाना घेराव नहीं कर सकते हैं, आपको सत्याग्रह करना है तो करिये, लेकिन गेट खाली करा दीजिए, यह सदन में सौगन्ध खा कर कह रहा हूं कि गेट मैंने खाली करा दिया और सत्याग्रह करना शुरू किया, लगातार आधा घण्टे से वहां के अधिकारी पता नहीं किसके सम्पर्क में थे, अन्त में दस सवा दस बजे के करीब एकाएक एडीशनल एस0पी0 और सी0ओ0 सदर, ए0डी0एम0 साहब के नेतृत्व में जेनेटर आफ किया गया, लाठी चार्ज किया गया और एक मिनट से भी अधिक घटना नहीं हुई लाठी चार्ज के साथ-साथ गोली चलाने की शुरुआत हो गई, जिसमें हमारे साथ का विनोद राय शहीद हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

दर्जनों लोग घायल हैं, इस घटनाक्रम में हम लोग भी चोटिल हुए। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया घटना का और एस0पी0 और डी0एम0

को निलम्बित करने का काम किया। ए0डी0एम0 को हटाने का काम किया, लेकिन अब ए0डी0एम0 को नोडल अधिकारी बना दिया गया है, वह ए0डी0एम0 चार साल से लोकल पालिटिक्स में इन्वाल्व हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मा0 नारद राय जी हमारे बड़े भाई हैं, मा0 मंत्री हैं, यह भी मृतक परिवार के पास गये थे, हमारे एक साथी की हत्या हुई, मुझे लक्ष्य कर के गोली मारी गई थी, मैं बाल-बाल बचा, विनोद राय शहीद हुए इसलिए कि सफेद कुर्ता पायजामा वह भी पहने हुए था, वाकई में इस पूरी सत्यता की जांच होनी चाहिए तो मृतका की पत्नी श्रीमती राधा राय ने एक एप्लीकेशन दिया है, बड़े भाई नारद राय जी को इस घटनाक्रम की सी0बी0आई0 जांच करा दी जाये। मैं सदन से मांग करता हूं कि रिकमण्डेशन किया जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात समाप्त हो गयी, आप बैठ जायें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, अगर उस दिन की काल डिटेल निकाल ली जाय तो पुलिस मुठभेड़ में मेरी हत्या कराने की पूरी साजिश थी, इसलिए अधिष्ठाता महोदय जी तीन मांग मैं करना चाहता हूं, एक तो मृतका के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय, पुलिस की गोली से वह मरा है।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार ने उसको पर्याप्त सहायता दे दी है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

सरकारी नौकरी, दोषियों के खिलाफ सजा, हमारे सहित 444 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। 44 लोग नामजद 400 लोग अज्ञात, 307 जैसी गंभीर धारा में। यह मुकदमें वापस लिए जाएं और पूरे घटनाक्रम की सी0बी0आई0 जांच करायी जाये और नहीं तो पदेन न्यायिक जज से करायी जाये। कथना का, वहां के मौजूद अधिकारियों का कॉल डिटेल निकाल लिया जाये, मेरी हत्या की साजिश थी।

श्री अधिष्ठाता-

नारद राय जी आप दो मिनट बता दें।

*श्री नारद राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विधायक जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है। यह बिल्कुल सही है कि चंद्रमा यादव पुत्र स्वर्गीय नेपाल यादव बहुत बड़ा पशु तस्कर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए कई बार माननीय विधायक जी ने जिक्र किया है चंद्रमा यादव पुत्र स्वर्गीय नेपाल यादव। मान्यवर, आजमगढ़ में कई थानों पर

(इस समय 3 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अम्बेडकरनगर के कई थानों पर और बलिया के नरही थाने पर नौ मुकदमें पशु तस्करी के चंद्रमा यादव पर पहले से ही लिखे गये हैं, कार्यवाही भी हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधायक जी जब वहां पर गए तो वहां पर जो पशु थे उनको सुपुदर्गी में दे दिया गया था और चंद्रमा यादव जो पशु तस्कर था जिसको पुलिस पकड़ कर लायी थी उसको माननीय विधायक जी ने थाने से छुड़ा करके लाने का काम किया था। विधायक जी यहां बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। उनको बाहर लाने का काम किया। बिना वजह थाने पर विधायक जी ने धरना दिया जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। जब थाने पर पशु नहीं थे, थाने से पशु तस्कर को भी यह छुड़ा लाए थे। कार्यवाही तो विधायक जी के खिलाफ होनी चाहिए थी कि एक मुल्जिम को थाने से छुड़ा करके लाने का काम किया था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक जी ने धरना देने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी, थाने से जो धरना इन्होंनें दिया, इनके यहां दर्जनों बार एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बलिया के प्रशासन के लोगों ने इनके सामने जा करके कई तरह के प्रस्ताव रखे। विधायक जी बार-बार भगवान की कसम खाते हैं, एक बार कसम खाइए कि क्या आपके बीच में, ए0डी0एम के बीच में और एडिश्नल एस0पी0 के बीच में यह बात नहीं हुई कि विधायक जी अगर आप कह रहे हैं कि 50 हजार रुपये रिश्वत लिया गया है तो चलिए वीरबाबा के स्थान पर रख दिया जाता है। अगर पुलिस के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने कहा क्या यह बात आयी कि नहीं आयी। आप मान भी गये लेकिन फिर आपको पीछे से कहा गया राजनीति मर जाएगी क्योंकि आप पशु तस्कर को बचाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई घटना ऐसी नहीं थी जिसके लिए 10 बजे दिन से ले कर के साढ़े 11 बजे रात तक धरना दिया गया। कौन बंद था, किसकी जान-माल को खतरा हो रहा था, कौन सी ऐसी बड़ी घटना थी। मान्यवर, जान-बूझकर यह घटना पैदा की गयी और यह बिल्कुल सही है कि विनोद राय की हत्या नाहक हो गयी। वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। वह तमाशबीन था और अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली जाये, विनोद राय को गोली कहां लगी ? क्या विनोद राय को गोली गर्दन के ऊपर नहीं लगी और पीठ से नहीं निकली है। क्या वह जो गोली लगी वह पुलिस की गोली है या नहीं ? वह गोली लगी तो कहां लगी। गर्दन पर गोली लगी है और पीठ से निकल गयी है इसका मतलब कि जो विनोद राय को गोली लगी है वह प्लानिंग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आदमी को बलि चढ़ाने का काम किया है, अपनी राजनीति को चटकाने और चमकाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना पहली बार नहीं हुई है मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली-जुली सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने नगरा थाने का घेराव किया था और रात को गोली चलवायी। बहन जी बलिया गयी थी उस विधायक को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि वह मुल्जिम था, वह 307 का मुल्जिम था वहां भी एक हत्या हुई थी इसलिए मैं अध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को चोट लगी है लेकिन विधायक जी आप बताएं कि किस अस्पताल में भर्ती हुए? जिला अस्पताल गए नहीं, नरही में सी0एच0सी0 हैं, वहां भर्ती नहीं हुए। तीन दिन के बाद आप अवतरित हुए और आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को, पूरे सदन को बधाई दी, बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल सही किया। जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करेगा और जनता के हित में काम नहीं करेगा, उसको बर्खास्त करने का काम सरकार करेगी क्योंकि बलिया का कलेक्टर और एस0पी0 मिले हुए थे और उन्होंने जान-बूझ कर इसको तूल देने का काम किया था। मुख्य मंत्री जी ने जो संवेदना व्यक्त की 5 लाख रुपये दिये और माननीय विधायक जी जानते हैं, सरकारी नौकरी के कागज लेकर मैं स्वयं घर गया था चूंकि तिरहीं नहीं हुई थी, इसलिए उसको ज्वाइन नहीं कराया। वह तो अपने घर में बिलख रही है, तीन बेटियों को

लेकर, हम सब लोग मिलकर उस परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन पशु तस्कर के साथ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो बहस हुई है, उसका जवाब दे दीजिये।

(श्री उपेन्द्र तिवारी जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। अब कुछ नहीं, अब आपका लिखा नहीं जायेगा, आपने पूरी बात कह ली और आपको उन्होंने जवाब भी दे दिया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था पर सभी साथियों ने अपना-अपना पक्ष रखा है। आज सदन में और पहले भी, बीच-बीच में माननीय सदस्यों के सवालों का जवाब दिया और सरकार का पक्ष रखा कि सरकार कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए और बेहतर से बेहतर करने के लिए दृढ संकल्प है और ऐसा कर भी रही है और जहां-जहां साम्प्रदायिक माहौल बना है, वह माहौल बना नहीं बहुत ही दुखद बात है कि राजनैतिक लाभ उठाने के लिए 2017 के चुनाव को सामने रखकर माहौल को खराब करने की कोशिश की है और कहीं-कहीं माहौल खराब भी हुआ है और इस बात को नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं कहा कि ऐसा हुआ है, यह लोग ऐसा करते हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे वे इस पर निशाना करते थे यह इसका प्रमाण भी है। अब इस वक्त काफी गम्भीर मामला जिस पर श्री नारद राय जी ने अपनी बात रखी है, गृह विभाग से कोई सूचना इसके बारे में मेरे पास नहीं है लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसे माननीय सदस्यों ने भी सुना और सदन ने भी सुना। इतना जरूर है कि मेरे पास क्रिमिनल रिकार्ड है यह नौ मुकदमें हैं, बड़ी गम्भीर धाराओं के, चन्द्रमा यादव के हैं, पूरा क्रिमिनल रिकार्ड है पुत्र नेपाल यादव यह ऑथेन्टिक रिकार्ड है। मान्यवर गम्भीर धाराओं के मुकदमें हैं जैसे हार्टेन्ड क्रिमिनल्स होते हैं, उस तरह की धारायें हैं और यह स्टैब्लिश पशु तस्कर हैं यानी गाय के तस्कर हैं। ये सेवा कर रहे हैं, असमाजिक तत्वों की सेवा कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि थाने से छुड़ाने का आरोप विधायक जी पर है और थाने में कोई पशु था ही नहीं, यह सिद्ध है, कोई पशु नहीं था। पशु छुड़ाकर पहले ही ले जाये गये और पशुओं में ज्यादातर पशु वे थे जो प्रतिबन्धित पशु हैं उनको छुड़ाकर ले गये, मुलजिम को छुड़ाकर ले गये, आप खुद चले गये। उसके बावजूद इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाकर ले गये जिसका बहुत ही निन्दनीय और शर्मनाक इतिहास है।

(सदस्य, श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप फिर बार-बार टोक रहे हैं, ये तरीका गलत है। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

और खेद इस बात का है कि आप, आपके नेता और आपके दल के दूर तक के नेता आपकी बड़ी स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं कि आप सिर्फ अच्छाइयों के पुजारी हैं। आप थाने से गौ-तस्करों को छुड़ाकर ले जाते हैं, आप सारे जानवर ले जाते हैं फिर भी आप साफ-सुथरे हैं। कितने दुःख की बात है कि मा0 विधायक और इस सदन का एक सदस्य ऐसे लोगों को छुड़ाकर ले जाये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, यह सदन को गुमराह किया जा रहा है, यह गलत बताया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब इसमें क्या सदन गुमराह हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, आप इनको बोलने दीजिये न, बीच में क्यों टोकते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सरकार को गलत बताने वाले और सही बताने वाले आप थोड़े ही हैं।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 उपेन्द्र तिवारी जी, आप बैठिये। अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा लगातार बीच में बोलने का प्रयास करते रहने पर)

तिवारी जी, देखिये ऐसा नहीं होता है। यह कोई पंचायत नहीं है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास ये रिपोर्ट है। ऐसे अपराधी की मदद एक चुना हुआ व्यक्ति करे। देखिये इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। पूरे सदन को इससे सबक लेना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा था कि मेरे पास गृह विभाग से कोई ऑथेण्टिक सूचना नहीं है और अभी-अभी आप ही ने कहा कि मेरे पास गृह विभाग की रिपोर्ट है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास क्राइम रिकॉर्ड हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, खन्ना जी, आप क्यों इतना तूल दे रहे हैं। जब उन्होंने भी बातें कह लीं, इन्होंने भी कह लीं तो फिर क्यों इसी को बढ़ा रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, बोल रहे हैं तो इन्हें बोल लेने दीजिये, बीच में ही खड़े हो जायेंगे, आप बैठिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा है खन्ना जी कि आप इस बात में हिमायत न करें तो अच्छा है। आप जैसे व्यक्ति को ऐसे मामले में हिमायत नहीं करनी चाहिये। ऑथेण्टिक रिकार्ड का मेरा मतलब है कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है लेकिन सारा क्रिमिनल रिकार्ड मेरे पास है, पूरा क्रिमिनल रिकार्ड मेरे पास है।

(तत्पश्चात् सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी जी सदन के वेल में आकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, आप अपनी सीट पर जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी तो ये लोग खुद कानून बन जाते हैं, खुद अदालत बन जाते हैं, पशुओं को छीनकर ले जाते हैं, जो पशु लेकर आता है उसको मारते हैं, मारते-मारते मार डालते हैं। ये खुद ही पुलिस हो जाते हैं, खुद ही अदालत हो जाते हैं, खुद ही जज और खुद ही न्याय हो जाते हैं। कहीं तो ये यह करते हैं और कहीं ये पशु तस्करों की मदद करते हैं, पशुओं को ले जाते हैं, मुजरिम को ले जाते हैं और थाने से खुद भाग जाते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स की हिमायत करना, जाहिर है कि पूरा सदन सुन रहा है कि आप किसकी हिमायत कर रहे हैं। जो पशु तस्करी में और दूसरे क्रिमिनल रिकार्ड्स के तहत इन्तेहा ए हार्डेण्ड क्रिमिनल है उसकी हिमायत एक चुना हुआ विधायक सदन में करे। ये बात खुद बहुत ही शर्मनाक है, आपको इसके लिये सदन से क्षमा मांगनी चाहिये कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिये जो पशु तस्कर है, गायों को काटता है, गायों को ले जाता है, आप उसकी हिमायत सदन में कर रहे हैं। इसके लिये आपको खुद अफसोस होना चाहिये। मान्यवर, इस पर जांच हो रही है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पेश आयेगी क्योंकि मान्यवर, मा0 विधायक मुजरिम हैं इस बात की कि थाने से पशुओं को लेकर गये, मुजरिम को छुड़ाकर ले गये, मुजरिम हैं वो इस बात के तो मान्यवर, इसकी भी जांच होगी और दोषी पाये जायेंगे तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक तो यह कि चन्द्रमा यादव दो हैं, दो चन्द्रमा यादव हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपको वल्दियत बता दी, मैंने आपको वल्दियत बता दी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस चन्द्रमा यादव की बात ये कर रहे हैं, वह निर्दोष है। दूसरा यह कि आप इसमें गृह विभाग से रिपोर्ट मंगवा लें। मान्यवर, इसमें गृह विभाग से रिपोर्ट जरूर मंगवा लें। होम डिपार्टमेण्ट से रिपोर्ट मंगवा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

गृह विभाग से रिपोर्ट मंगवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह भी आ जायेगी, कल आ जायेगी तो आपको पेश कर देंगे लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गौ-तस्कर की हिमायत अगर खन्ना साहब आप न करें तो अच्छा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वह तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, वह यह भी तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह तो ये बहुत बार कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप गृह विभाग से रिपोर्ट मंगवा लें और इस बारे में ऑथेन्टिक रिपोर्ट मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कानून-व्यवस्था पर कुछ और उदाहरण देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर कहना है कि जहां पर भी जो हादसा हुआ है सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। बुलन्दशहर के मामले में जानकारी होने के कुछ सेकेण्ड के अंदर एस0पी0, डी0एम0 के खिलाफ, थाने के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं और पीड़िता के साथ जो भी कर सकते थे। यहां भी जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी गई है, जानते हुए कि अपराध भी हुआ है वहां पर, लेकिन विधवा के साथ ऐसा सलूक भी किया है सरकार ने। मान्यवर, देखिए जुर्म तो होते रहे हैं, लेकिन जुर्म में मुजरिम के साथ सरकार का क्या रवैया है, वह देखने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस प्रकरण में गृह विभाग से रिपोर्ट जरूर मंगवा लें अन्यथा माननीय विधायक जी इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब ये कहें, इससे क्या मतलब ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

रिपोर्ट जरूर मंगवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कल तक मंगवा लेते हैं।

[03.24] उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में,-

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क-1) 'मुख्य मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से है।''

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ग) 'परिवार' का तात्पर्य मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मुख्य मंत्री या मंत्री के साथ रहते हों और उन पर पूर्णतया आश्रित हों; ''

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङ) 'मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उस राज्य के उप मंत्री भी हैं।''

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-3 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चालीस हजार रुपए प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पैंतीस हजार रूपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

धारा-4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"4-(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने के हकदार होगें, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) जहां मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह,-

(क) मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री की स्थिति में दस हजार रुपये प्रति मास; और

(ख) उप मंत्री की स्थिति में, आठ हजार रुपये प्रति मास;

की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

(3) उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्य मंत्री को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त, कोई सरकारी आवास, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जायेगा।"

धारा-5 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।"

धारा-6 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-6 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च के हकदार होंगे।

(ख) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री -

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में; और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में,

अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने तथा अपने परिवार के सामानों के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता के हकदार होंगे।

(4) उपधारा (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को धारा-5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता संदेय नहीं होगा।''

धारा-7, 8, 9, 10, 11 और 12 का संशोधन

7-धारा-7, 8, 9, 10, 11 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''7- मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृहों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

8-मुख्य मंत्री या प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास, उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

9-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री या मंत्री बनता है या नहीं रह जाता है, उसे गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मुख्य मंत्री या मंत्री बना या नहीं रह गया।

10- मुख्य मंत्री सहित मंत्री अपनी पदावधि के दौरान, जिसके लिये वह वेतन और भत्ता आहरित करता है, मुख्य मंत्री या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिये नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।

11- मुख्य मंत्री या प्रत्येक मंत्री जो यथास्थिति सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-4,9,18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

12-मुख्य मंत्री या कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है:

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2010 की धारा–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''2– इस अधिनियम के उपबन्ध, शापिंग माल्स, मल्टीप्लेक्स एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स, जो एकल इकाई के रूप में प्रोमोटर अथवा अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित हो, को छोड़कर, किसी भवन में चार या उससे अधिक अपार्टमेन्ट वाले सभी भवनों, जो अपार्टमेन्ट के रूप में निर्मित या परिवर्तित किये गये हों, और अपार्टमेन्ट से संलग्न भूमि, चाहे वह फ्री–होल्ड हो या पट्टे पर धृत हो, पर लागू होंगे।''

धारा–3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–3 में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ख) ''अपार्टमेन्ट" का तात्पर्य आवासिक या शासकीय प्रयोजनों के लिए या किसी वृत्ति के चलाने के लिए या कोई उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार (शापिंग माल्स एवं मल्टीप्लेक्स एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स, जो एकल इकाई के रूप में प्रोमोटर अथवा अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित हो, को छोड़कर) चलाने के उपयोग के लिए या इस प्रकार के किसी अन्य यथाविहित उपयोग के लिए किसी भवन में किसी सम्पत्ति के ऐसे भाग से है, जो किसी प्रकार के स्वतंत्र उपयोग के लिए आशयित हो, जिसमें एक या उससे अधिक फर्शों पर स्थित सम्बद्ध जगह भी है और साथ में साझा मार्ग, सड़क या ऐसे मार्ग या सड़क तक जाने वाले सामान्य क्षेत्र पर सीधा निकास हो और उसमें कोई ऐसा गैराज या कक्ष (चाहे वह उस भवन से, जिसमें ऐसा अपार्टमेन्ट स्थित है, लगा हुआ हो अथवा न हो) भी सम्मिलित है, जिसे प्रोमोट द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अपार्टमेन्ट स्वामी के उपयोग, गाड़ी खड़ी करने के लिए या ऐसे अपार्टमेन्ट में नियोजित किसी घरेलू सहायक के आवास के लिए प्रदान किया गया हो;''

(ख) खण्ड (झ) में,–

(एक) उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(दो) भवन की नींव, स्तम्भों, गर्डरों, धरनों, आलम्बों, मुख्य दीवालों, छतों/टेरेस और साझा उपयोग के हालों, गलियारों, लाबियों, सीढ़ियों, सोपानों, अग्निसोपानों और प्रवेश तथा निकास द्वार;''

(दो) उपखण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(तीन) तहखानों (केवल साझा उपयोग के क्षेत्र) अधःकोष्ठों, प्रांगणों, पार्कों, उद्यानों, सामुदायिक केन्द्रों और साझा उपयोग के गाड़ी खड़ी करने के स्थान;"

(तीन) उपखण्ड (सात) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(सात) ऐसे अन्य साझा क्षेत्रों और सामुदायिक सुविधाओं जैसा उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय; और''

(ग) खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(नन) ''मल्टीप्लेक्स'' का तात्पर्य 4000 वर्गमीटर अथवा अधिक के क्षेत्र के भू–खण्ड पर निर्मित ऐसे एकल भवन परिसर से है, जो बहु सिनेमाहाल के साथ–साथ शापिंग क्षेत्र, फूड कोर्ट और आनुषंगिक सेवा से है।''

(घ) खण्ड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(म) शापिंग माल'' का तात्पर्य 4000 वर्गमीटर अथवा अधिक के क्षेत्र के भूखण्ड पर निर्मित ऐसे वृहद शॉपिंग क्षेत्र या काम्पलैक्स के आहाता से है, जो स्वतंत्र फुटकर स्टोर्स, फूडकोर्ट एवं अन्य आनुषंगिक प्रयोजन के लिए अभिप्रेत हो''

धारा–4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा–4, में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(घघ) किसी अपार्टमेन्ट का निर्मित एवं साझा क्षेत्र''

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(4) विहित स्वीकृतकर्ता प्राधिकरण द्वारा यथास्वीकृत इस धारा में विनिर्दिष्ट योजनाओं, विनिर्देशों और अन्य विशिष्टियों को क्रेताओं जिनको अपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में आवंटन पत्र जारी हो चुके हों, को प्रकट किये जाने के पश्चात् प्रोमोटर के लोकेशन और चरित्र और चिहिन्त हरित क्षेत्र के अलावा मूलरूप से स्वीकृत योजना में, प्राधिकृत वास्तुविद् या अभियन्ता द्वारा घोषणा करने और क्रेताओं को सूचना देने के पश्चात् सम्यक् रूप से संस्तुत और सत्यापित स्थापत्य और संरचनात्मक कारणों से ऐसे बदलाव अथवा जुड़ाव कर सकते हैं :

''परन्तु यह कि प्रोमोटर विहित संस्वीकृति प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना योजना, विशिष्टियों और अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि किसी परियोजना के पूर्ण होने अथवा आंशिक पूर्ण होने अथवा किसी परियोजना के विशिष्ट चरण पूर्ण होने पर, जिसके सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी हो चुका है, प्रोमोट भवन में, साझा क्षेत्रों में और सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं करेगा।''

(ग) उपधारा (5) में शब्द ''विक्रय करार के दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द ''विकास अनुज्ञा या भवन अनुज्ञा, जैसी स्थिति हो, में निर्दिष्ट परियोजना पूर्ण करने की अवधि'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (6) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रोमोटर शेष अपार्टमेन्ट्स के विक्रय और अन्तरण के लिए उत्तरदायी होगा, इस उपधारा की अधीन साझा क्षेत्रों का भौतिक कब्जा और सुविधाएं सौंपने का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के दिनांक से या अपार्टमेन्ट्स का साठ प्रतिशत भाग आवंटियों को सौंपे जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जायेगाः–''

धारा–7 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा–7 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि जहाँ किसी अपार्टमेन्ट का आवंटन, विक्रय या अन्य अन्तरण किसी सामूहिक आवास सहकारी समिति या संघ द्वारा उसके लिए किसी सदस्य के पक्ष में किया गया हो वहाँ ऐसे अपार्टमेन्ट की अन्तरणीयता और अन्य सभी मामले उस विधि द्वारा विनियमित किये जायेंगे जो ऐसे सामूहिक आवास सहकारी समिति या संघ, जो साझा क्षेत्रों और सुविधाओं को अनुरक्षित करता हो, के लिए लागू विक्रय मूल्य के किसी मामले में 01 प्रतिशत की दर से अन्तरण शुल्क उपबन्धित कर सकती है। अन्तरण शुल्क हस्तान्तरण के मामले में उदग्रहणीय नहीं होगा। ''

धारा–12 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा–12 में उपधारा (1) में खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्ः–

"परन्तु यह कि उन भवनों, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रवृत्त होने से पूर्व पूर्ण हो चुके हैं, पर ऐसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी :''

परन्तु यह और कि जब कभी कोई योजना विहित स्वीकृति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात संशोधित एवं पुनरीक्षित किया गया हो, तो संशोधित घोषणा प्रत्येक समय फाइल किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी अपितु अंतिम घोषणा यथास्थिति परियोजना के पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूर्णता के लिए लागू करने के समय होगा।

धारा–13 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा–13 के स्थान पर निम्न धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''13–कोई भी प्रोमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी ''उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010'' के प्रारम्भ होने के पश्चात् निर्मित किसी अपार्टमेन्ट के कब्जे को समुचित अन्तरण विलेख निष्पादित किये बिना और उसे पंजीकृत करवाकर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन अन्तरित या सुपुर्द नहीं करेगा''

धारा–14 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा–14 में,–

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी

''(2) प्रोमोटर और अपार्टमेन्ट स्वामियों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संघ बनायें, प्रोमोटर ऐसी संख्या में अपार्टमेन्ट्स जितनी संघ बनाने के लिए आवश्यक हो या अपार्टमेन्ट्स का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो उसके द्वारा बिक्री, अन्तरण या कर्जा देने के माध्यम से स्वामियों को सौंप दिये जाने के तत्काल बाद संघ का पंजीकरण करायेगा, बशर्ते कि भवन, सभी अवसंरचना सम्बन्धी सेवाओं के साथ पूर्ण कर दिया गया हो और स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि प्रोमोटर आवश्यक समझे तो किसी स्वतंत्र क्षेत्र अथवा किसी स्वतंत्र वाणिज्यिक क्षेत्र की दशा में प्रोमोटर उसके प्रबन्ध हेतु एक पृथक संघ गठित कर सकता है''

(ख) उपधारा (5) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु अग्रतर यह कि प्रोमोटर द्वारा एकत्र की गयी ब्याज रहित अनुरक्षण जमानत धनराशि भी साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं के हस्तान्तरण के समय, संघ को हस्तान्तरित की जायेगी''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-54 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

बेनेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' कम्पनी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश स्थित जिला–गौतमबुद्धनगर में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'',''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'', ''प्रति–कुलपति'' से है;

(घ) ''कम्पनी'' का तात्पर्य बेनेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' कम्पनी है;

(ङ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(च) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(ज) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(झ) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(ञ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ट) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ठ) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ड) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ढ) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है:

(ण) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(त) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(थ) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(द) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(ध) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(न) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(प) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4—कम्पनी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:—

(क) रूपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम चार करोड़ रूपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें (उपरोक्त [ग] में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनवद्ध होगी;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह—आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रूपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रूपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद—विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल—कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो की पूर्ति करेगी;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अध्यादेश एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''पब्लिक डोमेन'' में रखेगी;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए कम्पनी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार, कम्पनी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :– विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति ;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जिसका निर्वहन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्:– विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय–समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर व उपग्रह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए कम्पनी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय—समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11—(1) कम्पनी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति कम्पनी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति कम्पनी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाये।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाये।

कुलसचिव

16–(1) कुल-सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाये।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल-सचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाये।

कोषाध्यक्ष

18—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाये।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाये।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः—

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाये।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाये।

कार्यपरिषद

23–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद का सदस्य होगा।

विद्या परिषद

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाये।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाये, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकारी में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) कम्पनी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) कम्पनी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एंव 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाये।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखा जायेगा।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्व–विद्यालय का व्यय

49–(1) धारा 48 से अधीन विश्वविद्यालय का दायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम-दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरूद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व कम्पनी से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रुप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

54–(1) बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2016

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह–प्रतिक्रियाकारी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-54 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, प्रस्ताव रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैने मद संख्या-18 पर संशोधन दिया है। राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेन्ट के संदर्भ में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहली अगस्त को लोक प्रहरी बनाम स्टेट आफ यूपी के सम्बन्ध में रिट पिटीशन संख्या-657/2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें इस बात को ओपेन किया गया था कि स्टेचुटरी प्राविजन्स के अभाव में जो आक्यूपेन्सी है सरकारी भवनों की उसमें कुछ कटेगरी के लोगों को अनएथराइज आक्यूपेन्ट मानकर उनका एलाटमेन्ट निरस्त कर दिया था उन्हें अनएथराइज आक्यूपेन्ट माना था। इस संदर्भ में यह बिल आया है। इसमें 3-4 बाते मैं मान्यवर, विशेष रूप से कहना चाहता हूं एक तो सबसे पहली बात यह है कि हो सकता है मान्यवर, यह प्रकरण बाद में फिर उच्चतम न्यायालय को जाय इसलिए मैं सबसे पहले फोकस करना चाहता हूं इसके उद्देश्य और कारणों पर, इसके उद्देश्य और कारण विस्तृत रूप से इंगित किये जाने चाहिए क्योंकि यह तो सही है कि ऐक्ट की धारायें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा डिस्कस होंगी उद्देश्य और कारण उसमें डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन उसको कोड किया जा सकता है कि हमने किस उद्देश्य से, किस कारणों से हम यह विधेयक लाये हैं।

दूसरी बात, इस बिल की है इसमें मान्यवर, पत्रकार प्रभावित होते हैं, सोसाइटी, आर्गनाइजेशन, राजनैतिक दल और ट्रस्ट प्रभावित होते हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान चाहता हूं इस बिल की पेज नम्बर 3 धारा 6(2) पर, न्यासों से भिन्न अन्य आवेदकों के भवन का आवंटन 2 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा राज्य सरकर द्वारा उसे नवीनीकरण कर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु विचार किया जायेगा। मान्यवर, इसमें आवेदकों को परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन से आवेदक होंगे, किस कटेगरी के होंगे क्या उनकी योग्यता होगी या किसी भी व्यक्ति को यह दिया जा सकता है इस पर हमारी आपत्ति है और इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि उसमें यह स्पेसीफाई हो कि आवेदक की क्या योग्यता हो। दूसरी बात, 6(1) में जो व्यवस्था 30 दिन की दी है, मान्यवर, जो सेवानिवृत्त होता है उसके लिए मकान खाली करने की जो 30 दिन की समय सीमा है यह कम है इसको 60 दिन कर दिया जाए, यह मेरा सुझाव है। तीसरी बात, जो व्यवस्था राजनीतिक दलों की और पत्रकारों की अभी तक चली आई है हम उस पर बल देना चाहते हैं। मान्यवर, अभी तक यह था कि मान्यता प्राप्त पत्रकार जो लखनऊ में हैं जब तक वह लखनऊ में हैं तब तक वह उस आवास में रह सकते हैं लेकिन अगर 6(2) से उनको गवर्न किया जायेगा तो उनका भी दो साल का कार्यकाल होगा तो इस तरीके से मान्यवर, प्रेस के ऊपर खास तौर से पत्रकारों पर एक तरीके का बन्धन है और बंधन के माध्यम से मैं नहीं समझ पाया कि सरकार कौन सा उद्देश्य सिद्ध करना चाहती है कि दो साल के लिए पत्रकारों को मकान देंगे और दो साल के बाद एक साल के रिन्यूअल करेंगे। मान्यवर, इसको स्पष्ट होना चाहिए कि इस कैटेगरी के लिए क्या-क्या होना चाहिए। मान्यवर, मैं इस बात पर बल देता हूं कि जो व्यवस्था अभी तक पत्रकारों के लिए चली आई है वही व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली बात, ट्रस्ट, सोसाइटीज और आर्गनाइजेशन की है। एक तरफ ट्रस्ट, सोसाइटीज को, यह व्यवस्था मान्यवर, धारा-6(3) में है कि किसी न्यास को भवन का आवंटन अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा और न्यास द्वारा आवेदन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अधिकतम पांच वर्ष तक के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। मान्यवर, मेरा सबमिशन इस सम्बन्ध में यह है कि जिनको भी, जिस न्यास को या

आर्गेनाइजेशन को या सोसाइटी को हम भवन दें उसके बारे में उसकी पड़ताल जरूर कर लें कि उसमें कौन सा जनहित इन्वाल्व है, उसका उद्देश्य क्या है और वह किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है और उसकी प्रीवियस परफार्मेंस क्या है यदि इन बातों को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे तो इस क्लाज का मिस्यूज नहीं होगा और उसमें केवल वही न्यास, वही सोसाइटीज, वही आर्गेनाइजेशन इसका फायदा उठाकर आवास आवंटित करा सकेंगे जो वास्तव में पात्र होंगे और जनहित में काम करेंगे। अगर परफार्मेंस बेस्ड रिन्यूअल होगा तो कम से कम ये अपने पांच साल में इनको जो आवास मिला उसका कहां तक उपयोग किया कहां तक दुरुपयोग किया यह भी साबित हो जायेगा। मैं इस पर भी बल देना चाहता हूं कि रिन्यूअल 5 साल के बजाय दूसरी बार के लिए जब हो तो उसके लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर दें कि 3 साल से ज्यादा न हो। क्योंकि एक ओर तो बाकी लोगों पर इतना प्रतिबन्ध और दूसरी ओर इस प्रकार से छूट दी जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, इसके लिए एक जस्टीफाई रिजनिंग भी होनी चाहिए कि हमने किस आधार पर उनको सेलेक्ट किया और किस आधार पर हम उनको देना चाहते हैं। मान्यवर, रेन्ट के बारे में भी हम एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि रिजनेबिल रेन्ट हो, उसमें यथाविहित शब्द दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इसके सेक्शन-7 में तो है कि किराया बाजार दर से प्रभावित किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, रिजनेबिल रेन्ट होना चाहिए। मान्यवर, उसमें दो शब्द दिये हैं एक बाजार दिया है और दूसरा यथाविहित भी दिया है, जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब्ड हो। अगली बात मान्यवर कि यह जो एक्यूपेंसी है इनकी अभी तक, चूंकि उसको अनएथराइज मान लिया गया। जो फर्दर इनका क्या एलाटमेण्ट होगा इसके बारे में भी ऐक्ट शांत है। क्योंकि अगर उसको मा0 सुप्रीम कोर्ट ने अनअथरॉइज्ड आक्यूपेंट माना है तो जाहिर बात है कि उनको दोबारा एलाटमेण्ट होगा। फिर अगर एलाटमेण्ट होगा तो इसके बारे में भी ऐक्ट मौन है कि आखिरकार वो किस आधार पर होगा। यह ऐक्ट में ही क्लीयरीफाई होना चाहिए और इसके बाद जिस आधार के ऊपर 1997 के रूल्स को उन्होंने बैड इन-लॉ माना, उसके विषय में भी जो रूल्स बनें वह बिल्कुल व्यवहारिक हों। चौथी और अंतिम बात जिसके ऊपर बल देना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण व्यवस्था एक्मोडेशन की है, यह राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत होना चाहिए। अगर हम गुड गवर्नेंस का नारा देते हैं या हम सुधार की बात करते हैं तो यह गोपन जो अलग से कुछ देखता है, मंत्रियों का और बाकी लोगों की गोपन से व्यवस्था होती है और यह केवल राज्य सम्पत्ति के आधार पर होता है तो सारी व्यवस्था मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत ही होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं संशोधन पर बल देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जिसमें अभी कारण और उद्देश्य के बारे में, पत्रकारों के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में जो व्यवस्थायें हैं, ज्यादा स्पष्ट नहीं है, उसके लिए इसे एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें थ्रेस आउट हो जायेंगी और उसमें उन लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह विधान सभा मा0 विधायकों से बनती है। हमने दुनियाभर के सारे लोगों की सुविधाओं, मकानों और उसके टाइप की व्यवस्था कर दी, नहीं की तो माननीय विधायकों की नहीं की। यह कानून लिखता है कि विधान सभा के सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों हेतु चिन्हित भवनों से भिन्न राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन की पात्रता निम्न होगी और 7 प्रकार के भवन बना दिये गये हैं। यह कानून एक बार भी नहीं बताता है कि जो माननीय विधायकों को भवन दिये जायेंगे उनका स्तर क्या होगा ? इस प्रश्न को पूछने का एक कारण है। मैं 2002 से विधायक निवास-5 में रहता हूं। मेरे बगल के कमरे में एक शिक्षा विभाग का कर्मचारी रहता है, उसके बगल वाले कमरे में एक बहुत बड़े मंत्री जी के किचेन में काम करने वाले का परिवार रहता है और उसके बगल के कमरे में एक बहुत प्रभावशाली नेता का सुरक्षाकर्मी रहता है, नाम है उसका विधायक निवास-5 । मैं इस कानून पर बहस करते समय सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर हमने प्रकार-1 के भवनों में समूह-घ के कर्मचारी, प्रकार-2 के भवनों में समूह ग के कर्मचारी, प्रकार-3 के भवनों में समूह ग के कर्मचारी, प्रकार-4 के भवनों में समूह-ख के कर्मचारी चिन्हित कर दिये तो यह जो विधायक निवास में क, ख, ग और घ प्रकृति के लोग रह रहे हैं जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब आपने उन्हें चिन्हित कर दिया उनके लिए भवनों के ये-ये प्रकार हैं और वह अपने-अपने प्रकार में रहेंगे तो यह जो विधायक निवास नाम की जगह बनायी गयी, जिसमें ढ़ेरों की संख्या में गैर विधायक निवास कर रहे हैं। क्या सरकार यह बतायेगी, मैं समानता के सिद्धान्त पर विश्वास करता हूं मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि कौन रहता है लेकिन यह नियम-कानून का विषय है। विधायक निवास में कौन रहेगा इसे भी चिन्हित कर दिया जाना चाहिए और अगर क, ख, ग, घ की श्रेणी 1, 2, 3, 4 और 5 है तो क्या सरकार यह आश्वस्त करेगी कि इस कानून को लागू होने के बाद विभिन्न विधायक निवास, या तो कह दीजिए कि यह विधायक निवास नहीं है। अगर विधायक निवास है, आपने उसे अलग चिन्हित कर दिया तो इस सदन को आश्वस्त कर दीजिए कि उसमें माननीय विधायकों के सिवाय कोई और नहीं रहेगा और दूसरी चीज उसमें सुविधाओं की कैटेगरी क्या होगी ? क्योंकि आपने विधायकों को छोड़ करके सबकी कैटेगरी तय कर दी। प्रकार-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तय किया है तो उनके भवन का आकार, उनके कमरे में मिलने वाली सुविधा, उनके पास पंखा होगा कि नहीं, फ्रिज होगा कि नहीं, आर0ओ0 होगा कि नहीं, ए0सी0 होगा कि नहीं, इसी आधार पर आपने चिन्हित किया होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम विधान सभा में बैठकर यह कानून बनाते हैं और माननीय विधायकों के अपने निवास के प्रकार क्या होंगे और उनके निवासों में किस किस प्रकार की सुविधाएं होंगी हम उसे ऑन पेपर क्यों नहीं लाते हैं। मुझे इस बात के लिये बाध्य क्यों किया जाता है कि मैं राज्य सम्पत्ति अधिकारी को फोन करूं। माननीय मंत्री जी आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था तो आपके आदेश से कुछ सुविधाएं आई थीं। उसको इस सदन में मैं स्वीकार करूंगा। प्रश्न यह है कि अगर सब कुछ हम एक कानून ही बना रहे हैं तो एक विधायक को राज्य सम्पत्ति अधिकारी को फोन करना पड़े

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मैंने आपसे कहा था कि मेरा घर तीन साल से सीलनमय है और कोई इसको ठीक नहीं कर रहा है। कहीं कोई तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि यह जो सदन है जो विधायकों से मिलकर बनता है तो पूरे प्रदेश को संचालित करने का दावा करता है आखिर उसके रहन सहन की व्यवस्था का मानक क्या होगा ? सरकार ने सबके कानून बनाये उन्हीं को क्यों छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसका एक सन्तुष्टिपरक जवाब देना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही यह तब्दीली लाई गई है और मान्यवर, कोई बहुत ऐसी तब्दीली नहीं है जिस पर बहुत ऐतराज हो या बहस हो। आपने जो डा0 साहब ने बात रखी और नेता भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी इसमें जाहिर है कि आवंटन के समय सारी बातें देख ली जायेंगी कि किस व्यक्ति को किया जा रहा है और जिस स्तर से यह आवंटन होगा उस स्तर को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही स्तर होगा सक्षम जिससे उसे आवंटित किया जा सकता हो। दो साल का रिन्यूवल और पांच साल का ट्रस्ट के लिये। आम तौर पर समझा यह जाता है कि समाज सेवा के लिये ट्रस्ट बनाये जाते हैं उसका मतलब ही भरोसा है। तो यह जरूर देखने की जरूरत होगी कि भरोसे के नाम पर जो लोग आवास ले रहे हैं वह भरोसा करने योग्य हैं कि नहीं। अब तक व्यवस्था यह थी कि 30, 60, 90 ऐसा होता था ऐसा लगा जैसे अब इनके नाम एलाटमेंट हो गया तो यह इसके मालिक हो गये लेकिन अब एक लिमिटेड पीरियड है। अगर एक ट्रस्ट है भरोसा का तो पांच साल मैक्सिमम और उसका जो रिन्यूवल होगा वह भी पांच साल के लिये होगा। पड़ताल जरूर की जाय, आपने कहा। बिल्कुल पड़ताल की जानी चाहिए। बगैर पड़ताल के कोई आवंटन नहीं होगा। डा0 साहब ने जो तकलीफ रखी है उसमें यह तो बतायें कि गैरेजों या कमरे या विधायक आवास के कमरों में....

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह सूचना इन्होंने मांगी है, मैं दे दूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

ना ना, मैं इसलिये नहीं कह रहा। एक मिनट बैठ तो जाइये मैं क्या कह रहा हूं। अरे सुन तो लीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि इन जगहों पर रखने वाले भी तो माननीय विधायक हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

हमारे गैरेजों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, मैं यह बता रहा हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

सरकार का कब्जा नहीं है वह। वह सरकार का कब्जा नहीं है। इक्का दुक्का कहीं हो तो उसे दिखवा लेंगे लेकिन बाकी जो भी कब्ज़ा है वह खुद हमारा ही है। हम सबका। जहां विधायक रहते हैं उसके गैरेज या अदर रूम्स, उनमें आपका अपवाद हो सकता है लेकिन उसके लिये भी जब कोशिश की गई है तो अपने ही विधायकों ने उस कार्यवाई को रोका भी है और मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं शिवपाल जी अगर जरूरत पड़े तो यह भी इस बात को कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है उसे न खाली कराया जाना लेकिन जहां तक आज का प्रश्न है उसमें यह प्रश्न नहीं है डाक्टर साहब वाला। आज का जो प्रश्न है उसमें पारदर्शिता होगी और जो लोग इसके पात्र होंगे या जो ट्रस्ट आदि पात्र

होंगे सिवाय उनके किसी का आवंटन नहीं होगा ऐसा आश्वस्त करना चाहते हैं। देखिये पत्रकारों का मामला यह है कि पत्रकारों का सम्मान समाजवादी सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। पहली बार अगर आवास मिले तो नेता जी के द्वारा ही दिये गये। वह आवास आज तक उनके पास हैं। जितनी भी स्कीम्स आईं पत्रकारों के सिलसिले में, उनकी बीमारी के इलाज के लिये और उनकी दूसरी जरूरतों के लिये समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा खुद जातीय तौर पर नेता जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। (मेजों की थपथपाहट) यह बिल्कुल जिसे इस्टैबलिश फैक्ट कहते हैं वह है। अब भी उनके साथ जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा किया जायेगा। अब आज पत्रकार है, कल को बिल्डर हो गये तो पत्रकार कहां रहेंगे और यह भी आप जानते हैं जब मुख्य मंत्री जी की पत्रकार वार्ता होती है तो साहब इतने माशाअल्लाह होते हैं कि लगता है कि भारत में सारे लोग सिर्फ अखबार ही निकालते हैं कोई दूसरा काम नहीं करते। वह कोई दूसरा काम ही नहीं करते हैं। मगर फिर वह उस वार्ता के अलावा फिर कहीं नहीं दिखते हैं और कुछ पर्चे तो मान्यवर, ऐसे निकलते हैं जिन्हें केवल दो-चार अधिकारी ही जानते हैं या फिर वह जो समाचार पत्र निकालते हैं वह अपने आप को जानते हैं अब पढ़ने वाले तो गिने चुने ही होते हैं अब उनका ख्याल रखना तो जिम्मेदारी है देखिए आपने तो राज्य सभा तक में भेज दिया इतना ख्याल रखते हैं तो मान्यवर, पत्रकारों के साथ समाजवादी सरकार का और नेता जी का बहुत अच्छा सुलूक रहा है और आगे भी रहेगा। अब किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होगी जो पत्रकार होंगे। (किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर) आपने सुना ही नहीं, विधायकों के लिए मैंने कहा, खुद जाकर जमीनें देखी हैं, स्वयं गया हूं और कई प्लाट हमने पसंद किए हैं एक जगह तो जमीन नहीं मिल पा रही है जहां सारे लोग आ जाएं। लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन पर देखा है और बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। कानूनी तरीके से देंगे आपको, ऐसा नहीं कि फिर कोर्ट चले जाएं, लेकिन आप कहें कि आपको चाहिए, बाद में यह न कहिएगा कि हमने तो साहब मना किया था एक बार आप ही इस पीठ पर बैठे थे एक सज्जन ने कहा, वह उस पार्टी के थे जिसके सबसे कम सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोधी हूं, तो मैंने कहा कि साहब नोट कर लीजिए इनके अलावा सबकी बढ़ जाए, तो बोले इसका मतलब यह कहां हुआ, तो जो बात हम कहें उसकी जिम्मेदारी भी सब लोग लें और वाकई जरूरत है उसमें एक प्राविधान यह भी हो गया था माननीय नेता सदन की कृपा से, अगर किसी के पास है तो उसको भी प्लाट दे दिया जाए, है से मतलब कभी रहा है और अब नहीं है सरकार ने कभी दिया है और अब नहीं है तो उसको भी इसकी सहूलियत दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016

राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) 'आवंटन' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन के अध्यासन के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किये जाने से है;

(ख) 'राज्य सम्पत्ति अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पदा के प्रभारी अधिकारी से है;

(ग) 'लखनऊ' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;

(घ) 'आवास' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भवन एवं उसके परिसर से है;

(ङ) 'अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य या न्यायिक सेवा के सदस्य से है;

(च) 'प्रकार' का तात्पर्य धारा–3 में यथा उल्लिखित भवनों के प्रकार से है;

(छ) 'किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो किसी व्यक्ति को आवंटित निवास स्थान के अध्यासन के कारण उसे संदेय हो;

(ज) 'न्यास' का तात्पर्य ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम से सामाजिक कार्य के लिए स्थापित न्यास अथवा उनके आदर्शों, सिद्धांतों एवं सामाजिक कार्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यरत न्यास से है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हो;

(झ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत हो और वे सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में कार्यरत हों;

(ञ) 'राजनैतिक दल' का तात्पर्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल से है;

(ट) 'मंत्री'/'पूर्व मुख्य मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के अधीन परिभाषित किसी 'मंत्री' या 'पूर्व मुख्य मंत्री' से है;

(ठ) 'कर्मचारी संघ' का तात्पर्य ऐसे किसी कर्मचारी संघ से है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसका मुख्यालय लखनऊ में हो ;

(ड) 'पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे किसी सम्पादक, उप-सम्पादक या पत्रकार से है जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर से मान्यता प्रदान की गयी हो, जो पूर्णकालिक रूप से लखनऊ में सेवारत हो तथा जिसके समाचार-पत्र का कार्यालय लखनऊ में हो;

(ढ) 'अनधिकृत अध्यासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 में यथापरिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

भवनों के प्रकार

3—राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के प्रकार निम्नवत् हैंः—

(1) प्रकार—एक

(2) प्रकार —दो

(3) प्रकार —तीन

(4) प्रकार —चार

(5) प्रकार —पॉच

(6) प्रकार —छः

(7) प्रकार —सात

आवंटन की पात्रता

4—विधान सभा के सदस्यों एवं विधान परिषद के सदस्यों हेतु चिन्हित भवनों से भिन्न राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन की पात्रता निम्नानुसार होगीः—

क्रमांक	भवनों के प्रकार	आवंटन की पात्रता
01	प्रकार —1	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह—'घ' के कर्मचारी।
02	प्रकार —2	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह—'ग' के अराजपत्रित कर्मचारी।
03	प्रकार —3	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह—'ग' के राजपत्रित कर्मचारी।
04	प्रकार —4	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह—'ख' के अधिकारी/न्यायिक सेवा के अधिकारी, पत्रकार, सोसाइटी, मान्यता प्राप्त संघ।
05	प्रकार —5	मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री, न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अन्य अधिकारी और उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य ।

06	प्रकार –6 एवं 7	मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) समूह–'ख' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से है।

(ख) समूह–'क' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या सचिव या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों से है।

(ग) वरिष्ठ अधिकारी का तात्पर्य प्रमुख सचिव या समकक्ष वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में कार्यरत किसी अधिकारी से है।

आवंटन करने की शक्ति

5–प्रकार 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा तथा प्रकार 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग के पूर्वानुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवंटन की अवधि

6–(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन का आवंटन उनके लखनऊ में तैनात रहने की अवधि तक के लिए किया जाएगा। स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में आवंटितियों को अध्यासित आवास को उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा।

(2) न्यासों से भिन्न अन्य आवेदकों को भवन का आवंटन दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा उसके नवीकरण पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु विचार किया जाएगा।

(3) किसी न्यास को भवन का आवंटन अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रतर अधिकतम पाँच वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

किराये का निर्धारण

7–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों, राजनैतिक दलों, पूर्व मुख्यमंत्री, कर्मचारी संघ एवं पत्रकारों को यथाविहित दर से प्रभारित किया जाएगा।

भवनों की बेदखली

8–सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, कर्मचारी संगठनों तथा पत्रकारों द्वारा अनधिकृत अध्यासन को, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबन्धों के अधीन खाली कराया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

9–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

रूहेलखण्ड एजूकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' ट्रस्ट है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश स्थित जिला–बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और

उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'',''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'', ''प्रति-कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य रूहेलखण्ड एजूकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली, से है जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' ट्रस्ट है ;

(प) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) रूहेलखण्ड एजूकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' ट्रस्ट है, द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित जिला–बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्ते

4– ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:–

(क) न्यूनतम रुपये 10.00 (दस) करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम चार करोड़ रूपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनवद्ध होगा;

(ड़) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगा;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रूपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय करेगा तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रूपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगा;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध होगा;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 और राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करेगा;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगा;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगा;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''जनसामान्य के विचार क्षेत्र'' में रखेगा;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगा;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगा जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति ;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की शक्तियॉ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्ः–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्धन, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय–समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर व उपग्रह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं; शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियॉ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों कें स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसायटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे: विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय—समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:— विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

11—(1) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी। कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

12—(1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रतिकुलाधिपति

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा प्रतिकुलाधिपति अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15– निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुल–सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः'–

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद् का सदस्य होगा।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी

(2) वित्त समिति का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्व– विद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद् प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तद्नुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनाँक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद् की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(4) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हों, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनाँक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे मे विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य को रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा–(1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्,–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्,–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44—धारा 41, 42 एंव 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45—विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखा जायेगा।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47—(1)विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्य—कलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधो का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा—51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 से अधीन विश्वविद्यालय का दायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) मे निर्दिष्ट निधियाँ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्,–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम–दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियां, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष कियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशीध्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संस्कृति सोसाइटी फार एजूकेशन, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश स्थित जिला–मथुरा में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'', ''प्रति–कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति

से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(त) ''सोसाइटी'' का तात्पर्य संस्कृति सोसाइटी फार एजुकेशन, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली से है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है;

(थ) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(द) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(ध) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(न) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(प) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश से है।

3–(1) सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में ''संस्कृति विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4–सोसाइटी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :– विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) न्यूनतम रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनवद्ध होगी;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करेगी;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''जनसामान्य के विचार क्षेत्र'' में रखेगी;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए सोसाइटी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात् :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैव चिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्धन, विधि, पोषाहार विज्ञान, एनीमेशन, मल्टीमीडिया, मनोविज्ञान, परिषद् पाठ्यक्रम, पर्यटन, रचनात्मक और प्रदर्शन कला, भेषजगुण विज्ञान, स्वास्थ्य, परिचर्या, कराधान, विनिधान प्रबन्धन और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम सूक्ष्म वित्त व्यवस्था एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय–समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर व उपग्रह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों कें स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशो के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11–(1) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसइटी द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुल-सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:'–

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्य परिषद् का सदस्य होगा।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्ति करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति।

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य।

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद् की जानकारी में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(4) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हों, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के सम्बन्ध मे विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य को रूप में ग्रहण किया जायेगा। विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। परिनियमों और अध्यादेशो का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

41—(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा। स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् सामान्य निधि

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

43—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् विकास निधि

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा–41, 42 एवं 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को जनसामान्य के विचार क्षेत्र में रखा जायेगा।

सूचना और अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा–51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा–48 से अधीन विश्वविद्यालय का दायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियां, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्मपत्तियाँ/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आास्तियाँ और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व सोसाइटी से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) यह 12 जनवरी 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, सन् 2005 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2-एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक में शब्द ''गौतमबुद्धनगर में'' के स्थान पर शब्द ''गौतमबुद्धनगर में गौतमबुद्धनगर के मुख्य परिसर के साथ लखनऊ में इसके संघटक इकाई/परिसर में'' रख दिये जायेंगे।

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(1) गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में फाउंडेशन द्वारा लखनऊ स्थित संघटक इकाई/परिसर सहित एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(1-क) एमिटी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक को राज्य के भीतर फाउंडेशन द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्थायें और परिसर, एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के संघटक इकाई/परिसर समझे जायेंगे।''

धारा-7 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-7 में, खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ञञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ संघटक इकाई/परिसरों, आफ कैम्पसों, आफशोर कैम्पसों, वर्चुअल कैम्पसों आदि की स्थापना करना;''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03.51] मा0 अध्यक्ष विधान सभा के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिये अमित तिवारी, चीफ इन एडिटर, गाजियाबाद तथा सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता उत्तर प्रदेश इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय से पूर्व सदन में सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति प्रयुक्त की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए श्री अमित तिवारी चीफ इन एडिटर, राजनगर, जनपद गाजियाबाद तथा श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, उ0प्र0इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बस्ती के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रतिवेदन में इंगित दोषी व्यक्तियों को सदन में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मा0अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति प्रयुक्त की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए श्री अमित तिवारी चीफ इन एडिटर, राजनगर, जनपद गाजियाबाद तथा श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, उ0प्र0 इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बस्ती के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रतिवेदन में इंगित दोषी व्यक्तियों को सदन में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से यह प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से हो जाए अगर सदन के माननीय अध्यक्ष का भी अपमान होगा तो रह क्या जाएगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

इससे पहले भी एक मामला आया था और कहते हैं कि अगर वह मान लिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। उसमें अगर थोड़ी सी कार्यवाही में तेजी आ जाए तो हम उसे इस सरकार के कार्यकाल में ही निपटा सकते हैं। वरना तो बड़ा मन हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह मामला है और हम लोगों का प्रयास है कि शीघ्र ही इसका निस्तारण करा दिया जाए।

[3.55] पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

दलबीर सिंह जी आपकी चर्चा जारी रखें या प्रस्ताव रखकर खत्म करा दें।

*श्री दलबीर सिंह-

मैं इस पर अपनी बात रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोल चुके हैं। चर्चा जारी है।

श्री अध्यक्ष-

श्री दलवीर सिंह जी, आपके संकल्प पर चर्चा जारी रखें या प्रस्ताव करके खत्म करा दें ?

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, चर्चा जारी रखें। मैं अपनी बात रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मैंने एक ऐतिहासिक विचार रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी जनता न्याय के लिये इतनी लम्बी दूरी तय करती है। मेरे पास यह चार्ट है। मेरठ से इलाहाबाद 705 किलोमीटर, दिल्ली हाईकोर्ट 70 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर 368 किलोमीटर दूर, हरियाणा 239 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 336 किलोमीटर, राजस्थान 333 किलोमीटर, उत्तराखण्ड 249 किलोमीटर, पाकिस्तान का लाहौर 500 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय लेने के लिये इलाहाबाद 705 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सदन के सामने मेरा प्रस्ताव है कि सर्वसम्मति से इस संकल्प को पास करें और भारत सरकार को भेजें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की शाखा स्थापित करें। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके माध्यम से इसमें सरकार का जवाब चाहता हूं।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अनुग्रह नारायण सिंह जी बोलना चाहते हैं, पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान में एक राज्य में एक हाईकोर्ट का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश अभी बंटा नहीं है इसलिये यह गैर संवैधानिक होगा। दूसरी बात, जहां तक लखनऊ बेंच का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सवाल है तो लखनऊ 1942 से सर्किट कोर्ट थी, लखनऊ कभी भी बेंच नहीं रही। इसलिये यह गैर संवैधानिक होगा और दूसरी बात 'जस्टिस एट डोर' का सिद्धान्त अब खत्म हो गया है। अब इंटरनेट में इस तरह की दुनियाभर की सामग्री आ गयी है कि मुवक्किल घर बैठे-बैठे सब कुछ वकील साहिबान को दे देता है। मान्यवर, पहली बात तो यह गैर संवैधानिक संकल्प यहां पर लाना नहीं चाहिये और यदि आ गया है तो हम मा0 दलवीर सिंह जी से कहेंगे कि उसको वापस ले लेना चाहिये। न्याय जब एक जगह रहता है तो न्याय मजबूत होता है। ज्यूडीशियरी का बाईफर्केशन अपने आप में बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा।

(लोकदल के सदस्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की बेंच स्थापना के समर्थन में सदन के वेल में आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

इस पर प्रस्ताव करके अगर मतदान कराओगे तो बहुत समस्या पैदा होगी। इसलिये इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के मंडल मुख्यालयों पर स्थापित मंडलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, ठीक है।

[03.59] उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप सम्पूर्ण बजट को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग-अलग चार जोनल बजट बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप प्रदेश के सम्पूर्ण बजट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग-अलग चार जोनल बजट बनाये जायें।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, ठीक है।

ग्लोबल वॉर्मिंग से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिये समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका क्रियान्वयन कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप प्रदेश की विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिए एक समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, ठीक है।

जनपद देवरिया में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय, देवरिया को मेडिकल कालेज में यथाशीघ्र परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी नहीं है।

[04.01] राज्य के प्रत्येक शहर के बाहरी क्षेत्रों में अविकसित गरीब आबादी वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के प्रत्येक शहर के बाहरी क्षेत्रों में अविकसित गरीब आबादी वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु कार्य योजना बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 सम्बन्धित 353/1 बेली उपरहार, इलाहाबाद के समान भारत का संविधान के अनुच्छेद-14 'कानूनों का समान संरक्षण' के अनुपालन में प्रदेश के ऐसे समस्त प्रकरणों में भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राजकीय आस्थान व नजूल की भूमि की दोहरी प्रवृष्टियों के सम्बन्ध में आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-7/2365/8-4-14-64एन/14 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 सम्बन्धित 353/1 बेली उपरहार, इलाहाबाद के समान 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 14, ''कानूनों का समान संरक्षण'' के अनुपालन में प्रदेश के ऐसे समस्त प्रकरणों में भी लागू किया जाए।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

आवास विकास द्वारा रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज से खरीदे गये मकानों/भू-खण्डों के लिये सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आवास विकास द्वारा रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये मकानों/भू-खण्डों के लिए सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ठीक है।

फिरोजाबाद में कांच उत्पादों के निर्माण में लगे असंगठित श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, रक्षा एवं जीवन रक्षा के लिये विशेष कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि फिरोजाबाद में कांच उत्पादों के निर्माण में लगे असंगठित श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य रक्षा एवं जीवन रक्षा के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनायी जाय।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री मनीष असीजा-

ठीक है, मान्यवर।

[04.02] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-08-2016 को नियम-51 की कुल 86 सूचनायें प्राप्त हुईं। इसमें पहली सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के आंवला में दिनांक 22-03-2016 को रहमान खां की 30 वर्षीय पुत्री की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मृत्यु के उपरान्त परिवारीजनों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरान्त मुआवजा दिये जाने में की जा रही अनियमितता के संबंध में,

तीसरी सूचना श्रीमती श्रद्धा यादव की माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में,

चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के टाउन एरिया में सी0एच0सी0 न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

पांचवी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की उ0प्र0 राज्य प्राथमिक विद्यालयों में कला वर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में,

छठवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर सहित पूरे प्रदेश में मूल निवास व आय प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

सातवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में,

आठवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के संबंध में,

नौंवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के वि0स0 क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

दसवीं सूचना श्री रामचन्द्र चौधरी की प्रदेश में रिएल स्टेट कम्पनियों द्वारा नागरिकों के उत्पीड़न व शोषण के संबंध में,

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती बिमला बाथम की नोएडा के विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

बारहवीं सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की जनपद महराजगंज के नौतनवां तहसील में सूखे की भयावह स्थिति के सम्बन्ध में,

तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला के बारादरी पक्का तालाब थाना सदर बाजार के पास निवासी मो0 असलम रिक्शा चालक के बेटे की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं :-

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती फसीहा मंजर उर्फ गजाला लारी, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री जन्मेजय सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्री पूरन प्रकाश, श्री दलवीर सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री विजय कुमार पासवान, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीमती पूजा पाल, श्री फेरनलाल, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री अमित गौरव यादव, श्री सुनील कुमार लाला, श्री आशीष यादव, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री विनय तिवारी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, डा0 अरूण कुमार, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री वेदराम भाटी, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री विनोद तिवारी, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री उदय राज यादव, श्री अविनाश कुशवाहा, डा0 सियाराम सागर, श्री लोकेश दीक्षित, श्री सन्त प्रसाद, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री रामहेत भारती, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री मो0 जासमीर अंसारी, श्री राधेश्याम, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमती सीमा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', श्री पूर्णमासी देहाती, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री गुलाब चन्द्र, श्री प्रदीप माथुर, श्री दीपक पटेल, श्री गयाचरण दिनकर, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अनिल कुमार, श्री हाजी मुर्सरत अली बिट्टन, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया, श्री कालीचरण सुमन, श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री आसिर जाफरी, श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री फेरन लाल और श्री नूर सलीम राणा।

जनपद शामली के थानाभवन के अन्तर्गत श्री बृजमोहन व उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, डा0 धर्म सिंह सैनी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-08-2016 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि ....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[श्री बृजमोहन पुत्र श्री श्रीकान्त निवासी ग्राम उमरपुर, थाना थानाभवन, जनपद शामली की भूमि चक सं0-497, मौजा उमरपुर के जलालाबाद पूर्वी माइनर के किनारे एक नाली 60 गड्ढे पक्के व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

40 गड्ढे कच्ची बनी हुई थी। पटरी के चौड़ीकरण व पटरी पर लेपन स्तर पर सड़क का निर्माण हो जाने के कारण पक्की व कच्ची दोनों नाली पटरी में दब गयी थी। सिंचाई विभाग द्वारा मोटर सहित माइनर की चौड़ाई 45 फिट है। बृज मोहन की भूमि से 05 पेड़ पापुलर दबंगों सर्वश्री शेखर पुत्र श्री राजेन्द्र, सन्दीप पुत्र राजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र चमन, विनोद पुत्र बाबू, पप्पू पुत्र बाबू, अर्जुन पुत्र निल्ला, किरनपाल पुत्र श्री राम, सोनू पुत्र सुरेश आदि निवासीगण ग्राम उमरपुर, थाना-थानाभवन, जनपद शामली द्वारा दिनांक 20-07-2016 को पेड़ काट लिया, जिसकी प्रथम सूचना रपट थाना-थानाभवन, जनपद शामली में श्री बृजमोहन द्वारा अंकित किया गया किन्तु स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही दबंग व शोरे पुश्त व्यक्तियों के विरुद्ध न करने से उनके हौसले और बुलन्द हो गये तथा उपरोक्त दबंगों द्वारा दिनांक 21-07-2016 को पुनः 50 पेड़ काटने की सूचना थाना-थानाभवन को दिया किन्तु आज तक एफ0आई0आर0 पंजीकृत नहीं की गयी है। श्रीमान जी दबंगों पर कोई कार्यवाही न होने से उनके हौसले काफी बुलन्द हो गये हैं। श्री बृजमोहन व उनका परिवार काफी आतंकित है तथा इन्हें जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही हैं। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि कार्यवाही न होने से उपरोक्त दबंग प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित की जा सकती है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शामली से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 20-07-2016 को थाना-थानाभवन पर वादी श्री बृजमोहन पुत्र श्री श्रीकान्त निवासी ग्राम उमरपुर, थाना-थानाभवन, जनपद शामली द्वारा एन0सी0आर0 नं0-125/16 धारा-427 भा0द0वि0 बनाम 1-शेखर, 2-सन्दीप पुत्र राजेन्द्र सिंह, 3-राजेन्द्र पुत्र चमन निवासीगण ग्राम उपरपुर के बाबत पापुलर के पेड़ काट कर क्षति कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत करायी गयी।

3-उक्त एन0सी0आर0 नं0-125/16 की जांच से पाया गया कि ग्राम उमरपुर में पूर्वी माइनर के किनारे लगे पापुलर के 2 से 3 वर्ष के 04 पतले पेड़ जड़ से लगभग 07-08 फुट ऊंचाई से काटे गये हैं तथा 01 पेड़ तने से काटकर क्षति की गई है। पेड़ों के कटे हिस्से मौके पर पड़े हैं। आवेदन श्री बृजमोहन द्वारा सरकारी नाली पर कब्जा कर उक्त पापुलर के पेड़ लगाये गये हैं। वादी श्री बृजमोहन श्री नामित अभियुक्तों शेखर, संदीप व राजेन्द्र से पानी के कुलाबे को लेकर विवाद चलना व रंजिश होना ज्ञात हुआ है। इसी रंजिश के आधार पर आवेदक विपक्षीगण के विरुद्ध अपने पेड़ काटने के आरोप लगा रहा है जबकि स्वयं आवेदक द्वारा सरकारी नाली पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसमें अन्य किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है।

4-पापुलर के पेड़ों के स्वामित्व के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा लेखपाल व प्रभावी राजस्व निरीक्षक, जलालाबाद से मालूमात की गयी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि ग्राम समाज की होना एवं उससे लगे पेड़ सरकारी सम्पत्ति होना बनाया गया।

5-दिनांक 22-07-2016 को पुनः 27 पापुलर के पेड़ों को जड़ से लगभग 07-08 फुट ऊपर से काटकर क्षति पहुंचाई गई, जिसके लिये श्री बृज किशोर ने अपने विरोधियों शेखर आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाकर दो तरह से फायदा उठाना चाहा :-

1-सरकारी भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध करना।

2-अपने विरोधियों के खिलाफ सरकारी तंत्र का प्रयोग कर व्यक्तिगत लाभ लेना।

6-दिनांक 30-07-2016 को उप जिलाधिकारी शामली के साथ प्रभारी निरीक्षक, थाना-थानाभवन उक्त सरकारी पेड़ों को नीलाम करने मौके पर गये लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण नीलामी नहीं हो सकी। वर्तमान में 32 पेड़ मौके पर पड़े हैं। चूंकि उक्त पेड़ सार्वजनिक नाली में लगे थे, अतः इनकी नीलामी की प्रक्रिया उप जिलाधिकारी शामली द्वारा कराई जा रही है। पेड़ों की नीलामी के उपरान्त सार्वजनिक नाली की खुदाई की जायेगी तथा नाली का पुनर्निर्माण राजस्व विभाग द्वारा कराया जायेगा।

7-जहां तक आवेदक की सुरक्षा का प्रश्न है। अब तक जांच से आवेदक को किसी प्रकार का कोई खतरा परिलक्षित नहीं हुआ है। फिर भी इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तथा दोनों पक्षों को पाबन्द मुचलका कराया जा चुका है। स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखने हेतु क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक, थानाभवन को निर्देशित कर दिया गया है।]

वार्षिक स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, विधान मण्डल के द्वितीय सत्र 2016 के उपवेशन में दिनांक 23-08-2016 को ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[श्री अखिलेश प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि शासन ने सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की है, जिस नीति के तहत प्रदेश के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के मानक तय किये गये हैं जिनके अनुरूप ही स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। समूह 'क' के प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति में यह स्पष्ट वर्णित है कि समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा परन्तु गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर जो कि समूह 'क' का पद है, पर अभी वर्तमान में तैनात पी0सी0एस0 अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात किये गये हैं। वर्तमान में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं उनका गृह जनपद गोरखपुर मण्डल में आता है। अतः स्थानान्तरण नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर तैनात उपाध्यक्ष का स्थानान्तरण निरस्त करते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :-

नियम-51 के तहत मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात श्री देवी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शरण उपाध्याय, पी0सी0एस0 का गृह मण्डल गोरखपुर होने के दृष्टिगत इन्हें शासन के आदेश दिनांक 26-08-2016 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पद पर तैनात कर दिया गया है।]

जनपद बलिया में आई प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील बैरिया ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद बलिया में गंगा नदी में आयी प्रलयकारी बाढ़ से जहां बी0एस0टी0 बांध के टूटने का खतरा हो गया है। वहीं जगदेवा से लेकर बहुआरा, हृदयपुर, मुरारपट्टी, नरदरा, भुसौला, जगदीशपुर, शिवपुर, कपूरदीयर, लगन टोला, सेमरिया, गडेरियां, रामपुर कोडरा, जयप्रकशनगर, हबासपुर, भुअनटोला आदि लगभग डेढ़ दर्जन गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गये हैं। घरों में लगभग 7-8 फुट पानी धुस गया है, आवागमन पूर्णतया बाधित है। खाद्यान्न के अभाव के कारण लगभग 50,000 आबादी जो बंधों और खेतों में शरण लिये हुए हैं। लोगों की भुखमरी की स्थिति बन गयी है। पशुओं को भी चारा की तत्काल आवश्यकता है। स्थिति अत्यन्त गम्भीर व भयावह है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया बलिया में बाढ़ आपदा से पीड़ित जनमानस को तत्काल सरकार से सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील बैरिया अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में गंगा नदी के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण दूबे छपरा रिंग बांध दिनांक 27-08-2016 को दिन में लगभग 12.00 बजे टूट गया, जिसके कारण ग्राम गोपालपुर, दयालछपरा, जगदेवां, टेंगरहीं प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार तहसील बैरिया में कुल 72500 जनसंख्या बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है।

3-बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों का राहत एवं बचाव कार्य एन0डी0आर0एफ0 एवं फ्लड पी0ए0सी0 के साथ कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित व्यक्तियों को राहत हेतु ग्राम ढाही जगदेवा में 300 तिरपाल, 650 लन्च पैकेट वितरित हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों की सुविधा हेतु पी0ए0सी0 के नावें भी लगी हुई हैं। ग्राम बहुआरा, नरदरा, भुसौला, जगदीशपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिये लंगर चल रहा है तथा 520 तिरपालों का वितरण किया जा चुका है। साथ ही पशुओं के लिये 54.80 कुन्तल भूसा का वितरण किया गया है। प्रभावित परिवारों के आवागमन की सुविधा हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

13 नावें लगायी गयी हैं। ग्राम हृदयपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिये लंगर चल रहा है। 100 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है तथा पशुओं के चारा हेतु 84.7 कुन्तल भूसा वितरित किया गया है। प्रभावित परिवारों में 200 तिरपाल का वितरण किया गया है तथा उनकी सुविधा हेतु 02 नावें लगायी गयी हैं। ग्राम मुरारपट्टी में भी प्रभावित परिवारों के लिये लंगर चल रहा है, 100 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है। साथ ही 250 तिरपाल वितरित किये गये हैं तथा पशुओं के लिये 102.3 कुन्तल भूसा वितरित किया गया है। ग्राम शिवपुर कपूर दियर, लगनटोला, सेमरिया, गड़ेरिया में लन्च पैकेट वितरित किये जा रहे हैं। प्रभावित व्यक्तियों की सुविधा हेतु 27 नावें लगायी गयी हैं तथा 450 तिरपाल वितरित किये गये हैं व पशुओं के लिये 63.80 कुन्तल भूसा वितरित किया जा चुका है। ग्राम रामपुर कोड़रहा के बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिये लंगर चल रहा है प्रभावित परिवारों में 250 तिरपाल वितरित किया गया है व पशुओं के लिये 100.10 कुन्तल भूसा का वितरण किया गया है। ग्राम खवासपुर की अधिकांश आबादी बन्धे के भीतर है, लगभग 20 परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं जिनको 20 तिरपाल वितरित किया गया है व राहत सामग्री शीघ्र ही वितरित की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम जयप्रकाश नगर, भवन टोला में बाढ़ पीड़ित परिवारों में से 109 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। साथ ही 330 तिरपाल वितरित किया गया है व पशुओं के लिये 54.8 कुन्तल भूसा का वितरण किया गया है।

4-यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-370/1-11-2016-7(जी)/2016, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में राहत सामग्री का पैकेट जिसमें आटा, चावल, दाल, आलू, मिट्टी तेल, साबुन, मोमबत्ती एवं माचिस एवं पशुओं के लिये भूसा आज दिनांक 28-08-2016 को तहसील बैरिया के बाढ़ प्रभावित ग्राम जयप्रकाशनगर के व्यक्तियों जो प्रभावती देवी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, जयप्रकाशनगर में शरण लिये हुए हैं, उनमें 109 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गयी है। साथ ही राहत शिविर पाण्डेयपुर ढाला में 50 परिवार, रामनाथ इण्टर कालेज, हृदयपुर में 100 परिवार एवं रामनाथ इण्टर कालेज, मुरारपट्टी में 100 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गयी है।

5-इसके अतिरिक्त तहसील बैरिया के अन्तर्गत ग्राम चांददीयर (टोला फतेराय, बकुल्हा मठिया) गोपालपुर (दूबे छपरा, उदई छपरा, प्रताप छपरा, आलम राय के टोला), केहरपुर (श्रीनगर, सुधर छपरा), टेगरही, दयाछपरा, इब्राहिमाबाद नौबरार आदि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में तिरपाल व भूसे का वितरण किया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिये लन्च पैकेट दिया जा रहा है। साथ ही राहत सामग्री का वितरण भी प्रारम्भ हो चुका है। स्थापित बाढ़ राहत शिविर में शरण लिये हुए व्यक्तियों के लिये भोजन की व्यवस्था की गयी है तथा बन्धे पर शरण लिये हुए परिवारों के लिये तिरपाल, भोजन, जनरेटर आदि की व्यवस्था की गई है।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष पासी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री सुभाष पासी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि विधान सभा क्षेत्र 374 ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[सैदपुर जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सबसे ज्यादा मात्रा में स्कूल, कालेज हैं, जहां से भारी मात्रा में छात्र-छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर बाहर पढ़ने के लिये जाते हैं। सैदपुर की जनता की मांग है कि वर्तमान सरकार द्वारा एक मेडिकल कालेज, सैदपुर जनपद गाजीपुर में भी खोला जाय, जिससे यहां के बच्चे दूर नहीं बल्कि यहीं पर मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर सकें।

2-इस विषय में अवगत कराना है कि वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य में 12 राजकीय मेडिकल कालेज एवं 02 चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में 25 मेडिकल कालेज स्थापित हैं। जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेजों की स्थापना सम्बन्धी केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेजों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त बदायूं एवं नजीबाबाद (बिजनौर) में भी प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी जिले आते हैं। जिसमें वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत ही जिला चन्दौली एवं जौनपुर में राजकीय मेडिकल कालेज खोले जाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान संस्थान तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंससेज स्थापित है।

3-प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं वाराणसी मण्डल में स्थापित एवं स्थापित किये जा रहे मेडिकल कालेजों के दृष्टिगत सैदपुर, जनपद गाजीपुर में सम्प्रति राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना विचाराधीन नहीं है।]

जनपद बांदा में यमुना नदी के किनारे आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बांदा में मुख्यतया दो नदियां (केन व यमुना) से बाढ़ की स्थिति ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[जनपद बांदा के यमुना नदी के किनारे बसे गांवों अत्यधिक वर्षा होने के कारण आई बाढ़ की वजह से फसलें बरबाद हो गयी हैं। इसके पूर्व में ओलावृष्टि एवं भयंकर सूखे की वजह से यहां के किसान तबाह हो गये थे। यहां पर स्थित केन एवं यमुना नदी का जल स्तर वर्तमान में खतरे की सीमा से ऊपर चल रहा है। इन नदियों के किनारे बसे गांव क्रमशः दुरेणी, भूरागढ़, अक्षरौण, मरौली, कनवारा, उजरेहटा, खपटिहा कलां, साणीं पैलानी, पड़ोहरा, नांदादेव भाथा, सिंधन कला, गुरगावां, लसड़ा, वसधरी, मरझा, पड़ेरी, सबहदा, गाजीपुर, बड़ागांव, मड़ौली, चिल्ला, महबरा, पिपरोदर, तारा, खजुरी, दिघवट, दोहतरा, अदरी, बेंदा अमलीकौर, जौहरपुर तथा गड़रिया अमारा जैसे तमाम गांव बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हैं। यहां बीमारी फैली हुई है। अभी भी निरन्तर इन नदियों का पानी बढ़ रहा है। लोग भूखे-प्यासे खुले आसमान के नीचे जीवन-बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति से शासन द्वारा तत्काल इस क्षेत्रों में बाढ़-बचाव कार्य हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित तथा बाढ़ व अतिवृष्टि से फसल एवं घरों की हुई क्षति का परीक्षण कराकर प्रभावितों को समुचित मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा इस पर शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बांदा में मुख्तया दो नदियां (केन व यमुना) से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जनपद की पूरे वर्ष की औसत वर्षा 946.2 मि0मी0 है जबकि दिनांक 26-08-2016 तक 1166.7 मि0मी0 वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष जनपद में हुई भारी बारिश के कारण जनपद में स्थित केन नदी का जल स्तर अपने खतरे के निशान 104.00 मीटर के सापेक्ष दिनांक 22-08-2016 को 109.97 मीटर तक गया था। इसी प्रकार से यमुना नदी अपनी खतरे के बिन्दु 100.00 मीटर के सापेक्ष दिनांक 23-08-2016 को 102.00 मीटर तक गया था। दिनांक 28-08-2016 को केन नदी अपने खतरे के बिन्दु 104.00 मीटर के सापेक्ष 100.75 मी0 पर तथा यमुना नदी अपने खतरे के बिन्दु 100.00 मीटर के सापेक्ष 95.88 मी0 पर है। अर्थात् नदी में जल स्तर कम हो रहा है।

3-केन नदी के किनारे बसे तहसील नरैनी के 14 ग्रामों की फसल, तहसील बांदा के 10 ग्राम तथा तहसील पैलानी के 10 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुये हैं एवं यमुना नदी के किनारे बसे तहसील पैलानी के 05 ग्राम व बबेरू के 08 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ से कुल 25,832 जनसंख्या तथा 1390 पशु प्रभावित हुये हैं। 2 जनहानि हुई है, 4961 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं, 3328.00 हे0 की फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति का सर्वे युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।

4-बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों एवं उनके पशुओं को राहत शिविरों में रखा गया है तथा उनके भोजन पानी की पूर्ण व्यवस्था की गयी है। अद्यतन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 42 बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी हैं, 14 राहत शिविर संचालित किये गये हैं तथा राहत वितरण केन्द्रों की संख्या भी 14 है। राहत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिविरों में 10,436 लोग शरण लिये हुए हैं तथा 10,436 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। राहत हेतु 73 नावें लगायी गयी हैं। 6 मोटर बोट तथा 12 मोटर वाहन लगाये गये हैं। एन0डी0आर0एफ0 की एक यूनिट, पी0ए0सी0 फ्लड बटालियन की एक यूनिट, 42 मेडिकल टीम लगायी गयी है। 2798 लोगों को उपचार प्रदान किया गया है तथा 28,437 क्लोरिट टैबलेट तथा 1962 ओ0आर0एस0 पैकेट वितरित किया गया है। प्रभावितों को 18 कुन्टल आटा, 6.10 कुन्टल गुड़, 3 कुन्टल दाल, 25 किग्रा0 नमक, 20 पैकेट माचिस, 45 पैकेट मोमबत्ती, 3700 मी0 तिरपाल प्रदान की गयी है। 22,864 लंच पैकेट (पूड़ी सब्जी), 19067 पैकेट लाई चना तथा 254.15 कुन्टल भूसा वितरित किया गया है। 05 पशु शिविर भी स्थापित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

5-यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-370/1/11/2016-7 (जी)/2016, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों को 20 किग्रा0 आटा, 20 किग्रा0 चावल, 04 किग्रा0 दाल, 15 किग्रा0 आलू, 05 ली0 मिट्टी का तेल, 01 साबुन, 10 मोमबत्ती, 05 पीस माचिस राहत सामग्री दिये जाने तथा कैम्पों में रह रहे पशुओं के लिये 05 किग्रा0 भूसा प्रतिदिन दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी की मांग के अनुसार अब तक जनपद बांदा को राहत हेतु रु0 450.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।]

जनपद शामली नगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर क्षेत्र शामली में जल निकासी हेतु नालों तथा सीवर लाइन डालने के लिए ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अमृत के अन्तर्गत शहर में सीवर लाइन डालने व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधिष्ठापन कार्य हेतु कुल रु0 209.188 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गयी है। वर्तमान में शहर के मुख्य नाले को पक्का करने हेतु 13वें वित्त आयोग से शहर के आगे खेड़ी करमू सीमा के अन्तर्गत नाले का निर्माण कार्य कराया गया है। 14वें वित्त आयोग से उक्त नाले को पक्का करने हेतु रु0 83.00 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु से पूर्व सभी बड़े नालों की सफाई करा दी गयी है। उक्त के साथ ही साथ नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित नगरीय जल निकासी योजना से वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पालिका परिषद्, शामली को नालों के निर्माण हेतु रु0 93.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका परिषद्, शामली में जल निकासी की समस्या से निपटने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में भूमि का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के माध्यम से रु0 53 करोड़ वर्ष 2009 में जमा कराने के बावजूद अभी तक भूमि का कब्जा न दिये जाने के सन्दर्भ में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 23-08-2016 को निम्नवत् सूचना दी गयी है :-

''गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महानगर में 12 जून, 2009 को राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना का प्रकाशन एवं पंजीकरण प्रारम्भ किया, जिसमें हजारों भू-खण्ड-भवन के लिये पार्क चौड़ी, सड़कों, नाली स्ट्रीट लाइट हरित पट्टिका से सुसज्जित भूमि उपलब्ध होने का दावा किया। यह योजना करीमनगर की 5918 हेक्टेयर मानवेला 1738 हेक्टेयर अर्थात् कुल 23.298 हेक्टेयर पर आधारित की।

चूंकि योजना स्वयं गो0वि0प्रा0 की अपनी योजना थी और प्राधिकरण ने सुसज्जित भूमि होने का दावा किया था इसलिये बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवंटन हेतु आवंटन किये, जिनमें से 843 आवेदकों को भू-खण्डों का आवंटन भी करके विक्रय-विलेख निष्पादित कर दिये गये।

आवंटित नागरिक जब अपने भू-खण्डों पर कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि सुसज्जित विकास कार्य तो दूर विकास प्राधिकरण के कब्जे में जमीन ही नहीं थी। यह एक प्रशासनिक धोखाधड़ी है। यदि प्राधिकरण के पास योजना की जमीन का कब्जा ही नहीं था तो प्राधिकरण को नागरिकों से रु0 53 करोड़ जमा नहीं कराना चाहिये था। बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन के लिये ब्याज पर बैंकों से ऋण लिया था। आज नागरिक उस पैसे पर ब्याज की भरपाई कर रहे हैं और प्राधिकरण नागरिकों द्वारा जमा किये गये 53 करोड़ से अपनी आय बढ़ा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 23.298 हेक्टेयर भूमि पर प्राधिकरण द्वारा राप्ती नगर विस्तार योजना प्रस्तावित की गयी थी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त योजना में उपलब्ध भू-खण्डों के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा आम जनता से आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण आदि की कार्यवाही करते हुए नियमानुसार भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये। योजना हेतु आवश्यक मांग प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ करा दिये गये। लगभग 60 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिसमें कि सड़क, विद्युत के पोल, सीवर लाइन, जलापूर्ति पार्क आदि सम्मिलित हैं, स्थानीय किसानों द्वारा और प्रतिकर देने हेतु आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया एवं प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की क्षति किसानों द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। किसानों के उग्र आन्दोलन के कारण स्थल पर कार्य यथा स्थिति में रुक गये।

प्राधिकरण द्वारा स्थल पर कार्य प्रारम्भ हो सके, इस हेतु किसानों से कई बार वार्ता/बैठकें की गयीं परन्तु अभी तक प्राधिकरण एवं किसानों के मध्य कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। आवंटियों द्वारा किये गये व्यक्तिगत अनुरोध एवं भविष्य में किसानों से समझौते होने के सम्भावना के कारण प्राधिकरण द्वारा अधिकांश आवंटियों के भूमि का निबन्धन कर दिया गया है।

3-राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटी संघर्ष समिति, उ0 प्र0, गोरखपुर बनाकर प्राधिकरण कार्यालय में धरना-प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य शासन के संज्ञान में प्राधिकरण द्वारा लाये गये। शासन स्तर पर दिनांक 27-04-2016 को सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त शासन के पत्र दिनांक 04-05-2016 जो अध्यक्ष/आयुक्त, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है एवं जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित किया गया है, के द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर व यथावश्यकता पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्थानीय स्तर पर समयबद्ध रूप से आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 24-08-2016 को आवंटियों को कब्जा दिये जाने की तिथि नियत करते हुए जिलाधिकारी, गोरखपुर से मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण के अनुरोध पर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, नगर गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-एस0टी0/एस0पी0सी0टी-जी0डी0ए0/16, दिनांक 19-08-2016 द्वारा इस आशय का सुझाव दिया गया कि ''आवंटियों को कब्जा दिलाये जाने हेतु बीच का रास्ता बातचीत कर सम्यक् समाधान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाने से शान्ति/कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। प्रकरण को शासन को जानकारी देने एवं शासन द्वारा अनुमति प्राप्त करने एवं पुलिस बल की अधिक से अधिक मांग करके शान्ति/कानून व्यवस्था विषयक हर पहलू पर विचार/बैठक करके अग्रेतर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।'' फिर भी प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से आवंटियों को कब्जा दिये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस निमित्त यह भी सूच्य है कि स्थल पर विकास कार्य किये जाने हेतु निविदा आदि की कार्यवाही की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।]

जनपद रामपुर की बिलासपुर अहरौ शीशगढ़ में क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से शीशगढ़ होते हुए जनपद बरेली तक जाने वाला मार्ग ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[है। मगर बड़े दुख की बात है कि इसकी हालत अत्यन्त जर्जर है। इस मार्ग पर रोज दुर्घटनायें हो रही हैं। जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस मार्ग की लम्बाई 18.10 कि0मी0 है तथा इस मार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा धन 788.60 लाख आवंटित दिनांक 17 मार्च, 2015 को हो चुका है और इस मार्ग के निर्माण के लिये विभिन्न तारीखों में 13 बार टेण्डर लगाये जा चुके हैं। मगर अभी तक विभाग की लापरवाही के कारण इस मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है। जिसे कारण जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। इस मार्ग पर लगभग एक वर्ष पूर्व मेरे द्वारा जनता के सहयोग से कार सेवा कर इसको मरम्मत का कार्य कराया गया था। उसके बाद भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। इस मार्ग पर जनता रोज विरोध प्रदर्शन व धरने पर बैठी है तथा सड़क पर धान लगाकर खेती करने का काम कर रही है। जिसके कारण जनता में सरकार की छवि खराब हो रही है। यदि इस मार्ग पर अविलम्ब पुनर्निर्माण का कार्य नहीं कराया गया तो जनता दुबारा से इस मार्ग पर कार सेवा से मरम्मत का कार्य करेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग व सरकार की होगी।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से शीशगढ़ होते हुए जनपद बरेली तक जाने वाला मार्ग, जनपद रामपुर के अन्तर्गत ''बिलासपुर-अहरो-शीशगढ़'' मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। जनपद रामपुर के अन्तर्गत इस मार्ग की लम्बाई 18.10 कि0मी0 है तथा शीशगढ़ तक बरेली जनपद के अन्तर्गत 2.00 कि0मी0 है। इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 20.10 कि0मी0 है। मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 3.75 मी0 है, जनपद रामपुर में मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। मार्ग के जनपद रामपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले भाग की लम्बाई 18.100 कि0मी0 के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु आर0आई0डी0एफ0-20 योजना में शासनादेश संख्या-440/23-9-2015-16 नाबार्ड/2015, दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के पश्चात् इस कार्य हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयीं जो कि हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण समाचार-पत्रों में भी समय-समय पर प्रकाशित कराकर दिनांक 18-04-2015, 25-05-2015, 26-06-2015, 31-07-2015, 28-08-2015, 10-09-2015, 04-11-2015, 18-12-2015, 13-01-2016, 05-03-2016, 05-05-2016 एवं 20-06-2016 को आमंत्रित की गयी, जिसमें कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। चौदहवीं बार कार्य की निविदा दिनांक 22-08-2016 को खोली गयीं, परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। अब 15वीं बार निविदा दिनांक 23-08-2016 को आमंत्रित की गयी हैं,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो दिनांक 16-09-2016 को खोली जायेंगी। निविदा प्राप्त न होने के कारण मार्ग पर कार्य कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।]

दिनांक 15 जून, 2016 को थाना कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध सं0-0395 में प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 23-8-2016 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 15-6-2016 को थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ के अन्तर्गत 138, साकेत पल्ली, नरही में श्री वैभव तिवारी पुत्र श्री जिप्पी तिवारी पूर्व विधायक के आवास पर श्रीमती पूनम त्रिपाठी, श्री रविप्रकाश तिवारी तथा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15-6-16 को भारतीय दण्ड संख्या-1860 के अन्तर्गत धारा-395 थाना कोतवाली हजरतगंज में अपराध संख्या-0395 दर्ज किया गया। अपराधी इतने शातिर एवं अपनी पहुंच बनाकर पुलिस की नाक के नीचे घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 15-6-16 को वादी श्री वैभव त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी उर्फ जिप्पी तिवारी, निवासी-41/138 साकेत पल्ली, नरही थाना हजरतगंज लखनऊ द्वारा समय 17.10 बजे मु0अ0सं0-350/16 धारा-395 भा0द0वि0 विरुद्ध 1-पूनम तिवारी पत्नी रवि प्रकाश तिवारी, 2-रवि प्रकाश, 3-वकील व किसान यूनियन के 50 व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह द्वारा तत्काल प्रारम्भ की गयी तथा उसी दिन दि0 15-6-16को विवेचना से साक्ष्य के आधार पर धारा-395 भा0दं0वि0 का अपराध न पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-395 की घटोत्तरी करके धारा-147/323/504/506 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी जिसका तस्करा जी0डी0 नं0-67 समय-21.48 बजे दिनांक 15-6-16 को रोजनामचाआम पर दर्ज है। दिनांक 22-7-16 को पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण पर जाने के कारण विवेचना उ0नि0 श्री इंद्रेश कुमार यादव, प्रभारी चौकी नरही के द्वारा ग्रहण कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 07 वर्ष तक की सजा के अपराधों में विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी पूनम तिवारी पत्नी रवि प्रकाश तिवारी, निवासी-138/42/140, नरही थाना हजरतगंज लखनऊ द्वारा दिनांक 15-6-16 को ही समय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

17.25 बजे मु0अ0सं0-351/16 धारा-147/323/504/506/354/354ए भा0दं0वि0 विरुद्ध 1-प्रेम प्रकाश तिवारी उर्फ जिप्पी तिवारी, पूर्व विधायक, 2-वैभव तिवारी पुत्र प्रेम प्रकाश तिवारी, 3-संजय तथा 4-5 व्यक्ति अन्य के विरुद्ध थाना हजरतगंज में पंजीकृत कराया था। दोनों पक्षों में मकान कब्जेदारी का विवाद है, जिसकी पेशबन्दी में दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराते रहते हैं। पूर्व विधायक श्री जिप्पी तिवारी के लड़के वैभव तिवारी के द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0-350/16 में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब अन्तर्गत ग्राम रायपुर में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री गोमती यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 23-08-2016 को दी गयी सूचना में ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत ग्राम सभा-रायपुर स्थित रायपुर तालाब में हुए जल भराव से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराया गया है कि रायपुर तालाब में बरसात का पानी चारों ओर से इकट्ठा होता है, किन्तु उक्त पानी की निकास की व्यवस्था न होने से तालाब के बाहर स्थित कालोनियों के निवासियों के घरों के सामने तक दो-दो फिट तक पानी भर गया है जिसे सूखने में चार-पांच महीने लग जायेंगे, जिससे स्थानीय निवासी एवं स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है। ''तालाब के बरसात का पानी निकालने हेतु (तालाब से लेकर एल्डिको नाले तक) एक नाला/सीवर पाइप लाइन जो कि एक हजार मीटर बनना प्रस्तावित किया गया है।'' समस्या के निस्तारण हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को आदेशित करने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत ग्राम-रायपुर में व्याप्त जलभराव की समस्या के निराकरण सम्बन्धी कार्य ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाला/सीवर लाइन का कोई भी कार्य नगर विकास विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रश्नगत कार्य नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के ब्लाक कप्तानगंज में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री)श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मौन नाला जनपद महराजगंज से प्रारम्भ होकर जनपद कुशीनगर ..

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ग्राम-लालीपार के पास छोटी गण्डक नदी में विलीन हो जाता है। इस नाले की कुल लम्बाई 67.600 किमी0 है। जिसमें 20.600 कि0मी0 जनपद महराजगंज व 47.00 कि0मी0 जनपद कुशीनगर में पड़ता है। इस नाले की क्षमता वृद्धि का कार्य वर्ष 2005-06 में कराया गया था। वर्षाकाल में किसानों के खेतों का पानी इस नाले में गिरकर आगे बहता हुआ छोटी गण्डक में मिल जाता है। इस नाले के टेल भाग में ऊपरी देवरिया शाखा व ऊपरी नारायणी शाखा का पानी कभी-कभी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर स्कैप चैनल के माध्यम से प्रवाहित होता है जिसका डिस्चार्ज 1200 क्यूसेक तक होता है। वर्तमान में इस नाले की क्षमता इतनी नहीं है कि आपात स्थिति में स्कैप चैनल व वर्षा का पानी दोनों एक साथ प्रवाहित हो सके। स्कैप चैनल व वर्षा का पानी दोनों एक साथ प्रवाहित होने तथा नाले की लम्बाई 67.600 कि0मी0 होने के कारण नाले में पानी धीमी गति से प्रवाहित होता है। नाले में जगह-जगह सिल्ट, बेहया एवं जंगली झाड़ियां उग आई हैं जिससे पानी का बहाव बाधित होता है परिणाम स्वरूप पानी धीमी गति से नीचे प्रवाहित होता है। जिससे नाले के आस-पास की नीची जमीन में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्षाकाल समाप्त हो जाने के बाद इस नाले का सर्वेक्षण कराकर इसकी क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना बनाई जायेगी। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।]

जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग से स्लिप रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में दिल्ली-कानपुर मार्ग (रा0मा0-91 का शहरी भाग) के चेनेज 21.850 ..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[से 22.550 में स्लिप रोड पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मांग की गयी थी। इस पर कार्यवाही के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ ने मुख्य अभियन्ता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पश्चिमी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग मेरठ का पत्रांक-118817 निर्माण/18 पश्चिमी क्षेत्र (निर्माण खण्ड-2) गाजियाबाद/15, दिनांक 23-11-2015 को विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन लखनऊ को 154.27 लाख रुपये का आगणन तैयार कर भेजा गया था परन्तु आज तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। लाखों लोग इस सड़क से होकर जाते हैं। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण आवागमन अवरुद्ध है। अतः मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल इसका निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 के परिषदीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में .....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[भाषा शिक्षक हेतु शासन द्वारा भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2013 आयोजित की गयी थी। उक्त के क्रम में उर्दू भाषा के शिक्षकों हेतु विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति की कार्यवाही की गयी। उपरोक्त परीक्षा में संस्कृत भाषा के भी शिक्षकों हेतु टी0ई0टी0 परीक्षा ली गयी थी। संस्कृत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सरकार ने अब तक विज्ञापन नहीं निकाला है, जबकि उक्त परीक्षा में प्राप्त प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि मात्र 5 वर्ष की ही होती है। उक्त के कारण पात्रता परीक्षा दिये हुए अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है।

अवगत कराना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर हेतु तथा उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आयोजित की जाती है। वर्ष 2013 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया गया था। उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत एवं उर्दू भाषा हेतु पृथक से शिक्षकों के कोई पद सृजित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत अथवा उर्दू भाषा में से किसी में भी अध्यापकों की भर्ती नहीं की गयी है।]

जनपद इलाहाबाद के रीवर गंगा बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के रीवर गंगा बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 24-08-2016 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में सीवर लाइन बिछाने के लिये काटी गई नगर निगम इलाहाबाद के स्वामित्व वाली सड़को की पुनर्स्थापन उ0प्र0 जल निगम द्वारा तथा लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य लोक निर्माण विभाग कराया जा रहा है। सीवर लाइन बिछाने के लिये काटी गई 177.20 कि0मी0 लम्बाई की सड़क में से जल निगम द्वारा 157.30 कि0मी0 तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा 17.90 कि0मी0 के पुर्नस्थापना का कार्य कराया गया है। अवशेष 2.00 कि0मी0 सड़क का पुर्नस्थापना कार्य माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराया जा सकेगा।

एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट ए0बी0 एवं सी0 में कराये जा रहे कार्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है तथा इनमें सीवर लाइन बिछाने के लिये काटी गई सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य सीवर लाइन बिछाने वाले ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट ए, में अब तक 74.267 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई गई है। प्रश्नगत कार्य हेतु 67.225 कि0मी0 सड़क काटी गई, जिसकी पुर्नस्थापना का कार्य कराया जा चुका है। वर्षा ऋतु में इनमें से कुछ सड़कें खराब हुई हैं, जिन्हें रोड मेटल डालकर लगातार समतल किया जा रहा है तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त इन सड़कों की पुर्नस्थापना स्थाई रूप से करायी जा सकेगी।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट सी0 में अब तक 70.76 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई गई। प्रश्नगत कार्य हेतु 60.265 कि0मी0 सड़क काटी गई थी, जिसमें से 58.43 कि0मी0 लम्बाई में पुर्नस्थापना कार्य कराया गया।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट बी0 में सीवर लाइन बिछाने के कार्य का अनुबन्ध दिनांक 01-06-2016 को गठित कर दिया गया है परन्तु वर्षा ऋतु के कारण वहां पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

अल्लापुर छोटा बघाड़ा, सदियाबाद, चांदपुर, सलोरी, ओमगायत्री नगर, बड़ी बगिया, राजीव नगर, शुतुरखाना, गल्ला बाजार, काटजू बाग, लाला की सरैया, स्वराज नगर, पूरा गडेरिया, सरजू नगर, शिवकुटी, महाबीर पुरी, चिल्ला, गोबिन्दपुर, कोयलाकांडी, बड़ी बगिया आदि मुहल्ले सीवरेज डिस्ट्रिक्ट सी से सम्बन्धित है। यहां पर काटी गई सड़कों को पुर्नस्थापित कराया गया था परन्तु अत्यधिक वर्षा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात् इन सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य कराया जा सकेगा।

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट डी में कुम्भ मेला 2013 तक 158.0 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई गई थी जिनकी पुर्नस्थापना कार्य भी मेला के पूर्व करा दिया गया था। कुम्भ मेला के पश्चात् 38.00 कि0मी0 सीवर लइन बिछाई गई है, जिनमें से 36.00 कि0मी0 लम्बाई में पुर्नस्थापना कार्य करा दिया गया है। अवशेष कार्य माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ओलावृष्टि/सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि ''आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय .....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 का किसानों का ओलावृष्टि एवं सूखा राहत के चेकों का अभी तक वितरण नहीं किया गया है जिससे गरीब किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। किसान जिला प्रशासन एवं सरकार के इस लापरवाही के रवैये से गरीब किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं जिससे किसानों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से किसानों का ओलावृष्टि एवं सूखा राहत के चेको का वितरण एवं भुगतान किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान दिये जाने के लिये जनपद चन्दौली द्वारा रु0 128.93 करोड़ की धनराशि की मांग की गयी थी। शासन द्वारा जनपद को अब तक रु0 44.85 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जो 91,766 किसानों को वितरित की जा चुकी है।

यह उल्लेख करना है कि वर्ष 2015 से ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण चन्दौली सहित प्रदेश के 73 जनपदों में कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई थी। प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि 2015 के सापेक्ष भारत सरकार को रु0 7543.14 करोड़ का मेमोरण्डम प्रेषित करते हुये राष्ट्रीय आपदा मोचक

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा मात्र रु0 2801.59 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि में भारत सरकार से प्राप्त रु0 2801.59 करोड़, राज्य आपदा मोचक निधि से रु0 478.70 करोड़ तथा स्वयं के स्रोतों से रु0 1218.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 4498.29 करोड़ की धनराशि किसानों को स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार से अवशेष धनराशि रु0 4741.55 करोड़ की मांग की गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही जनपद चन्दौली सहित समस्त प्रभावित जनपदों को स्वीकृत कर दी जायेगी।

जहां तक वर्ष 2016 में जनपद चन्दौली को सूखा राहत की धनराशि दिये जाने का प्रश्न है। सूखे के कारण जनपद चन्दौली में कृषि फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत बहियारी कलां एवं डाबर नहर से .....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[से डाबर ग्राम होते हुए तालाब के आगे कोल बस्ती तक सड़क निर्माण हेतु निदेशक कृषि मण्डी लखनऊ द्वारा जनपद इलाहाबाद के कृषि मण्डी को धन वर्ष 2011-12 में उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य किये बिना ही पूरी धनराशि सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है। जिससे उक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनहित में उपरोक्त सड़कों के कार्यो को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने एवं दोषी अधिकरियों के विरुद्ध कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित 02 नग सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध संख्या-1379, दिनांक 04-06-2011 एवं अनुबन्ध संख्या-1495, दिनांक .7-10-2011 उपनिदेशक (निर्माण) एवं ठेकेदार के मध्य गठित हुआ था। दीर्घ अवधि तक

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ठेकेदार से इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण न करा पाने की उदासीनता के लिए वर्ष 2011 से वर्तमान तक कार्यरत रहे उप निदेशक (निर्माण) सर्वश्री अशोक कुमार, श्री बी0पी0 सिंह, श्री आर0टी0 यादव, श्री बलवीर सिंह को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए 15 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। एतद्पश्चात् उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

3-ठेकेदारों द्वारा समय से कार्य पूर्ण न कर विलम्बित रखने के लिए उप निदेशक (निर्माण) स्तर से उनके विरुद्ध समय-समय पर नोटिस निर्गत की गई है।

इसके अतिरिक्त निम्नवत् अर्थदण्ड लगाते हुए इनका अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है :--

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत धनराशि रु0 लाख में	ठेकेदार का नाम	लगाया गया अर्थदण्ड
1	सम्पर्क मार्ग बहियारी से खड़हरा तक का निर्माण कार्य।	2.40	62.00	मेसर्स हेमन्त कुमार सिन्धी	10 प्रतिशत अर्थदण्ड रु0 5.87 लाख।
2	सम्पर्क मार्ग डाबर में प्रेम शंकर एडवोकेट के घर से दलित बस्ती तक का निर्माण कार्य।	2.40	57.00	मेसर्स उमेश कान्स्ट्रक्शन	10 प्रतिशत अर्थदण्ड रु0 5.51 लाख।

4-उक्त ठेकेदारों को उनके द्वारा बरती गयी गम्भीर उदासीनता के दृष्टिगत काली सूची में भी अंकित करने की कार्यवाही की जा रही है।

5-प्रश्नगत अधूरी सड़कों का अवशेष निर्माण कार्य आगामी 06 माह की समयावधि में पूर्ण करा दिया जायेगा।]

जनपद मऊ में आयी प्रलयकारी बाढ़ से कतिपय घाटों में हुई कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद मऊ के सरयू नदी में बाढ़ विभीषिका के कारण क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि .....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[कटान के कारण नदी में विलीन हो गयी है। ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे पर 22 करोड़ लागत से दोहरीघाट मुक्तिधाम एवं वाल का निर्माण कराया गया था जिसमें मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। खराब निर्माण कार्य होने के कारण बाढ़ विभीषिका ने दोहरीघाट मुक्तिधाम एवं वाल को भी काट दिया है। आज मुक्तिधाम दोहरीघाट का वजूद ही खतरे में है। अगर बाढ़ की विभीषिका से हो रहे कटान को रोका नहीं गया तो दोहरीघाट मुक्तिधाम

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरयू नदी में विलीन हो जायेगा। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से यथाशीघ्र सरयू नदी द्वारा की जा रही भूमि कटान को रोकने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है :-

दोहरीघाट मुक्तिधाम एवं वाल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है। इसका निर्माण मुक्तिधाम सेवा संस्थान दोहरीघाट द्वारा कराया गया है। मुक्तिधाम भारत माता मन्दिर के बीच 90 मी0 लम्बाई में शवदाह इत्यादि का कार्य किया जाता है जिसमें 30 मी0 लम्बाई में एक पुराना टिन शेड निर्मित है। इस टिनशेड के सामने कटान होने से टिनशेड का अग्रिम सिरा 3 मी0 चौड़ाई में क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे दिनांक 27-07-2016 से कुल 60 मी0 लम्बाई में फ्लड फाइटिंग कार्य कराकर दो दिन में ही कटान को नियंत्रित कर लिया गया है। पूर्व के वर्षों में इस 90 मी0 में कटान नहीं हुयी थी। इस वर्ष कटान शुरू होते ही इसे नियंत्रित कर लिया गया है। वर्तमान में कोई कटान नहीं हो रही है।

जहां तक रु0 22.00 करोड़ की लागत से कार्य कराये जाने का प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि सरयू नदी विगत वर्षों में कटान करके आजमगढ़, गोरखपुर स्टेट हाई-वे के करीब आ गयी थी। अतः इस कटान को रोकने के लिये महुला गढ़वल तटबन्ध के अन्तिम छोर से मुक्तिधाम तक कटाव निरोधक कार्य की परियोजना लागत रु0 2168.56 लाख के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 960 मीटर लम्बाई में न्यूनतम जल स्तर तक नायलान क्रेट में आर0बी0एम0 भरी सीमेन्ट बैग से प्लेटफार्म बनाकर उसके ऊपर (दो लेयर) 0.50 मी0 मोटाई में तथा 13 मी0 चौड़ाई में आर0बी0एम0 भरी जिओ बैग से एप्रन डालने का कार्य किया गया है। उसके ऊपर 30-30 मी0 की दूरी पर दो रो में परक्यूपाईन खड़ा कर स्पर लगाने का कार्य कराया गया है एवं 2:1 के स्लोप पर ग्राउन्ड लेबल तक 0.45 मी0 की मोटाई में बोल्डर पिचिंग (जिओसीट फिल्टर के ऊपर) लगाने का कार्य किया गया है। इस समस्त कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग किया गया है तथा ये सभी कार्य आज भी शत-प्रतिशत सुरक्षित है। इस बीच में कोई कटान नहीं हुई है।]

(कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप का सारा कार्य पूर्ण हो गया है, अब विधान सभा से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप लोग कल नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कह लीजियेगा।

सदन के अन्दर एवं विधान भवन के बाहर फोटोग्राफी की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

आज यहां पर सदन में फोटोग्राफी होनी हैं, पहले सदन में फोटोग्राफी होगी। उसके बाद विधान भवन के बाहर फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है, वहां पर फोटो ली जायेगी। माननीय नेता सदन भी अभी आ रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिये। यह फोटो आपकी आने वाली

पीढ़ी को प्रोत्साहन करने के लिये एक सिम्बल बनेगी और पिछली बार भी वर्ष 2007 में भी हमने सबकी फोटो खिंचवा कर उपलब्ध कराई थी। इस बार भी आप सबको विधान सभा सचिवालय के माध्यम से निःशुल्क फोटो उपलब्ध कराई जायेगी।

(माननीय नेता सदन के आने की प्रतीक्षा की गई)

श्री अध्यक्ष-

चार बज गये हैं। माननीय नेता सदन अभी नहीं आ सके हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता सदन कब तक आ सकेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन दस मिनट में सदन में उपस्थित हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(इसी मध्य सदन में संसदीय कार्य मंत्री तथा नेता, भारतीय जनता पार्टी के मध्य हास-परिहास हुआ)

(तत्पश्चात् माननीय नेता सदन के उपस्थित होने पर फोटो सेशन हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 30 अगस्त, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 232 विधान सभा (373) 02-10-2016-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।